लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण
SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र / Twelfth Session]

5th Lok Sabha

Preservation Unit. Fumigated On 1-9-92 Parliament Library

[खंड 46 में अंक 11 से 20 तक हैं / Vol. XLVI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

ल्य : दो रुपये

Price · Two Rupees

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 16— गुरुवार, 5 दिसम्बर 1974/14 अग्रहायण, 1896 (शक)

No. 16— *Thursday*, *December* 5, 1974/*Agrahayana* 14, 1896 (*Saka*)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
पोलंड के संसदीय प्रतिनिधि मंडल का स्वागत	Welcome to the Polish Parliamentary Delegation .	1

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या

*S. Q. Nos.

328. दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के ठेका-श्रमिकों की छटनी	Retrenchment of Contract Workers of Durgapur Steel Plant	2–5
329. बोकारो इस्पात संयंत्र के अधिकारियों को मुअत्तिल करना	Suspension of Officers of Bokaro Steel Plant . . .	5–6
330. मध्य प्रदेश में फैरो मैंगनीज संयंत्र	Ferro-Manganese Plant in Madhya Pradesh . . .	6–7
332. क्षय रोग से पीड़ित व्यक्ति	Persons Suffering from T. B.	7–10
333. स्वर्गीय बेगम अख्तर के शव को लखनऊ ले जाने के लिए भारतीय वायु सेना के विमान का प्रयोग	Use of IAF Plane to take Dead Body of Late Begum Akhtar to Lucknow . . .	10–11
337. बम्बई गोदी में जहाजों के ठहरने के लिए स्थान की कमी	Lack of Berthing Space for Ships in Bombay Docks . .	12–13

अल्प सूचना प्रश्न/SHORT NOTICE QUESTION

अ० सू० प्र० संख्या

S. N. Q. No.

1. औषधियों की कीमतों म वृद्धि करने का प्रस्ताव	Proposal to increase prices of drugs	13–18

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

331. अशिक्षित, प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित लोगों के रोजगार	Employment of Uneductated, Skilled and Unskilled Workers	18–19
334. भूतपूर्व सैनिकों के लिए 'सरकारी क्षेत्र' के अनुरूप निगम की स्थापना	Setting up Public Sector Type Corporation for Ex-Servicemen	19
335. मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिये धनराशि	Funds for Malaria Eradication Programme . . .	19–20

*किसी नाम पर अंकित यह+चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव म पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

A—42 L.S.S.(ND)74

S तारा० प्र० संख्या . Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
336.	गया से कुष्ठ उन्मूलन के लिए बिहार सरकार को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Bihar State for Eradication of Leprosy from Gaya . . .	20
338.	घातक लड़ाकू जैट विमानों का उत्पादन	Production of Lethal Jet Fighters	20–21
339.	वर्ष 1974-75 में बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा प्रगति	Bokaro Steel Plant progress during 1974-75 . . .	21
340.	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, राजस्थान के भ्रष्ट अधिकारियों के विरूद्ध कथित जांच	Alleged Inquiry against Corrupt Officers of Hindustan Zinc Ltd. Rajasthan . .	21
341.	कुष्ठरोग से पीड़ित होने वालों की अधिक संख्या	High incidence of Leprosy .	22–24
342.	इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ मास कम्यूनिकेशन द्वारा तैयार किया गया परिवार नियोजन संबंधी प्रतिवेदन	Report of Indian Institute of Mass Communication on Family Planning .	24–25
343.	इस्पात संयंत्रों में क्षमता का उपयोग	Capacity Utilisation in Steel Plants	25–26
344.	उत्पादकता और श्रमिकों के वास्तविक वेतन	Productivity and Actual Wages of Workers . . .	26–27
346.	बिहार के बीड़ी प्रतिष्ठानों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत लाना	Coverage of Beedi Establishments in Bihar Under E.P.F. Act, 1952	27
347.	पश्चिम एशिया के देशों को लड़कियों का निर्यात	Export of Girls to West Asian Countries . . .	27–28
348.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 17 के निर्माण के लिए सर्वेक्षण में कथित कदाचार	Alleged Malpractices in Survey for Construction of National High way No. 17 . .	28
अतारा० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
3203.	सिक्किम में भारतीयों की सुरक्षा	Safety of Indians in Sikkim	28–29
3204.	जबलपुर व्हीकल फैक्ट्री की एक रक्षित यूनिट ग्रे आयरन फाउंड्री का चालू किया जाना	Commissioning of Gray Iron Foundry of Jabalpur Vehicle Factory . . .	29
3205.	संयुक्त साइफर ब्यूरो में कनिष्ठ अधिकारियों से कम वेतन पाने वाले अधिकारी	Officers in Joint Cipher Bureau drawing less pay than their junior Officers . . .	29
3207.	तुगलकाबाद रेलवे यार्ड में स्टील से भरे हुए रुके पड़े वैगनों से माल उतारना	Off loading of Steel loaded wagons at Tugalakabad Railway Yard . . .	29
3209.	राजस्थान में सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए मंजूरी	Sanction for construction and repair of roads in Rajasthan .	30

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3210.	पंजाब में सड़कों का निर्माण और उनकी मरम्मत	Construction and repair of roads in Punjab . . .	30
3211.	युगांडा के निष्कासित भारतीयों की परि-सम्पत्तियों के लिए मुआवजा	Compensation for assets of Indians expelled from Uganda .	30
3212.	गोआ में सड़को का निर्माण और उनकी मरम्मत किया जाना	Construction and repair of roads in Goa	30–31
3213.	आन्ध्र प्रदेश में खनिजों का पता लगाना	Minerals found in Andhra Pradesh	31
3214.	मध्य प्रदेश को इस्पात की सप्लाई	Steel Supply to M.P. . .	31
3215.	उड़ीसा में सड़को के निर्माण और उनकी मरम्मत के लिए मंजूरी	Sanction for construction and repair of roads in Orissa .	32
3216.	निर्वास निदेशालय द्वारा युद्ध विधवाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार की व्यवस्था करना	Training and employment to war Widows by Resettlement Directorate . . .	32
3217.	ट्रक आपरेटरो द्वारा हड़ताल	Strike by Truck Operators .	33
3218.	वायु सेना मुख्यालय के ए० सी० ओ० के पेंशन के मामलोंका तय किया जाना	Settlement of pension cases of ACSO's of Air Headquarters	33
3219.	बोनस विवादो को सुलझाने के लिए बोनस बोर्ड	Bonus Boards to settle bonus disputes	33–34
3220.	वसंत विहार, नई दिल्ली में औषधियों तथा श्रृंगार सामग्री की बिक्री	Sale of Drugs and Cosmetics in Vasant Vihar, New Delhi .	34
3221.	विजय नगर इस्पात संयंत्र के लिये कोक का आयात	Coke Import for Vijayanagar Steel Plant . . .	34
3222.	यमुना पार इलाके में कृषि भूमि को हथियाना	Grabbing of Agricultural Land in Trans-Yamuna Belt	35
3223.	खान श्रमिकों के लिए आवास सुविधाएं	Housing facilities for coal mine workers . . .	35
3224.	औद्योगिक विकास के बारे में हंगेरी के साथ करार	Protocol with Hungary on Industrial Development . .	35–36
3225.	इंडियन एक्सप्रेस समाचारपत्र समूह के श्रमजीवी पत्रकारों के वेतनमान	Wage Scales of Working Journalists in Indian Express Group	36
3226.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड के पास जहाजों के क्रया देशो की कमी	Lack of orders for Ships with Hindustan Shipyard . .	36–37
3227.	श्रम न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to set up Labour Courts	37
3228.	उच्च न्यायालयों/उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीशों की राजदूत के पदों पर नियुक्ति	Assignment of Ambassadorial Posts to ex-Justices of Supreme Court/High Courts .	37

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3229.	ब्रिटेन में शहीद मदन लाल ढींगरा की अस्थि अवशेष	Remains of Shaheed Madan Lal Dhingra in Britain . .	37–38
3230.	दक्षिण कनारा जिलेमें मिश्र गुटिक (ब्लेंडिड पैलेटाइजेशन) संयंत्र	Pelletisation Plant in South Kanara District . . .	38
3231.	पूर्ति विभाग में सतर्कता संबंधी मामले	Vigilance cases in Department of Supply	38
3232.	कर्मचारी भविष्य निधि के निवेश संबंधी पद्धति का कर्मचारियों के लिये अलाभकारी होना	Pattern of Investment of E.P.F. detrimental to workmen .	39
3233.	केरल में राष्ट्रीय राजपथ संख्या 17 पर चेन्तूरा तथा कोट्टापुरम में पुल	Bridge at Chettura and Kottapuram on National Highway No. 17 in Kerala . .	39
3234.	राउरकेला इस्पात संयंत्र का विस्तार	Expansion of Rourkela Steel Plant	40
3235.	शहादरा में कोयले की धूल तथा राख के कारण उत्पन्न विभिन्न रोगों से संतप्त व्यक्ति	People suffering from various Diseases due to coal dust and ash in Shahdara . .	40
3236.	स्टेनलैस स्टील में कालाबाजारी	Blackmarketing in Stainless Steel	40
3237.	बंगाल कैमिकल श्रमिक कर्मचारी यूनियन, कलकत्ता से ज्ञापन	Memorandum from Bengal Chemical Sramik Karamchari Union, Calcutta . . .	40–41
3238.	बंगलादेश से लोगों का निष्क्रमण	Exodus of people from Bangladesh	41
3239.	वर्ष 1973-74 में शरणार्थी पुनर्वास के लिए बजट का नियतन	Budget allocation for refugee rehabilitation during 1973-74	41–42
3240.	जयन्ती शिपिंग कम्पनी का अधिग्रहण	Take over of Jayanti Shipping Company	42
3241.	परमाणु शास्त्रास्त्र संधि संबंधि प्रस्ताव	Resolution on Nuclear Weapons Treaty	42
3242.	चम्पारन (बिहार) में बसे भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को स्वामित्व अधिकार	Ownership rights to East Pakistan refugees sett ed in Champaran (Bihar) . . .	42–43
3243.	ईशापुर स्थित राइफल कारखाने को कार्यकारी समिति का चुनाव	Elections of Works Committee Rifle Factory, Ishapore .	43
3244.	भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तानी शरणार्थीयों का अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में पुनर्वास	Rehabilitation of former East Pakistan Re ugees in Andaman and Nicobar Islands .	43–44
3245.	सरकारी उपक्रमों में वेतन ढांचे का विश्लेषण	Analysis of Wage Structure in Public Undertakings . .	44
3246.	नहवा-शेवा में इस्पात का निर्माण	Constructions of port at Nhava Sheva	44

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3247.	स्वास्थ्य शिक्षा में स्वास्थ्य सहायकों को प्रशिक्षण	Training to Health Assistants in Medical Education . .	45
3248.	घटिया पोलियो वैक्सिन बेचने के कारण कुछ औषधि विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित किया जाना	Suspension of Licences of Chemics for selling below standard Polio Vaccine . . .	45
3249.	कोयला खान कर्मचारियों की अमानवीय स्थिति	Sub-human conditions of colliery workers	46
3250.	बाल श्रमिक	Child Labour .	46–47
3251.	भारत के उत्तर पूर्वी सिमांत सीमा पर चीनी सेना का जमाव	Concentration of Chinese Army on North East Frontier Border of India . . .	47
3252.	कोचीन उद्योग मंडल से अन्तर्देशीय जल परिवहन	Inland water trasport from Cochin Udyogamandal .	47–48
3253.	खेतड़ी तांबा परियोजना स्मेल्टर	Khetri Copper Project smelter	48
3254.	भारतीय समुद्रीय सीमाओं में भूमि तथा खनिजों संबंधी कार्यक्षेत्र तथा दायित्व	Jurisdiction and responsibility for land and Minerals below territorial waters of India . .	48
3255.	रक्षा कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन तथा भत्ता	Additional pay and allowances to Defence Personnel . .	48–49
3256.	इस्पात और खान मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र की कम्पनियां तथा निगम	Public Sector Companies and corporation under Ministry of Steel and Mines . .	49
3257.	दुर्गापुर अलाय स्टील की आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के यूनियन सचिव की हत्या की जांच	Inquiry into murder of AITUC Union Secretary, Durgapur Alloy Steel . . .	49–50
3258.	पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के लिये आवास	Housing accommodation for Port and Dock Workers .	50
3259.	शिपयार्ड की स्थापना संबंधी समिति की सिफारिशें	Recommendations of Committee on location of Shipyards .	50
3260.	आयुर्वेदिक स्नातकों तथा एलोपैथिक डाक्टरों के वेतनमानों में अन्तर	Disparity in Pay Scales of Ayurvedic Graduates and Allopathic Doctors . . .	50–51
3261.	राष्ट्रीयकृत संकट ग्रस्त कपड़ा मिलों के नाम पर कर्मचारी भविष्य निधि राशि	E.P.F. Outstanding against Nationalised Sick Textile Mills	51
3262.	बिहार में टी० बी० और हैजे का उन्मूलन	Eradication of T.B. and Cholera from Bihar . . .	51
3263.	दिल्ली के आयुर्वेदिक औषधालयों में काम कर रहे अनर्ह वैद्ध	Unqualified vadyas working in Delhi Ayurvedic Dispensaries	51

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3264.	भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध	Indo Pak Relations. . .	52
3265.	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय तथा सम्बद्ध कार्यालयो के प्रशिक्षण हेतु कर्मचारियों को विदेश भेजना	Sending of Employees of DGHS and attached offices abroad for Medical Education .	52
3266.	कोयला खान भविष्य निधि योजना में संशोधन	Amendment of the coal mines Provident Funds Scheme	53
3267.	गाड़ियों के चलाये जाने पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण वैकल्पिक कर	Alternative Taxes due to Restriction on Operation of Vehicles . . .	53
3268.	इस्पात कारखानों की हानि	Loss to Steel Plants . .	53–54
3270.	खान मजदूरों को उपदान का भुगतान करने संबंधी नियम	Rules for payment of Gratuity to Mine Labourers . .	54
3271.	पश्चिमी बंगाल में रहस्यपूर्ण रोग से मौतें	Deaths due to Mysterious Disease in West Bengal . . .	54
3272.	स्टील यार्डों में स्टील का जमा हो जाना	Steel Pile up with Steel Yards	55
3273.	लोहे और इस्पात के स्क्रैप के मूल्य	Prices of Iron and Steel Scrap	55
3274.	प्रादेशिक सेना में भर्ती को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यवाही	Steps to Encourage Recruitment to Territorial Army .	55
3275.	प्रादेशिक सेना को प्रशिक्षण देने की सुविधाएं	Facilities for Training to Territorial Army . . .	56
3276.	भारत-हंगेरी संयुक्त आयोग	Indo-Hungarian Joint Commission	57
3277.	आयरन एण्ड स्टील स्क्रेप इंडस्ट्रीज में संकट	Crisis in Iron and Steel Scrap Industry	57
3278.	राजस्थान में प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाया जाना	Location of Natural Resources in Rajasthan . . .	57–58
3279.	केरल के तटों में खनिज संसाधन	Mineral Resources in Kerala Coasts . . .	58
3280.	लघु इस्पात मिलों द्वारा लोहे की छड़ों का निर्यात	Export of Iron Rods by Small Scale Steel Mills . .	59
3281.	कोचीन के निकट औद्योगिक क्षेत्र में अन्तर्देशीय जल परिवहन का विकास	Development of Inland Water Transport in Industrial Region Near Cochin . .	59
3282.	पंजाब में प्राकृतिक साधनों का पता लगाया जाना	Location of Natural Resources in Punjab . . .	59–60
3283.	गोआ में प्राकृतिक साधनों का पता लगाना	Location of Natural Resources in Goa	60
3284.	मध्य प्रदेश में मैंगनीज अयस्क का उत्पादन	Manganese ore production in M.P.	60

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3318.	मैसर्स जे० बी० मंघाराम एण्ड कम्पनी, ग्वालियर द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि का जमा न किया जाना	Non-deposit of E.P.F. by M/s. J.B. Mangharam and Company, Gwalior . . .	73
3319.	जे० बी० मंघाराम एण्ड कम्पनी के कर्मचारियों की छंटनी तथा उनको देय राशि का भुगतान न करना	Retrenchment of employees in J.B. Mangharam and company and non-payment of their dues . . .	73–74
3320.	हिमालय क्षेत्र के चाय बागानों में काम करने वाले कम उम्र के मजदूर तथा उनकी मजदूरी	Under age Workers in tea plantation in Himalayan region and their wages . . .	74–75
3321.	पारस्परिक सहयोग के बारे में भारत-सोवियत वार्ता	Indo-Russian Talks on mutual cooperation . . .	75
3322.	केन्द्रीय होमियोपैथि परिषद् में गुजरात का प्रतिनिधित्व	Representation of Guajrat State in Central Council of Homoeopathy . . .	75–76
3323.	प्रबंध में कर्मचारियों का भाग लेना	Workers' participation in management . . .	76
3324.	व्यवसायिक मजूरी सर्वेक्षण	Occupational Wage survey .	76
3325	दक्षिण में इस्पात परियोजनाएं	Steel Projects in South . .	76–77
3326	मैंगनीज अयस्क का संचयन	Accummulation of Manganese Ore	77
3327	राष्ट्रीयकरण से पूर्व की कोयला खानों के मालिकों द्वारा मजूरों की मजूरी का भुगतान न किया जाना	Non-payment of workers' wages by owners of pre-nationalised Coal mines . . .	78
3328	कोयला खान उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड की सिफारिशों का कार्यान्वयन	Implementation of Wage Board Recommendations for coal mines Industry . . .	78
3329	अल्लेप्पी पर टर्मीनल सुविधायें	Terminal facilities at Alleppey	78–79
3330	समान मजूरी नीति	Uniform Wage Policy .	79
3331	इस्पात के संबंध में दोहरे मूल्यों की नीति	Dual price policy for steel .	80
3332	बम्बई और मंगलौर के बीच यात्री एवम मालवाही सेवा	Passenger-*cum*-Cargo Service between Bombay and Mangalore	80
3333.	एच० एस० 748 के बारे में धवन समिति का प्रतिवेदन	Report of Dhavan Committee on HS 748 . . .	80–81
3334.	पूर्व अफ्रीकी देशों के ब्रिटिश पारपत्रधारी भारतीयों के लिए ब्रिटिश नीति को उदार बनवाना	Liberalising of British Policy towards Indians from East African countries holding British Passport. . . .	81

(B)—42 LS.S. (N.D. /74

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3303.	बिहार में अभ्रक खानों/कारखानों को कर्मचारी भविष्य निधि, अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत लाना	Coverage of Mica Mines/Factories in Bihar under E.P.F. Act, 1952	67
3304.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तगत बिहार के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा हर्जाना लगाया जाना तथा मुकदमों का दायर किया जाना	Damages levied and cases filed under E.P.F. Act by R.P.F.C. Bihar	67–68
3305.	बर्मा के शरणार्थियों को दिल्ली में दुकानों का आबंटन	Allotment of Shops in Delhi to Refugees of Burma	68
3306.	भारत-पाक शिखर बैठक	Indo Pak Summit Meet	68–69
3307.	खान श्रमिकों को भविष्य निधि लेखों के वितरण पत्रों का भेजा जाना	Supply of Provident Fund Statement of Account to Mine Labourers	69
3308.	देश में वाहनों की संख्या और ईंधन की खपत	Vehicles and consumption of Fuel in the country	69
3309.	कोंकण तटीय यात्री सेवा की आय तथा उसके द्वारा लाये-लेजाए गए यात्री	Income of Konkan Coastal Passenger Service and Passengers carried by it	69–70
3310.	स्वयंसेवी परिवार नियोजन संगठनों को सहायता	Aid to voluntary Family Planning Organisations.	70
3311.	बिहार के बाढ़ पीड़ित लोगों को रियायती दरों पर लोहा देना	Iron to flood affected People of Bihar on Concessional Rates	71
3312.	मैटल एण्ड स्टील फैक्टरी, इशापुर में वर्क्स कमेटी के लिए चुनाव	Elections of Works Committee of Metal and Steel, Ishapore	71
3113.	वर्ष 1973 तथा 1974 में विभिन्न देशों द्वारा भारत विरोधी प्रचार	Anti-Indian Propaganda by various Countries during 1973 and 1974	71
3314.	बंगला देश से पश्चिमी बंगाल, असम, त्रिपुरा और दिल्ली में आने वाले शरणार्थी	Rush of Bangladesh Refugees to West Bengal, Assam, Tripura and Delhi	71–72
3315.	आन्ध्र प्रदेश में एल्यूमीनियम फाइल्स यूनिट	Aluminium foils unit in Andhra Pradesh	72
3316.	निजी लौह अयस्क खानो के विकास के संबंध में नई दिल्ली में बैठक	Meeting in New Delhi regarding development of Private Iron Ore Mines	72
3317.	मजगांव डाक लिमिटेड द्वारा हर्षवर्धन जहाज का भारतीय जहाजरानी निगम को देना	Handing over Harsh Vardhan Ship to Shipping Corporation by Mazagon Dock Limited	73

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3318.	मैसर्स जे० बी० मंघाराम एण्ड कम्पनी, ग्वालियर द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि का जमा न किया जाना	Non-deposit of E.P.F. by M/s. J.B. Mangharam and Company, Gwalior . . .	73
3319.	जे० बी० मंघाराम एण्ड कम्पनी के कर्मचारियों की छंटनी तथा उनको देय राशि का भुगतान न करना	Retrenchment of employees in J.B. Mangharam and company and non-payment of their dues . . .	73–74
3320.	हिमालय क्षेत्र के चाय बागानों में काम करने वाले कम उम्र के मजदूर तथा उनकी मजदूरी	Under age Workers in tea plantation in Himalayan region and their wages . . .	74–75
3321.	पारस्परिक सहयोग के बारे में भारत-सोवियत वार्ता	Indo-Russian Talks on mutual cooperation . . .	75
3322.	केन्द्रीय होमियोपेथि परिषद् में गुजरात का प्रतिनिधित्व	Representation of Guajrat State in Central Council of Homoeopathy . . .	75–76
3323.	प्रबंध में कर्मचारियों का भाग लेना	Workers' participation in management . . .	76
3324.	व्यवसायिक मजूरी सर्वेक्षण	Occupational Wage survey .	76
3325	दक्षिण में इस्पात परियोजनाएं	Steel Projects in South . .	76–77
3326	मैंगनीज अयस्क का संचयन	Accummulation of Manganese Ore	77
3327	राष्ट्रीयकरण से पूर्व की कोयला खानों के मालिकों द्वारा मजूरों की मजूरी का भुगतान न किया जाना	Non-payment of workers' wages by owners of pre-nationalised Coal mines . . .	78
3328	कोयला खान उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड की सिफारिशों का कार्यान्वयन	Implementation of Wage Board Recommendations for coal mines Industry . . .	78
3329	अल्लेप्पी पर टर्मीनल सुविधायें	Terminal facilities at Alleppey	78–79
3330	समान मजूरी नीति	Uniform Wage Policy .	79
3331	इस्पात के संबंध में दोहरे मूल्यों की नीति	Dual price policy for steel .	80
3332	बम्बई और मंगलौर के बीच यात्री एवम मालवाही सेवा	Passenger-*cum*-Cargo Service between Bombay and Mangalore	80
3333.	एच० एस० 748 के बारे में धवन समिति का प्रतिवेदन	Report of Dhavan Committee on HS 748 . . .	80–81
3334.	पूर्व अफ्रीकी देशों के ब्रिटिश पारपत्रधारी भारतीयों के लिए ब्रिटिश नीति को उदार बनवाना	Liberalising of British Policy towards Indians from East African countries holding British Passport. . . .	81

(B)—42 LS.S. (N.D. /74

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3335.	दिल्ली में दमें 'ब्रोनकाइटस्' तथा अन्य सम्बद्ध रोगों के बारे में हुआ विश्व सम्मेलन	World Conference on Asthama Bronchitis and Allied conditions held in New Delhi .	81
3336.	एक होमियोपैथिक मेडिकल कालेज आरंभ करने के लिए गुजरात से प्राप्त प्रस्ताव	Proposal from Gujarat forstarting a Homoeopathic Medical College . . .	82
3337.	अहमदाबाद में कर्मचारी भविष्य नीधी को बकाया राशि	Arrears of E.P.F. in Ahmedabad	82
3338.	युरोपीय देशों को भारतीय सैनिक उपकरणों को बिक्री	Sale of Indian military equipment to European countries	82–83
3339.	मैसूर आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड, भद्रावती	Mysore Iron and Steel Limited, Bhadravati	83
3340.	कर्नाटक में कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि	Employees Provident Fund arrears in Karnataka . .	83
3341.	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों को नियुक्ति	Appointment of Regional Provident Fund Commissioners	84
3343.	पाकिस्तान द्वारा स्थल सीमाओं का उल्लंघन	Ground violations committed by Pakistan . . .	84
3344.	भारत द्वारा विदेश नीति का पुनरावलोकन	Review of Foreign Policy by India	84–85
3345.	संयुक्त राष्ट्र संघ में आणविक परीक्षणों की निन्दा करने का प्रस्ताव	Resolution in U.N. to Condemn Nuclear Tests	85
3346.	खेतड़ी तांबा परियोजना में औद्योगिक संबंध	Industrial Relations in Khetri Copper Project . . .	85–86
3347.	प्रबंध समिति द्वारा खेतड़ी तांबा परियोजना के महाप्रबंधक का कार्यभार संभाला जाना	General Manager, Khetri Copper Project Replaced by Managing Committee . . .	86
3348.	कोलिहान खानों से खेतड़ी स्टाक फाइल के लिए हवाई रज्जूपथ	Aerial Ropeway from Kolihan Mines to Khetri Stockpile .	86–87
3349.	खेतड़ी तांबा परियोजना की प्रबंध समिति के पास अधिकार न होना	Managing Committee, Khetri Copper Project, without Powers	87
3350.	हिन्द महासागर के बारे में श्री लंका के प्रधान मंत्री के साथ बातचीत	Discussions with Prime Minister of Shri Lanka on Indian Ocean	88
3351.	अलौह धातुओं का राज्यवार आवंटन	Statewise Allocation of Non-Ferrous Metal . . .	88

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3352.	पाकिस्तान के साथ वायु सम्पर्क के लिए बातचीत	Talks with Pakistan on Air links	89
3353.	गार्ड प्रशिक्षण केन्द्र, कोटा में सैनिकों को शुद्ध दूध की सप्लाई	Supply of Pure Milk to Soldiers in Guard Training Centre, Kotah	89
3354.	गार्ड ट्रेनिंग सेन्टर, कोटा के अधिकारियों के लड़कों के लिए बसों का प्रबंध	Arrangement of Buses for Boys of Officers of Guard Training Centre, Kotah . . .	89
3355.	रूसी नौसैनिक जहाजों को बंदरगाह की सुविधाओं की कथित व्यवस्था	Alleged Provision of Harbour Facilities to Russian Naval Ships . . .	90
3356.	मध्य प्रदेश की फर्मों को शीतागार (कोल्ड स्टोरेज) सुविधाओं के अभाव में पोलिओ वैक्सीन खरीदने और बेचने की अनुमति	Firms in Madhya Pradesh allowwed to Buy and Sell Polio Vaccine without having cold Storage Facilities . .	90
3357.	बीकानेर जिप्सम लिमिटेड, उदेपुर	Bikaner Gypsum Ltd. Udaipur	90
3358.	भारतीय श्रमिक सम्मेलन	Indian Labour Conference	90–91
3359.	विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली में श्रीमोहन सब्बरवाल की मृत्यु	Death of Shri Mohan Sabharwal in Willingdon Hospital, New Delhi	91
3360.	विभिन्न वीरता पुरस्कार संबंधी अलंकरणों के साथ दिये जाने वाले भत्तों में वृद्धि	Increase in Allowances Attached to various Gallantry Awards Decorations . . .	91–92
3361.	विक्रांत के स्थान पर नया पोत रखना	Replacement of Vikrant .	92
3362.	बंगलोर में एच० एफ०-24 विमान का उत्पादन	Production of H.F. 24 Aircraft in Bangalore . . .	92–93
3364.	औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन	Amendment of Industrial Disputes Act . . .	93
3365.	दिल्ली के कथित जाली औद्योगिक एककों को इस्पात की सप्लाई	Supply of Steel to Alleged Bogus Industrial Units of Delhi	93–94
3366.	बलोच तथा पठान संबंधी मामले पर अफगानिस्तान को भारत का समर्थन	India's Support to Afghanistan over Baluch and Pathan Issue	94
3367.	भारतीय नौवहन निगम का विस्तार कार्यक्रम	Expansion Programme of Shipping Corporation of India .	94
3368.	मध्य प्रदेश में हंगेरी के सहयोग से एल्यूमिनियम संयंत्र	Aluminium Plant with Hungarian Collaboration in M.P. .	95
3369.	भारत में मैक्समूलर भवन	Max Muller Bhavans in India	95–96
3371.	पाकिस्तान के प्रधान मंत्री तथा चीन के उपराष्ट्रपति के बीच वार्ता	Talk between Prime Minister of Pakistan and Vice President of China . . .	96

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3372.	राउरकेला इस्पात संयंत्र के उत्पादन में कमी	Production Loss in Rourkela Steel Plant	96–97
3373.	कम वेतन पाने वाले श्रमिकों को संरक्षण	Protection to low paid Workers	97
3374.	दिल्ली परिवहन निगम में बस यात्रियों पर जुर्माना	Fine on Bus Passengers in DTC	97–98
3375.	मिलिटरी इंजीनियरिंग सेवा को धनराशि का आवंटन	Allotment of Funds to Military Engineering Service . .	98
3376.	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, कानपुर के कर्मचारियों की छंटनी तथा बदली	Retrenchment and Transfer of Employees of Hindustan Aeronautics Ltd., Kanpur . .	98–99
3377.	जनवरी, 1973 में हुए श्रम मंत्री सम्मेलन की सिफारिशें क्रियान्वित करना	Implementation of recommendations of Labour Ministers' Conference held in January, 1973	99
3378.	परिवार नियोजन के निदेशक आयुक्त की नियुक्ति	Appointment of Director (Commissioner) of Fimily Planning	99–100
3379.	मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में खनिजों के लिए भूतत्वीय विशेषज्ञों द्वारा सर्वेक्षण	Geological Experts' Survey of M.P. and U.P. for Minerals	100
3380.	आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सा प्रयोजनों के लिए जड़ी बूटियों और पौधों संबंधी अनुसंधान	Research on Herbs and Plants for Medical Purposes in Tribal Areas . . .	100–101
3381.	'सेल' इंटरनेशनल	SAIL International . .	101
3382.	भारत और नेपाल के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 में दरार	Breach on National Highway No. 28 between India and Nepal	101–102
3383.	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में एक रोगी की मृत्यु के संबंध में जांच कार्यवाही का पूरा होना	Completion of Inquiry into Death of a Patient at AIIMS, New Delhi	102
3384.	आवश्यकता पर आधारित राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी पर विचार करना	Consideration of Need based National Minimum Wage .	102

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
स्थगन प्रस्ताव के बारे में—	Re. Adjournment Motion—	
केन्द्रीय सरकार के कर्मचारीयों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने संबंधी प्रश्न	Re. Question of Additional Dearness Allowance to Central Government employees . . .	103–105
विशेषाधिकार का प्रश्न—	Question of Privilege—	
आयात लाइसेंस कोड	Import licence case . .	105–107
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	107–113
मंत्री द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण—	Personal explanation by Minister—	
श्री उमा शंकर दीक्षित	Shri Uma Shankar Dikshit	113–116
अतिरिक्त सुरक्षा बनाए रखना (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प—अस्वीकृत	Statutory resolution re. Disapproval of Maintenance of Internal Security (Amendment) Ordinance—negatived	116
और	and	
अतिरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम के अधीन मजूरमंत्री आदेशों के संबंध में किसी न्यायालय में जाने के नागरिक अधिकारों के निलंबन संबंधी राष्ट्रपति के आदेशों के निरनुमोदन के बारे में प्रस्ताव—अस्वीकृत	Motion re. Disapproval of Presidential Order suspending Citizens' right to move a court against detention orders under MISA—negatived	116
और	and	
विदशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण विधेयक—	Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling activities Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
प्रो० नारायण चन्द पाराशर	Prof. Narain Chand Parasher	116–117
श्री जनेश्वर मिश्र	Shri Janeshwar Misra .	117–118
श्री सी० सुब्रह्मण्यम्	Shri C. Subramaniam .	118–127
खंड 2 से 14 और 1	Clauses 2 to 14 and 1 .	127–136
पारित करने का प्रास्ताव-संशोधित रुप में	Motion to Pass, as amendded	136

(C)—42 L.S.S. (N.D.)/74

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरूवार, 5 दिसम्बर, 1974/14 अग्रहायण, 1896 (शक)
Thursday, December 5, 1974/Agrahayana 14, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

पोलैण्ड के संसदीय प्रतिनिधि मण्डल का स्वागत

WELCOME TO THE POLISH PARLIAMENTARY DELEGATION

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य गण ! सबसे पहले मुझे एक घोषणा करनी है ।

मुझे तथा सभा के माननीय सदस्यों को महामहिम श्री स्टेनिलो गुक्वा, संसद-सदस्य, पोलैण्ड की संसद के अध्यक्ष और पोलैण्ड के संसदीय प्रतिनिधि मण्डल के माननीय सदस्यों का, जो हमारे माननीय अतिथियों के रूप में भारत की यात्रा पर आये हैं, स्वागत करने में अत्यन्त प्रसन्नता है । प्रतिनिधि मण्डल के अन्य सदस्यों के नाम हैं :

1. श्री एण्ड्रजेज बेनेस्ज, संसद-सदस्य पोलैण्ड-संसद के उपाध्यक्ष

2. श्री मोकिस्लो हेब्डा, संसद-सदस्य

3. श्री जिजिस्लो सोलुच, संसद-सदस्य

4. श्रीमती जनीना मैकोस्का, संसद-सदस्य

5. श्री जान बबिस्की }
6. श्री बर्नार्ड जानियक } अधिकारी

प्रतिनिधिमण्डल आज प्रातःकाल भारत पहुंचा तथा यह यहां 13 दिसम्बर, तक ठहरेगा । प्रतिनिधिमण्डल के सदस्य गण विशेष बाक्स में विराजमान हैं । हम कामना करते हैं कि वे हमारे देश में प्रसन्नतापूर्वक रहें तथा उनका आगमन सफल रहे । उनके माध्यम से हम पोलैण्ड की संसद, सरकार और वहाँ की जनता के लिये हार्दिक शुभकामनाएँ करते हैं ।

प्रश्नों क मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के ठेका श्रमिकों की छंटनी

*328. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के 500 ठेका-श्रमिकों की छंटनी के बारे में उनके मन्त्रालय को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ ; और

(ख) यदि हाँ, तो छंटनी किये गये उन श्रमिकों को नौकरी पर बहाल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : (क) दुर्गापुर इस्पात कारखाने में ठेका मजदूरों की तथाकथित छंटनी के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) सरकार द्वारा कोई कदम उठाने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि यह मामला कारखाने के दिन प्रतिदिन के प्रशासन का मामला है और इसका सम्बन्ध ठेकेदारों द्वारा मजदूरों की भर्ती से हैं ।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : महोदय ! परिस्थिति की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुये इसकी पृष्ठभूमि की व्याख्या करने के लिये मुझे थोड़ा सा समय दीजिये । मेरे प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर मेरे विचार से, मंत्री महोदय का उत्तर प्रतीत नहीं होता । यह दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के महाप्रबन्धक के उत्तर प्रतीत होता है । इस उत्तर को सुनकर मुझे आश्चर्य ही नहीं हुआ वरन निराशा भी हुई है । यह मामला संयंत्र के दैनिक प्रशासन का मामला ही नहीं है । इसका सम्बन्ध दुर्गापुर इस्पात संयंत्र द्वारा इस्पात के उत्पादन से भी है । 21 तथा 23 अगस्त को डी० एस० पी० की सहकारी समितियों के लगभग 700 श्रमिकों की छंटनी की गई । इनमें से अधिकांश श्रमिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं । ये इस्पात संयंत्र के कमजोर वर्ग के मजदूर हैं ।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या यूनाइटिड कांट्रेक्टर्स वर्कर्स यूनियन, एच० एम० ई० यू० (सी० आई० टी० यू०), डी० एम० एम० डब्ल्यू० (ए० आई; टी० यू० एस०), डी० एम० डब्ल्यू० सी० सी० (यू० टी० यू० सी०) और प्रोग्रेसिव लेबर यूनियन द्वारा कई प्रतिनिधि मण्डल भेजे गये तथा प्रदर्शन किये गये, क्या प्रबन्धकों ने उन श्रमिकों के समर्थन में उक्त पांच यूनियनों द्वारा आयोजित व्यापक प्रदर्शन के नेताओं से मिलने से इन्कार कर दिया तथा श्रमिकों को दिनांक 3 अक्तूबर को एक दिन की हड़ताल करने को विवश कर दिया और क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्रके प्रबन्धकों तथा यूनाइटिड कांट्रेक्टर्स वर्कर्स यूनियन ने 7 सितम्बर, 1974 को एक सम्मेलन में इस मामले पर संयुक्त श्रम आयुक्त के साथ दुर्गापुर में उसके चेम्बर में विचार-विमर्श किया था और ठेकेदारों और प्रबन्धकों से यह सिफारिश की गई थी कि जिन कर्मचारियों के नाम 28 जुलाई, 1974 तक वेतन पंजी में अंकित थे उनसे बिना कोई बांड भराये काम पर वापिस लिया जाये ?

श्री चन्द्रजीत यादव : इस मामले की एक पृष्ठभूमि है । 1972 में प्रबन्धकों ने यह अनुभव किया कि ठेकेदारों ने, जिन्होंने श्रमिक नियुक्त किये थे अपनी मांगें बढ़ानी आरम्भ कर दी, वे अधिक भुगतान की मांग कर रहे थे किन्तु उसमें से श्रमिकों को कोई लाभ नहीं दे रहे थे और उन्होंने यह भी महसूस किया कि श्रमिकों को कोई लाभ नहीं हो रहा था जब कि ठेकेदार स्थिति का अनुचित लाभ उठा रहे थे । अत: प्रबन्धकों ने श्रमिकों की सहायता के लिये यह प्रस्ताव किया कि श्रमिकों का पूल बनाया जाना अधिक उपयुक्त रहेगा जिससे कार्य के लिये उस पूल में से श्रमिकों को नियुक्त किया जा सके तथा श्रमिकों को उपयुक्त मजूरी मिल सके । इस मामले पर प्रबन्धकों ने संयंत्र की सभी प्रमुख यूनियनों से एक समझौता करने का प्रयत्न किया । दुर्भाग्य से यूनियन के नेताओं ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया । इसीलिये वहाँ विवाद खड़ा हो गया ।

बाद में कुछ बेरोजगार नवयुवकों तथा उस क्षेत्र के कुछ अन्य लोगों ने कुछ यूनियन स्थापित की तथा उन्होंने कहा कि रोजगार के मामले में सहकारी यूनियनों को प्राथमिकता दी जाये। प्रबन्धकों ने इस प्रस्ताव को उत्तम समझा क्योंकि श्रमिक अपनी सहकारी यूनियनों के माध्यम से आयेंगे तथा ठेकेदार उनका शोषण नहीं कर पाएंगे।

दुर्भाग्य से संयंत्र में यूनियनों में पारस्परिक वैमनस्य है। इन सहकारी यूनियनों का प्रबन्ध कुछ ऐसे व्यक्तियों के हाथों में है जो किसी यूनियन से सम्बद्ध हैं। जिन श्रमिकों ने इन कोआपरेटिव्ज में प्रवेश किया है वे विभिन्न यूनियनों से सम्बन्धित हैं। प्रबन्धकों ने यह बात पूर्णरूप से स्पष्ट कर दी है कि जिन श्रमिकों को ठेकेदारों ने छंटनी कर दी है यूनियनों द्वारा श्रमिकों का नियुक्ति करते समय उन सभी श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाये। यूनियन ने उन श्रमिकों को रोजगार देना स्वीकार कर लिया। किन्तु बाद में श्रमिकों के एक वर्ग ने, जब उन्होंने कार्यभार सम्भाला, वहाँ कठिनाइयां उत्पन्न करना आरम्भ कर दिया। उन्होंने धीरेधीरे कार्य करना आरम्भ कर दिया, उन्होंने कारखाने के ओवन सैक्शन तथा धमन भट्टी सैक्शन के कार्य में भी बाधा डाली। भट्टी के लिये कोयला नहीं ले जाने दिया गया। कारखाने के अन्य कार्यों में भी बाधा डाली गई। इस स्थिति में जब वहाँ सारा काम ठप हो रहा था, सहकारी समितियों ने स्वयं कार्यवाही की तथा कुछ श्रमिकों के प्रवेश-पत्र रद कर दिये। किन्तु उन्होंने यह बात स्पष्ट कर दी तथा एक अनुकूल प्रस्ताव किया कि उन 20 व्यक्तियों को छोड़कर जिनके विरुद्ध पुलिस केस हैं शेष सभी छटनी सुदा श्रमिकों को काम पर वापस ले लिया जाये। वर्तमान स्थिति यही है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है वह सही नहीं है। उन्होंने कहा है कि कुछ बेरोजगार युवकों ने सहकारी समिति बनाई। उस सहकारी समिति के चेअरमेन श्री लबायत घटक हैं जो गैर मान्यताप्राप्त यूनियन अर्थात् 'इंटक' यूनियन के एक नेता है। यह यूनियन उस तीन स्तरीय समिति से बनी जो राज्य श्रम मंत्री, श्री गोपाल दास नाग के प्रयत्नों से स्थापित हुई थी। यही लोग इस इस्पात संयत्र में समस्या उत्पन्न कर रहे हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या 16 अक्तूबर, 1974 को पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री के कक्ष में एक बैठक हुई थी जिसमें दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के प्रबन्धकों, ठेकेदारों और पांचों यूनियनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। तथा श्री गोपाल दास नाग ने यह सिफारिश की थी कि ठेकेदारों के सभी श्रमिकों को जिनकी संख्या लगभग 700 है, 19 अक्तूबर, 1974 तक वापस काम पर ले लिया जाये। महोदय! आज 5 दिसम्बर है। मैं जानना चाहता हूं कि राज्य श्रम मंत्री, श्री गोपाल दास नाग की उस सिफारिश को क्यों स्वीकार नहीं किया गया तथा क्यों क्रियान्वित नहीं किया गया।

मैं श्रमिकों का भी कल्याण चाहता हूं और इस्पात उत्पादन में भी उतनी की रुचि रखता हूं। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि इन श्रमिकों को शीघ्र काम पर वापस नहीं लिया गया तो मुझे भूख हड़ताल करनी पड़ेगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय मुझे भख हड़ताल करने के लिय विवश करेंगे तथा सभी श्रमिकों को यथाशीघ्र काम पर वापस लेने से इन्कार करेंगे। मैं जानता हूं कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के प्रबन्धक ठेकेदारों से मिले हुये हैं...

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया समाप्त करिए।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : जनता को धनराशि को लूट रहे हैं। क्या इस बारे में कोई जांच कराई जायेगी?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को ज्ञात होना चाहिये कि प्रश्न काल में वह केवल प्रश्न कर सकते हैं, भाषण नहीं दे सकते।

श्री चन्द्रजीत यादव : यह सच है कि पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री ने एक बैठक की थी जिसमें सभी यूनियनों और प्रबन्धकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे तथा पश्चिम बंगाल के मंत्री ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि मित्रतापूर्ण समझौता होना चाहिये। उस बैठक में हुये विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए यूनियनों

ने यह प्रस्ताव किया, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि जो श्रमिक काम पर आना चाहते हैं उनको काम पर ले लिया जायेगा किन्तु उसकी एक शर्त यह होगी कि उनके कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने के लिये तथा जो श्रमिक काम करना चाहते हैं उनको काम से रोकने के लिये संयंत्र में प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा .... (**व्यवधान**) ... कृपया थोड़ी देर ठहरिये । पूर्व स्थिति यह थी कि इन श्रमिकों ने संयंत्र में जाकर, काम करने के बजाय उन श्रमिकों को काम करने से रोकना आरम्भ कर दिया जो काम करना चाहते थे और इस प्रकार संयंत्र का काम ठप हो गया । उस समय स्पष्ट प्रस्ताव किया गया तथा मैं श्रमिकों को भी आश्वासन देना चाहता हूं तथा मैं उनसे यह अनुरोध करता हूं कि वे अपना सहयोग दें तथा माननीय सदस्य अपने मित्रों से, जो सी० आई० टी० यू० से सम्बद्ध हैं, कहें कि वे अपना सहयोग दें । हम सभी श्रमिकों को रोजगार देना चाहते हैं । किसी भी श्रमिक को परेशान करने का कोई विचार नहीं है तथा वे प्रसन्नता-पूर्वक काम पर आयें किन्तु वे कारखाने के उत्पादन में कोई व्यवधान न डालें ।

श्री प्रिय रंजनदास मुंशी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि वर्ष 1968, 1969 और 1970 के दौरान बिना किसी मानदण्ड के ही ठेकेदार-श्रमिक और गैर-तकनीकी पदों के लिए भारी संख्या में तृतीय श्रेणी कर्मचारी भर्ती करने के लिए दुर्गापुर इस्पात संयन्त्र के प्रबन्धकों पर जानबझकर दबाव डाला गया और क्या यह भी सच नहीं है कि दुर्गापुर इस्पात संयन्त्र के प्रबन्धक सी० आई० टी० यू०, ए० आई० टी० यू० सी०, इन्टक आदि मजदूर संघों की इच्छानुसार गैर तकनीकी पदों में या चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नवयुवकों की भर्ती करने की नीति का अभी भी अनुसरण कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक रूप से बेरोजगार नवयुवकों को अपनी प्रतिमा प्रदर्शित करने और अपनी योग्यता के बलबूते पर रोजगार प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं रह जाता ?

श्री चन्द्रजीत यादव : यह एक सर्वविदित तथ्य है कि दुर्गापुर संयन्त्र में दुर्भाग्यवश निरन्तर श्रमिक विवाद बना रहा है । हमारा प्रयास सभी यूनियनों से सहयोग प्राप्त करने और यह सुनिश्चित करने का रहा है कि कर्मचारियों को उनका उचित वेतन मिले और काम में रुकावट न होने पाये । यह सच है कि यूनियनें दबाव डालती रही हैं और यूनियनों के नेताओं को किसी समझौते पर आने के लिए राजी करने का हमने सदैव प्रयास किया है जिससे जो लोग रोजगार पाने के पात्र हैं, वे उस अवसर से वंचित न होने पायें । कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए और कारखाने के काम में रुकावट नहीं आनी चाहिए । हमने इस प्रयोजन से निरन्तर प्रयास किया है । मुझे सदन को इस बात की जानकारी देते हुए हर्ष है कि पिछले छः महीनों के दौरान उक्त कारखाने में कोई बड़ा श्रमिक विवाद नहीं हुआ है और हम आशा करते हैं कि सभी यूनियन नेता हमारे साथ सहयोग करेंगे । यनियनों का सह-योग प्राप्त करने के लिए हम हर संभव प्रयास अपनी ओर से करेंगे ।

श्री प्रिय रंजनदास मुंशी : मैंने यह पूछा था कि क्या यह सच नहीं है कि वर्ष 1968, 1969 और 1970 के दौरान राजनैतिक दबाव के कारण गैर-तकनीकी पदों पर भारी संख्या में नौजवान नियुक्त किये गये थे ?

अध्यक्ष महोदय : यह मुख्य प्रश्न के दायरे में नहीं आता ।

श्री पी० आर० शिनाय : मैं यह जानना चाहता हू कि संविदा श्रमिकों सहित दुर्गापुर संयन्त्र में कुल कर्मचारियों की संख्या वास्तविक जरूरत की तुलना में कहीं अधिक है और यदि हाँ, तो कितने कर्मचारी ज्यादा है ?

श्री चन्द्रजीत यादव : यह इस प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता ।

Shri Ramavatar Shashtri : The Government has continuously been stating to do away with the contract labour, but this system of contract labour is still persisting and contractors are victimising the labour. I would like to know as to what are the obstacles in doing away with this system of contract labour and getting the work done in all the public undertakings by the departmental workers ? Why is it that Government is not introducing a Bill for the abolition of contract labour, when it is the declared policy of the Government to do away with contract labour?

Shri Chandrajit Yadav : Perhaps the Honourable Member has not listened me properly. I had earlier said that the contractors were not paying the wages to the labour properly, that is why the management themselves put forward a proposal to do away with contract labour and to form a pool of departmental workers. This proposal was put forward in 1972. The Trade Unions said that it would be considered. Later on, they did not cooperate with this move. Recently on 19th June, 1973, the management asked the leaders of all the Unions to co-operate with the move of abolishing the contract labour and forming a departmental pool so that they might get fair wages and could do away with exploitation but the Unions did not agree to it.

Shri Ramavatar Shastri : Which of the Unions?

Shri Chandrajit Yadav : All the Unions. None of the m could agree to it. The next best method was to entrust the work to be done to the co-operatives of the labourers there.

Suspension of officers of Bokaro Steel Plant

*329. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state the number of Officers of Bokaro Steel Plant suspended and the number of those against whom action was taken on charges of corruption and indiscipline during the last three years?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : पिछले तीन वर्षों के दौरान बोकारो स्टील लि० के एक अधिकारी को मुअतल किया गया, दो अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया गया और अन्य चार अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता के आरोपों के लिए कार्रवाई की गई ।

Shri Shankar Dayal Singh : Through you, Sir, I would like to know from the Honourable Minister whether he had visited Bokaro Steel Plant, which is one of the biggest Public Sector Undertakings in the Country after he had assumed the charge of the Ministry Whether it is a fact that incidents of indiscipline occurred in his presence and whethe any official or Engineer induldged in indiscipline in any meeting and if so, what action has been taken against him?

Shri Chandrajit Yadav : Sir, the Honourable Member has very correctly said that Bokaro is a very big plant of our Country and as is the plan, this steel plant would be one of the biggest plants of not only our own country, but of the whole world.

The Honourable Member would be happy to know that the first thing which I did was to nave a visit of the four major steel plants of the Country. I also met the Union leaders. I also went to Bokaro. The Honourable Member is trying to draw the attention to a particular incident—it is correct that some persons were trying to create indiscipline there. Appropriate action has been taken against those who indulged in indiscipline.

Shri Shanker Dayal Singh : You have not stated as to what action has been taken against them ? whether any official indulged in indiscipline in your presence and what action was taken against him.

Shri Chandrajit Yadav : Sir, It is not necessary that urgent action should be taken against a particular person because he induldged in indiscpline in my presence. We are required to have a liberal attitude in such matters. But the action taken is as follows—a person concealed the facts from the management and later on it come to light that he had participated in certain agitations and was arrested and information of arrest was concealed, that is why action was taken against him.

Shri Shankar Dayal Singh : I would like to know as to how many of the person who have been suspended or against whom action is being taken, are facing C.B.I. enquiry?

Secondly, what were the charges against the persons who were suspended or were removed from service?

Shri Chandrajit Yadav : One of them was Shri K. L. Gandhi, Assistant Staff Officer, Bokaro, who was suspended on 20th of August.

Shri Ramavatar Shastri : On what charge ?

Shri Chandrajit Yadav : It was charged that he tried to present false bills in collusion with the Contractor. C. B. I. has also registered a case against him.

The services of Shri L. R. Malik, Assistant Safety Engineer and Shri S.N. Sahay, Zonal Engineer(Civil) were terminated on 28th of September and 3rd of October respectively. Shri Sahay tried to put forward false documents to make payment of a sum of Rs. 72,000 wrongfully. When it was detected that he was trying to indulge in malpractice, his services were terminated. C. B. I. has registered a case against him also.

Actions have also been taken against three officials, Shri V. B. Rao, Assistant Geologist (Raw material Deptt.), Shri K. K. Gadgil, Senior Geologist and Shri B. S. Sengupta, Assistant Geologist. C. B. I. has registered cases against them also. These persons tried to indulge in malpractice regarding captive lime stone quarries of Bokaro.

One, Shri S. P. Aggarwal is also facing C. B. I. enquiry. He had swindled away 11,50,000 of rupees in collusion with the Contractor. He himself resigned his service, but C. B. I. enquiry is going on and our plant is following up this case.

श्री भागवत झा आजाद : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या बोकारो और दुर्गापुर जैसे प्रमुख सहकारी उपक्रमों में अनुशासनहीनता की ये घटनायें अपवादस्वरूप घटनायें हैं अथवा इस तथ्य की वजह से हैं कि प्रबन्ध में श्रमिकों को शामिल नहीं किया जाता, जैसी कि सरकार की घोषित नीति है और जिसके बारे में इस सदन में बार बार उल्लेख किया गया है और इस वजह से श्रमिकों और प्रबन्धकों के बीच बातचीत नहीं हो पाती; यदि हाँ, तो इस अनुशासनहीनता को किस प्रकार खत्म करने का वर्तमान मन्त्री महोदय का विचार है ?

श्री चन्द्रजीत यादव : मेरे विचार में सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों में आम अनुशासनहीनता नहीं है और इस प्रकार का सामान्य वक्तव्य सही नहीं होगा। लेकिन मैं माननीय सदस्य से इस मामले में सहमत हूं कि बातचीत होनी चाहिए और फार्मुला निश्चित करने के लिए सदैव प्रयास करते रहे और फार्मूले के अनुसार प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के उपक्रममें विभिन्न स्तरों पर प्रबन्ध में कर्मचारियों को शामिल किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया, हमारा विचार प्रबन्धक बोर्ड में कर्मचारियों को शामिल करना है। लेकिन यूनियनें कोई सुझाव नहीं दे सकीं और वे किसी समझौते पर नहीं पहुंच सकीं, लेकिन हमारा विचार यूनियन नेताओं से और आगे बातचीत करने का है ताकि यह सम्भव हो सके। श्रमिकों के प्रतिनिधि यह महसूस करते हैं कि प्रबन्धक बोर्ड में नियुक्ति आम पर्याप्त नहीं है, बल्कि संयन्त्र के विविध स्तरों पर उन्हें शामिल किया जाना चाहिए। हमने उसके लिए समाधान निकाला है और कर्मचारियों को विभिन्न समितियों में शामिल होने का अवसर दिया जाता है।

मध्य प्रदेश में फेरो मैंगनीज संयंत्र

***330. श्री आर० वी० बडे :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश में मैंगनीज अयस्क निक्षेपों की प्रचुर संभाव्यता को देखते हुए उस राज्य में एक फेरो मैंगनीज संयंत्र स्थापित करने की सरकार की कोई योजना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : जी, नहीं ।

Shri R. V. Bade : The Govt. of M. P. had sent an application for setting up a Ferro-Manganese plant in M. P., but no reply has been sent so far?

Shri Chandrajit Yadav : Sir, according to the survey of Ferro-Manganese in M. P. it has been revealed that there are many places in M. P. like Bhilai, Tumsur and Gondia where there are deposits of Ferro-Manganese. The survey work was entrusted to "MACAN"

and they were asked to submit a Techno-economic feasibility report after proper investigation. They submitted the report and suggested that a plant with a capacity of 60,000 tonnes be set up at Bhilai. Then they were asked to examine whether a bigger plant could be set up there. Then they submitted their report for setting up a plant with a capacity of 1,20,000 tonnes. When our Ministry took up this matter with the Planning Commission, the Planning Commission opined, in view of the difficult resources position that our requirements of ferro-manganese are already being met and we are exporting it abroad. This year we would export to the tune of 50,000 tonnes. They said that keeping in view the paucity of resources and priority order, we were unable to set up a plant in Fifth Five Year Plan.

Shri Nathu Ram Ahirwar : Mr. Speaker, Sir, the Honourable Minister has just now stated that Manganese ore is not available in sufficient quantity. Whether Government are aware of the fact that the Manganese ore mines in M. P. have large-deposits there, but it is not being extracted and as a result, more than 25,000 workers are being retrenched.

Mr. Speaker : You are passing on information instead of asking for it.

क्षय रोग से पीडित व्यक्ति

*332. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि एक करोड़ से अधिक व्यक्ति क्षय रोग से पीडित हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस रोग के उन्मूलन के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) देश में स्पष्ट रूप में क्षय रोग से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या अनुमानत: 80 से 90 लाख के बीच है ।

(ख) क्षय रोग की रोकथाम करने, उसका पता लगाने और इलाज करने के लिए क्षय रोग नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम को पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान तीव्र किया जा रहा है ।

श्री सरोज मुखर्जी : मन्त्री महोदय ने यह कहा है कि इस बारे में एक राष्ट्रीय क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम है । मैं यह जानना चाहता हूं कि उस कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ? दूसरे, चूंकि कुपोषण और अल्प-पोषण क्षय रोग के मुख्य कारण हैं, इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि समाज के निर्धन वर्गों के बच्चों को भोजन उपलब्ध करने पर औसतन कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

श्री ए० के० एम० इसहाक : इस समय इलाज के लिए 40,000 क्षयरोगियों के लिए शय्याओं की व्यवस्था है और इन अस्पतालों में जो रोगी दाखिल किये जाते हैं, उन्हें सभी प्रकार की सुविधायें दी जाती हैं । हमने अन्य के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है ।

श्री सरोज मुखर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि घर-घर जाकर इलाज की व्यवस्था करने के लिये कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने क्षय रोगियों को शामिल कर लिया गया है ?

स्वास्थ और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं । माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि भारत सरकार की क्या नीति है? इस नीति के तीन पहलू हैं । एक तो है—क्षयरोग के अस्पतालों की स्थापना करना । इस समय 600 टी० बी० क्लीनिक कार्यरत हैं । इनमें से 284 क्लीनिकों का दर्जा बढ़ाकर जिला टी०बी० केन्द्र कर दिया गया है । इन क्लीनिकों में क्षेत्रों के लोग आते हैं और इलाज कराके वापस चले जाते हैं । जहाँ तक घर पर इलाज करने का प्रश्न है, वस्तुत: इसका अच्छी तरह से विकास नहीं किया गया है, क्योंकि यह काफी खर्चीली और आधुनिकतम प्रणाली है । दूसरा पहलू है—क्षयरोगियों के लिए शय्याओं की व्यवस्था । इस समय 40,000 क्षयरोग शय्यायें हैं । तीसरा पहलू है—बी० सी० जी० अभियान । इस वक्त 80 करोड़ लोगों को इस अभियान के

अंतर्गत लाया जा चुका है। हमारी नीति एक ओर इलाज के लिए सुविधायें उपलब्ध करना है और दूसरी ओर बी० सी० जी० के अभियान में तीव्रता लाना है।

डा० हेनरी आस्टिन : श्रीमान्जी, यह देखा गया है कि जो लोग गैस और पेट्रोलियम उद्योगों में काम करते हैं, उन्हें फेफड़ें की बीमारी विशेषत: टी० बी० होने की अधिक आशंका रहती है। मुझ आश्चर्य है कि क्या सरकार इन उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कोई सेनेटोरियम स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है? क्योंकि मैं उद्योगों से संबंधित था इसलिये मैंने पाया है कि उन उद्योगों में काम करने वाले व्यक्तियों में क्षयरोग से ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक है।

डा० कर्ण सिंह : यह सभा जानती है कि श्रम मंत्रालय ने औद्योगिक श्रमिकों, जिन पर छाती के रोगों से पीड़ित होने का सन्देह है, की समस्याओं को हल करने के लिये उन निमित्त क्षेत्रों में विशेष अस्पताल खोल रखे हैं। ये रोग श्रमिकों, विशेषकर कोयला-खानों में काम करने वाले श्रमिकों में आमतौर से व्याप्त हैं। इन भयानक रोगों का इलाज करने के लिये श्रम मंत्रालय ने अपने अस्पताल खोल रखे हैं जहां इन समस्याओं का समाधान किया जाता है।

श्री एस० एम० बनजीर : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि सरकारी कर्मचारी क्षयरोग का शिकार हो जाते हैं और उन्हें दो वर्ष तक नौकरी पर तो बने रहने दिया जाता है, परन्तु उन का बीमारी की छुट्टी को बिना वेतन की छुट्टी माना जाता है तथा साथ ही उन्हें पोषक भोजन खाने का परामर्श दिया जाता है।

अत: मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह बात मंत्री महोदय की जानकारी में आई है और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस छुट्टी की सारी अवधि को, कम से कम आधे वेतन पर छुट्टी के रूप में माना जाये ताकि ये लोग अपना निर्वाह तो कर सकें?

डा० कर्ण सिंह : यह कार्यवाही के लिये सुझाव है जिनका हम अध्ययन करेंगे।

Shri Chandrika Prasad : There is acute poverty in backward areas and that is why T. B. cases are there more than in other areas, and when the MPs of backward areas, where there are no T. B. hospitals, try to get the T.B. patients admitted in tne hospitals elsewnere they are not allowed. So, either you provide hospititals in backward areas or you fix quota, tne patients from backward areas in the hospitals elsewhere so that people from backaward areas also get relief.

Dr. Karan Singh : I myself belong to a backward area and thus I am well aware of their difficulties. The hon. Member has very rightly pointed out that there is a dearth of T. B. Hospitals in backward areas, and only primary heath centres are there to treat the people. The hon. Member has suggested for fixing quota for backwardareas in tne hospitals situated in big cities. But the difficulty is that these people are poor and it is difficult for them to reach big cities and arrange for their stay etc. But since T. B. hospitals are under the State Governments, we are asking them to give priority in this respect to the backward districts.

श्री दिनेश जोरहट : क्या मंत्रालय ने देश भर में **क्षय रोग** के शिकार लोगों के निमित्त आम-वर्गों तथा उनकी विशेषकर आदिवासी लोगों की प्रतिशतता का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया है? कितने प्रतिशत लोग इस रोग के शिकार हैं तथा क्या यह सच है कि अधिकांश क्षयरोग चिकित्सालयों में इलाज तथा जांच के लिये समुचित साज-सामान नहीं है? दवाईयां भी उपलब्ध नहीं हैं तथा यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है तो इन चिकित्सालयों को वे कल-पुर्जे भी सप्लाई नहीं किये जाते हैं। धन की कमी के कारण ये चिकित्सालय कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर रहे हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है या कि नहीं कि नये क्षयरोग चिकित्सालय देश के उन भागों में खोले जा रहे हैं जहां क्षयरोगियों की संख्या बहुत अधिक है?

डा० कर्ण सिंह : जैसा कि मैंने कहा, मैं मुख्य प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहा था कि देश भर में 1.8 प्रतिशत लोग इस क्षयरोग के शिकार हैं। इसका अर्थ है कि कुल संख्या बहुत अधिक है। यह लगभग 80 या 90 लाख तक पहुंचती है। अनेक सर्वेक्षण किये गये हैं। मैंने बंगलौर स्थित क्षयरोग के राष्ट्रीय संस्थान का दो बार दौरा किया है तथा विभिन्न वर्गों के लोगों की संख्या जानने के लिये अनेक सर्वेक्षण किये गये हैं। मुझे इस समय तो मालूम नहीं कि आदिवासी क्षेत्रों के कितने लोगों को यह रोग है। आदिवासी लोग देश भर के विभिन्न भागों में फैले हुए हैं।

साज-सामान संबंधी प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तीसरी तथा चौथी योजनाओं के दौरान 'यूनीसैफ़' से हमें कुछ अत्यन्त मूल्यवान उपकरण प्राप्त हुए थे। क्षयरोग के लिये मुख्य उपकरण एक्स रे मशीनें तथा एक्सरे प्लेटें हैं। ये उपकरण ठीक तरह से कार्य कर रहे ह। परन्तु 'यूनीसैफ़' का अनुदान चौथी पंचवर्षीय योजना के साथ ही समाप्त हो गया। हमारे सामने अब पांचवी योजनावधि में शेष केन्द्रों के लिये उपकरणों तथा औषधों के प्राप्त होने की समस्या है। परन्तु मेरे विचार से बी० सी० जी० प्राप्त होने में कोई बड़ी कठिनाई आड़े नहीं आई है। क्षयरोग औषधों के अतिरिक्त रोगियों को पोषाहार आदि की आवश्यकता भी होती है। वस्तुतः यही हमारी कमजोरी है क्योंकि हमारा आम स्तर बहुत नीचा है और उन्हें ये चीजें देना बड़ा कठिन है। मेरे विचार से अस्पतालों में समुचित साज-सामान हैं। परन्तु मैं यह स्वीकार करूंगा कि पोषाहार के बारे में हमारा स्तर वस्तुतः ही बहुत नीचा है।

Shrimati Sahodarabai Rai : Women in rural areas suffer more from T. B. Is it not possible to afford some facilities to women T.B. patients in rural and backward areas?

Dr. Karan Singh : Tribal areas are having health centres in almost each block. There are certain tribal areas in M. P. where there are no centres as yet. One centre after every 10,000 people is going to be opened. We hope that people in rural areas would be able to get medical treatment through these centres.

श्री डी० बसुमतारी : क्या यह सच नहीं है कि आसाम सरकार ने गोहाटी टी० बी० अस्पताल के लिये एक्स रे उपकरण देने के लिये भारत सरकार से अनुरोध किया है? मेरे विचार से डा० कर्ण सिंह ने हाल ही में उक्त अस्पताल का दौरा किया था। मैं जानना चाहूंगा कि क्या उनसे इस तरह का अनुरोध किया गया था, और यदि हां, तो गोहाटी अस्पताल को एक्स रे उपकरण देने के बारे में मंत्री महोदय की क्या प्रतिक्रिया है?

डा० कर्ण सिंह : मैं हाल ही में गोहाटी भी गया था तथा टी० बी० अस्पताल में भी गया था। वस्तुतः, वह मांग कोबाल्ट यूनिट हेतु कैंसर उपकरण के लिये थी। परन्तु यदि एक्स रे उपकरण के लिये भी अनुरोध किया जाता है तो हम उस पर भी विचार करेंगे।

श्री पी० जी० लावलंकर : मंत्री महोदय ने क्षय रोग जैसे भयानक रोग के उन्मूलन के लिये सरकार की नीति की रूपरेखा पेश की है। इस संदर्भ में उन्होंने तीन बातें कही हैं। परन्तु क्या इस नीति में देश के विभिन्न भागों में कार्य कर रही उन स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता करना भी शामिल है जोकि क्षयरोग के उन्मूलन में तथा क्षयरोगियों को चिकित्सालयों, अस्पतालों आदि की सहायता पहुंचाने के कार्यों में लगी हुई हैं? क्या यह सच है कि विशेषकर अहमदाबाद में, क्योंकि वहां कपड़ा उद्योग के मिल है, वहां के कपड़ा मजदूरों को सामान्य अस्पतालों तथा चिकित्सालयों की सुविधाओं से वंचित रखा गया है जिसके फलस्वरूप उनके स्वास्थ्य और अधिक गिरते जा रहे हैं?

डा० कर्ण सिंह : स्वयंसेवी संस्थाओं को निश्चय ही प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मेरे पास तत्संबंधी कुछ आंकड़े हैं। गत चार वर्षों के दौरान हमने स्वयं सेवी संगठनों को विशेष अनुदान के रूप में 30 लाख रुपये दिये हैं। हम समझते हैं कि वे बड़ा ही नेक कार्य कर रहे हैं। अहमदाबाद का जो जिक्र किया गया है, उसके बारे में इस समय मुझे कोई जानकारी नहीं है। परन्तु यदि माननीय सदस्य मुझे पत्र लिखें तो मैं निश्चय ही उसकी जांच करूंगा।

श्री मोहन राज कालिंगारायर : मंत्री महोदय ने कहा है कि देश में 80–90 लाख लोग क्षय-रोगी हैं। मैं जानना चाहूंगा कि टी० बी० अस्पतालों में, लम्बी अवधि तक बीमार रहने वाले कितने क्षयरोगी बिस्तर प्राप्त होने की प्रतीक्षा में ही चल बसे ? इस बीमारी का इलाज लम्बी अवधि तक चलता है। तो मंत्रालय के पास तो रिकार्ड होगा कि टी० बी० अस्पतालों में बिस्तर प्राप्त होने की प्रतीक्षा करते-करते कितने रोगी मर गये ?

डा० कर्ण सिंह : मुझे यह तो नहीं पता कि प्रतीक्षा में कितने व्यक्ति मर गये परन्तु क्योंकि यह बीमारी बिहुत से लोगों में व्याप्त है अतः इससे काफी लोग मरते हैं। आम तौर पर लोग मर जाते हैं परन्तु जो बच जाते हैं उनकी जिन्दगी भी बबाले जान बनकर रह जाती है। इस प्रकार यह एक भारी समस्या है और हमें इसपर बड़ी सावधानी से विचार करना है।

Shri Chandra Shailani : Doctors are of the opinions that nutritious food is more important than drugs. At present the patients in T. B. hospitals are being given food of a very low standard. May I know whether he is aware of it and also what action is being taken or reforms being made in this regard?

Dr. Karan Singh : I do not think that the indoor patients in the hospitals are being given diet of a very low standard, although I do agree that there may be some scope for improvement therein. But the difficulty is that the outdoor patients are not getting adequate food at their homes.

स्वर्गीय बेगम अख्तर के शव को लखनऊ ले जाने के लिये भारतीय वायु सेना के विमान का प्रयोग

*333. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ संसद सदस्यों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने रक्षा मंत्रालय से अनुरोध किया था कि वह यह अनुमति दे दें कि सुप्रसिद्ध गायिका स्वर्गीय बगम अख्तर के शव को भारतीय वायु सेना के विमान से लखनऊ ले जाया जाये ;

(ख) यदि हां, तो विमान न देने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इसके लिए 10,000 रुपये की मांग की गई थी ; और

(घ) क्या स्वर्गीय बेगम अख्तर ने 1965 में भारत पर पाकिस्तानी आक्रमण के समय अपने जीवन को खतरे में डाल कर जवानों के मनोरंजन हेतु कई अग्रिम क्षेत्रों में गाने गाये थे और यदि हां, तो उसके शव को भारतीय वायू सेना के विमान द्वारा बिना किसी लागत के लखनऊ न ले जाये जाने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमन्। एक मौखिक अनुरोध प्राप्त हुआ था परन्तु गैर-सरकारी असैनिकों के शवों को भारतीय वायु सेना के विमान में ले जाने के लिए नियमों में कोई व्यवस्था नहीं है।

(ग) जी नहीं, श्रीमन्।

(घ) जवानों का मनोरंजन करने के अतिरिक्त भी हम इस प्रतिभासम्पन्न महिला की पूरी प्रशंसा एवं आदर करते हैं परन्तु दुर्भाग्यवश, इस मामले में नियमों ने भारतीय वायु सेना के विमान के उपयोग की अनुमति नहीं दी।

Shri S. M. Banerjee : Begum Akhtar's dead body was brought from Ahmedabad to Delhi, and it reached here at about 10.15. After that, not only I but others also—the hon. Minister is sitting here—had requested that if Rs. 10,000 were to be paid that amount could be paid later also but the plane should have been made available to carry the dead body. Her

76 years old mother, a number of admirers and we all had reached Palam and we had urged that Rs. 10,000 would be paid later and that the plane might be made available to carry the dead body, but no heed was paid to our request. Is it not true that in 1965, in Chhab Jaurian area, Begum Akhtar had sung under the shadow of bombs to entertain and to boost the morale of our forces ? Was it, therefore, proper to demand Rs. 10,000 on such a sad occasion and to refuse giving the aircraft even though it was promised that Rs. 10,000 would be paid later on?

Shri Swaran Singh : I do not know whether there was any mention of money. Regarding rules I have admitted that unfortunately the rules are such as do not permit such things.

Shri S. M. Banerjee : Is there any rule that the B. S. F. could be given a plane to arrest George Fernandez, and also that even the dogs of big Generals could easily travel on these planes? Are the dogs not carried in these planes?........(*Interruptions*).

बेगम अख्तर कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि वस्तुत: वह एक संस्था थीं । मंत्री आयेंगे, चले जायेंगे, वे जीवित रहें या मर जायें परन्तु बेगम अख्तर जैसे लोग तो एक ही बार जन्म लेते हैं । ये लोग इस बात को अनुभव करें । मेरा प्रश्न यह है कि क्या 10,000 रुपये की ही बात थी और यदि वे 10,000 रुपये दे दिये जाते तो क्या विमान मिल सकता था ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं कह चुका हूं कि मेरे विचार से 10,000 रुपये की समस्या नहीं थी ।

Shri S. M. Banerjee : Is the hon. Minister aware that there have several such instances wherein the I.A.F. had given their planes? When the dead body was brought here the All India Radio did not care even to make an announcement thereof ?

क्या मंत्री महोदय सभा को यह विश्वास दिला सकते हैं कि भविष्य में प्रसिद्ध कलाकारों, वैज्ञानिकों, दार्शनिकों तथा लेखकों के संबंध में उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा तथा उनके पार्थिव शरीरों को विमान द्वारा ले जाये जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी ? अब यदि मैं मर जाऊं तो मेरे शव तो विमान द्वारा ले जाया जा सकता है परन्तु बेगम अख्तर का नहीं । मैं एक विशिष्ट उत्तर चाहता हूं ।

श्री स्वर्ण सिंह : मुझे आशा है कि प्रसिद्ध लोगों के निधन पर तथा उनके शव को विमान द्वारा ले जाने के संबंध में ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ेगी ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो कार्यवाही के लिये एक सुझाव है ।

Shrimati Sheela Kaul : May I know whether we should have a soft corner for those of our artistes who go to forward areas to entertain our troops, and if so, whether we can make amendments to the rules to this effect ?

Shri Swaran Singh : Certainly we should have a soft corner for the artistes and more so for those who go and entertain the Jawans. But if every body wants that we can certainly consider about making amendments to the rules.

Shri Janeshwar Mishra : Just now it has been replied that the authorities of the I.A.F. plane had demanded Rs. 10,000 for carrying the dead body of late Begum Akhtar. May I know for what purposes other than those connected with armed forces duties, are these planes used—may it be for Prime Minister's election tours—and whether Rs. 10,000 are demanded for that........(*Interruptions*). These people want to shut me down. They can't cow me down by shouting. May it be Begum Akhtar or Indira Gandhi, if the plane is required for purpose other than connected with official duties, would you demand Rs. 10,000?

बम्बई गोदी में जहाजों के ठहरने के लिए स्थान की कमी

*337. **श्री धामनकर :**
श्री वसन्त साठे :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा खरीदे गए खाद्यान्न तथा उर्वरक लाने वाले जहाज बम्बई गोदी में ठहरने के लिए स्थान की कमी के कारण बीच समुद्र में काफी समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) बम्बई गोदी में जहाजों के ठहरने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) बम्बई में इन्दिरा गोदी में गहरे डुबाव के पांच घाट खाद्यान्न एवं उर्वरक जहाजों की धरा उठाई के लिए सुरक्षित हैं। जब कभी संभव होता है अधिक घाट भी उपलब्ध किये जाते हैं। परन्तु 3-12-74 की सुबह को निम्नलिखित भाटकित खादयान्न एवं उर्वरक पोत बम्बई पत्तन पर प्रत्येक के सामने दी गई तारीखों से घाटों के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे :—

खादूयान्न : 4 (25-10-74, 4-11-74, 28-11-74 तथा 29-11-74)

उर्वरक : 2 (27-11-74 तथा 28-11-74)

(ख) इन जहाजों के रुकने के मुख्य कारण ये थे :—

(1) खाद्यान्न का भारी आयात जिसकी पहले प्रत्याशा नहीं थी, और जिसकी वजह से आवश्यकता और बम्बई में घाटीय क्षमता की उपलब्धता के बीच अन्तर पड़ गया।

(2) जहाजों का भारी संख्या में इकट्ठा होना।

(3) उर्वरक जहाजों के लिए यान्त्रिक उतार सुविधाओं की कमी और खादूयान्न और उर्वरक जहाजों से माल उतारने की अपर्याप्त दरें।

(ग) खुले माल की धरा उठाई के लिए बम्बई बंदरगाह के पूर्व की ओर न्हावा शेवा पर नयी पत्तन सुविधाओं के विकास का विचार है। इस प्रस्ताव पर योजना आयोग इस समय विचार कर रहा है।

कृषि मंत्रालय से भी अनुरोध किया गया है कि वह उस समय तक अन्तरिम उपाय के रूप में उर्वरक जहाजों से माल उतारने के लिए यान्त्रिक धरा उठाई उपस्कर लगाये, जब तक कि न्हावा शेवा पत्तन पर उर्वरक जहाजों से माल उतारने तथा उनके रखरखाव के लिए एक पूर्ण रूपेण यांत्रिक समूह की स्थापना नहीं की जाती।

श्री धामनकर : मंत्री महोदय के उत्तर से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ज़हाजों को घाट (बर्थ) प्राप्त करने के लिये लगभग एक माह तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। विदेशों में, जहाजों के घाट पर लगने के लिये मुश्किल से एक सप्ताह का समय लगता है। यह इस कारण है कि लदाई, उतराई का कार्य पूरी तरह मशीनों से नहीं किया जाता है परन्तु आधा मशीनों से होता है। क्या लदाई, उतराई का पूरा कार्य मशीनों से करने की दिशा में कोई प्रयास किये गये हैं और, यदि हां, तो क्या बम्बई गोदी में संगठित श्रम द्वारा विरोध किये जाने पर इन प्रयासों को रोकना पड़ा ?

Shri Kamla Pati Tripathi : It is fact that there is a shortage of mechanical equipments. They are not at all available for fertilizers. Foodgrains are handled with mechanical

operations. Efforts are being made to provide mechanical equipments for operations at Kaula and Haldia. This may provide some relief.

श्री धामणकर : न्हावा शेवा परियोजना योजना आयोग के पास बहुत समय से अनिर्णित पड़ी है। क्या सरकार इसे शीघ्र मंजूर कराने के लिये दबाव डालेगी ताकि बम्बई पत्तन पर भीड़ कुछ कम हो सके।

श्री कमलापति त्रिपाठी : जहाँ तक न्हावा शेवा परियोजना का सम्बन्ध है योजना आयोग में विचार चल रहा है और हमें आशा है कि बहुत शीघ्र निर्णय कर लिया जायेगा।

Shri Vasant Sathe : May I know whether the hon. Minister is aware of the fact that Karmohan line have increased their rates and the people of Bombay Port Trust and the members of Shipping Corporation protested against it but they are not agreeing. I want to know the action being taken to remove the dissatisfaction caused thereby.

Shri Kamla Pati Tripathi : It is a fact that Karmohan Conference has imposed surcharge and it is also a fact that it is being protested by the Shipping Corporation, Shippers and by the labour. Recently I had been to Bombay and this matter was put before me. We are trying to discuss with Carmohan lines that this is not proper and they withdraw this surcharge.

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

औषधियों की कीमतों में वृद्धि करने का प्रस्ताव

अ० सू० प्र० संख्या 1. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **पट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में औषधियों की कीमतों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में निर्माताओं से प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों का संक्षिप्त विवरण क्या है और उन्होंने कीमतों में कितनी वृद्धि किये जाने की मांग की है ; और

(ग) औषधियों का कृत्रिम अभाव पैदा करके औषधियों की कीमतों में वृदधि करने से निर्माताओ को रोकने और स्थिति से निपटने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

औषधों का मूल्य संशोधन औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के अन्तर्गत किया जाता है जिसमें इसके लिए पद्धति का उल्लेख किया गया है। वर्ष 1973-74 के उत्तरार्द्ध में हुए पेट्रोलियम संबंधी संकट के परिणाम स्वरूप बतलाया जाता है कि प्रपुंज औषधों को सम्मिलित करते हुए रसायनों के मूल्य बढ़ गए हैं। इसके फलस्वरूप औषध निर्माताओं से अपने उत्पादों के मूल्य में वृद्धि करने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन पत्र मिले हैं।

प्रपुंज औषधों के मामले में निर्माताओं ने उत्पादन लागत के विभिन्न तत्वों अर्थात कच्चा माल, ईंधन, बिजली, वेतन कार्यपूंजी, पूंजी निवेश आदि के कारण मूल्य में वृद्धि करने का अनुरोध किया है जहां तक सूत्रयोगों का संबंध है आवेदकों ने प्रपुंज औषध, कच्चे माल और पैकिंग सामग्री के मूल्य में हुई वृद्धि के कारण मूल्यों में वृद्धि करने का अनुरोध किया है।

औषधों के मूल्यों के निर्धारण/संशोधन के लिए प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की छानबीन करने से संबंधित कार्य दिनांक 1-1-74 से औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो को सौंप दिया गया है। 16-5-70 से जबकि औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 लागू किया गया था तब 17 अत्यावश्यक प्रपुंज औषधों के मूल्य टैरिफ आयोग द्वारा की गई लागत जांच के आधार पर निर्धारित किए गए थे और अन्य औषधों के मूल्य पर रोक लगा दी गई थी। अन्य 23 प्रपुंज औषधों तथा गलेटाइन कैप्सूलस के मूल्य औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो के अध्यक्ष की अध्यक्षता में नियुक्त किए गए कार्यकारो दल द्वारा की गई लागत जांच के आधार पर निर्धारित किए गए थे। इस संबंध में 19-4-74 को एक विवरण पत्र सभा पटल पर रखा गया था। प्रपुंज औषधों के मूल्य औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो या वित्त मंत्रालय की लागत लेखा शाखा द्वारा की गई लागत जांच के बाद ही निर्धारित किए जाते हैं।

केवल मुख्य कच्चे माल के लागत मूल्यों में हुई वृद्धि की सीमा तक ही प्रपुंज औषधों के अंतरिम मूल्य संशोधनार्थ अनुमति दी जाती है। सूत्रयोगों के मूल्यों के बारे में, प्रपुंज औषधों, कच्चे माल और पैकिंग सामान में हुई मूल्य वृद्धि को पूर्णतया समाप्त करने हेतु मूल्य वृद्धि की अनुमति दी जाती है किन्तु केवल सीमित मार्क-अप तक।

देश में सामान्य रूप में औषधों की कमी नहीं है। जहां तक प्रपुंज औषधों एवं औषध मध्यवर्ती पदार्थों जिनका आयात राज्य व्यापार निगम के द्वारा किया जाता है, का संबंध है, वर्ष 1973-74 के लिए दो औषधों को छोड़कर विभिन्न औषध उत्पादक यूनिटों की हकदारी के अनुसार पूर्ण सप्लाई की गई है। राज्य व्यापार निगम ने अधिकतर औषधों के लिए व्यवस्था की है तथा कुछ मामलों को छोड़कर, सप्लाई प्राप्त की गई है तथा औषध उत्पादक एककों को उपलब्ध की गई है। इस समय राज्य व्यापार निगम तथा, इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० के पास प्रपुंज औषधों का अत्यधिक भण्डार है।

सरकार ने उद्योग के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में औषध एवं भेषज उद्योग पर एक समिति की नियुक्ति की है जिसके विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित भी सम्मिलित हैं :—

(i) औषध उद्योग द्वारा विशेष रूप से भारतीय तथा लघु क्षेत्रीय उद्योग के शीघ्रगामी विकास के लिए उठाये गये कदमों की जांच करना। अपनी सिफारिशें करते समय यह समिति उद्योग के क्षेत्रीय सन्तुलन को ध्यान में रखेगी।

(ii) ग्राहकों के लिए औषधों के मूल्यों में कमी करने के बारे में अब तक किये गये उपायो की जांच करना तथा ऐसे अग्रगामी उपायों के बारे में सिफारिश देना जो मूल औषधों तथा सूत्रयोगों के उचित मूल्य निर्धारण हेतु आवश्यक हो।

(iii) आवश्यक औषधों तथा घरेलू दवाइयों को आम जनता विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र की जनता तक पहुंचाने के लिए उपायों के बारे में सिफारिश करना।

Shri Naval Kishore Sharma : It is unfortunate that there is no reply given in the statement placed on the table just now by the hon. Minister to Part (b) and (c) of my question. I have asked :

"इस सम्बन्ध में निर्माताओं से प्राप्त हुये आवेदन पत्रों का ब्यौरा क्या है और उन्होंने कितनी मूल्य वृद्धि की मांग की है ; और

सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है।"

Perhaps this statement is incomplete. However, I would like to ask a question to the hon. Minister through you. From the statement it appears that the prices of 40 drugs have been increased and besides this interim prices of formulations have also been increased. Despite these drugs are not available in the country to d. y and drug manufacturers

are continuously demanding price increase. People are already very much worried with price spiral and drug manufacturers have already earned huge amount of money. Unfortunately, there are certain foreign firms amongst these drug manufacturers and they are repatriating huge amount of money by way of profits. I would like to have a categorical assurance from the hon. Minister in this House that prices of the drugs will not be allowed to increase. I would also like to draw his attention towards the abnormally high prices of the drugs manufactutured under the brand name 'Generic'. If 'Generic' drugs are sold... (*Interruptions*) I am coming to that. May I know whether in place of allowing increase in prices the arrangements will be made to sell drugs under the name 'Generic' and to stop the brand name totally?

श्री के० आर० गणेश : जहाँ तक औषधियों में मूल्य वृद्धि का प्रश्न है औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो, जो एक तकनीकी निकाय है, इस ओर ध्यान दे रहा है और उनके लिये पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करता है। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि हमारे जैसे विशाल देश में जहाँ जनसंख्या इतनी अधिक है, बहुत से लोग कुछ औषधियों को खरीद सकने की स्थिति में नहीं होंगे। हमने एक नीति बनाई है जिसके अनुसार औषध उत्पादन को बनाये रखने के साथ साथ सस्ते मूल्य की औषधियों की उपलब्धता को भी ध्यान में रखा जायेगा। इस मामले पर हाथी समिति का भी ध्यान दिया जा रहा है जिसका प्रतिवेदन मंत्रालय को फ़रवरी, 1975 में प्राप्त होने की संभावना है। जहाँ तक जेनेरिक नाम तथा ब्रान्ड नाम का सम्बन्ध है, हाथी समिति ने एक पैनल बनाया जिसने इस प्रश्न पर विचार किया और इस पैनल की, जिसमें प्रसिद्ध डाक्टर हैं, रिपोर्ट पर पूरी समिति द्वारा निर्णय किया जायेगा।

Shri Nawal Kishore Sharma : The hon. Minister has said that Hathi Committee has constituted a panel to go into the question about 'Generic'. May I know whether the panel has submitted its report and whether it is one of the recommendations of the Committee that 'Generic' name should continue and brand name should be abolished? Spurious drugs are very much in use due to the increase in prices of drugs. Is it not necessary that the prices be reduced to check the increasing use of spurious drugs? What is the reaction of his Ministry in this regard?

श्री के० आर० गणेश : यह सच है कि समिति ने ब्रान्ड नाम बन्द करने और जेनेटिक नाम का इस्तेमाल करने के लिय कहा है। जहाँ तक घटिया औषधियों का प्रश्न है समिति ने गुणप्रकार नियंत्रण के सम्बन्ध में अपना पहला प्रतिवेदन दिया है जिस पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

श्री नवल किशोर शर्मा : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आप भाषण देते हैं, प्रश्न नहीं पूछते। मैं किस प्रकार संरक्षण दे सकता हूं?

श्री नवल किशोर शर्मा : मैंने प्रश्न भी पूछा है, भाषण के लिये मुझे खेद है।

अध्यक्ष महोदय : आपके भाषण में प्रश्न कहाँ है?

श्री नवल किशोर शर्मा : मैंने प्रश्न पूछा। उन्होंने उत्तर दिया...परन्तु इस बात का उत्तर नहीं दिया कि मंत्री महोदय औषध निर्माताओं को मूल्य वृद्धि की अनुमति नहीं देंगे।

श्री के० आर० गणेश : औषध उद्योग में बहुत से बिचौलिये होते हैं और तकनीकी निकाय, औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो इस प्रश्न पर विचार करता है। मैं इस सामान्य स्थिति से सहमत हूं कि औषध उद्योग जैसे लाभ वाले उद्योग को जनता को सस्ते मूल्य की औषधियां सप्लाई करने के मामले में सजग होना चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमन्, मुझे अनुमति दी जानी चाहिये। उन्होंने आर्थिक मामलों पर बल दिया है और यह ज्वलंत आर्थिक मामला है

अध्यक्ष महोदय : आप की ओर से सभी प्रश्न ज्वलंत हैं। उस ओर से कोई भी ठंडा प्रश्न नहीं है। यह अल्प सूचना प्रश्न है। आप इसे आर्थिक प्रश्न कैसे कहते हैं ? श्री बसु, मुझे शिलांग के मेरे भाषण का टेपरिकार्ड प्राप्त हो गया है। आप इसे देख सकते हैं। मैं इस प्रेस विधी के सदस्यों तथा नेताओं को दिखलाकर उनके विचार मालूम करूंगा--इसको बहुत तोड़ा-मरोड़ा गया है।

श्री के० एस० चावड़ा : मंत्रीमहोदय ने ठीक ही कहा है कि फार्मास्यूटीकल्स पर हाथी समिति देश में औषध उद्योग में बहुत से पहलुओं पर विचार कर रही है। क्या यह सच है कि पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय ने मूल्य वृद्धि करने के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं और विदेशी फर्मों के अवैध कार्यों को नियमित करने के विचार से देश में विदेशी ब्रान्ड नामों को औषधियों की कमी करने के लिये भारतीय फर्मों द्वारा 2 करोड़ रुपये के मूल्य की औषधियों के उत्पादन के अन्तरिक मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इन दोनों मार्गदर्शी सिद्धान्तों को रोकने तथा देश-विदेशी औषध निर्माता फर्मों के सभी अवैध कार्यों को नियमित न होने देने का है ?

श्री के० आर० गणेश : माननीय सदस्य इस विषय में पारंगत हैं। मैं अभी-अभी इस मंत्रालय में आया हूं। अतः मैं वास्तव में...

अध्यक्ष महोदय : आप भी किसी तरह कम नहीं है।

श्री के० आर० गणेश : उन्होंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है। एक प्रश्न कुछ फर्मों द्वारा दिये जाने वाले कथित कार्यों को विनियमित करने के बारे में है। मेरे विचार से यह अतिरिक्त क्षमता से सम्बन्धित है। मंत्रालय इस मामले पर ध्यान दे रहा है तथा हाथी समिति भी इस पर अपने विचार व्यक्त कर रही है। जहाँ तक विशेष मार्गदर्शी सिद्धान्तो का सम्बन्ध है, मैं इस ओर ध्यान दूंगा।

श्री के० एस० चावड़ा : उन्हें इस बारे में आश्वासन देना चाहिये कि जबतक हाथी समिति की रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती सरकार को देश में विदेशी फर्मों के अवैध कार्यों को नियमित करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं करेगी।

Shri Jagannath Mishra : Is it a fact that certain private drug manufacturers are making huge profits by selling the raw material in black market and by adulteration in drugs and on the other hand they are demanding price increase by creating artificial scarcity of drugs in market ? May I know the action Government propose to take to have a control on that !

श्री के० आर० गणेश : कमी के बहुत से कारण हो सकते हैं क्योंकि औषध फर्मों की बहुत सी याचिकायें, आवदन पत्र डी० आई० सी० पी० के पास विचाराधीन पड़े हैं। तेल संकट के कारण बहुत सी बीच की चीजों के मूल्य बढ़ गये हैं। हमारे देश में कमी करने की आदत है। हमें इसका पता है और इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री समर गुहा : अपने लिखित उत्तर में मंत्री महोदय ने दो बातें कही हैं। उन्होने कहा है :

"वर्ष 1973-74 के उत्तरार्ध में पेट्रोलियम संकट के परिणामस्वरूप अधिक खपत वाली औषधियों सहित रसायनों के मूल्यों में वृद्धि हो गई है",

यह वक्तव्य दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि देश में सामान्यतया औषधियों की कमी नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि वे पेट्रोलियम उप उत्पाद क्या हैं जो औषधियां बनाने के काम आते हैं जिनके कारण, उन्होंने बताया है, कि औषधियों के मूल्य बढ़ाने पड़े हैं।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता अस्पताल में बहुत से वस्तुओं की कमी के प्रति शिकायतों की ओर दिलाया गया है ? सरकार ने इस बारे में क्या किया है ?

श्री के० आर० गणेश : पेट्रोलियम के मूल्यो में वृद्धि के परिणामस्वरूप औषधि-निर्माण में काम आने वाली कई मध्यवर्ती औषधियों के मूल्यों में भी वृद्धि हुई है। यह एक सामान्य बात है। जहाँ तक आम कमी के प्रश्न का सम्बन्ध है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं आम कमी नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि औषधियां तो उपलब्ध है पर हो सकता है कुछ विशेष ब्रांड उपलब्ध न हों। गत दो-तीन महीनों से अन्तर-राष्ट्रीय बाजार से औषधियों प्राप्त होने में कठिनाइयां हो रही हैं। इस बीच काफी औषधियां बाजार में आ गई हैं। इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड तथा व्यापार एजेंसी राज्य व्यापार निगम के पास 11 करोड़ रुपये की औषधियों की सूचियां है।

श्री समर गुह : मैं आपका ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं। मैंने एक स्पष्ट प्रश्न पूछा था कि पेट्रोलियम के उप-उत्पाद कौन कौन से हैं। मंत्री महोदय ने केवल नेफ्था का उल्लेख किया। कोयला तथा तार कार्बनीय पदार्थों की मुख्य विधियां है। मंत्री महोदय ने सच बताया है कि पेट्रोलियम के मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप औषधियो के मूल्यों में भी वृद्धि हुई है। मेरा प्रश्न यह है कि नेफ्था को छोड़-कर औषधियों के निर्माण में काम आने वाले उप-उत्पाद कौन कौन से हैं। मंत्री महोदय इसका उत्तर दें।

श्री के० आर० गणेश : उत्तेजित होने की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने ऐसीटोन, फोनोल तथा एसीटीनलाइड का भी उल्लेख किया था।

डा० महीपतराय मेहता : लगभग सभी विदेशी कम्पनियों ने औषधियो की लाइसेंस प्राप्त क्षमता को बढ़ा दिया है। ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री के० आर० गणेश : जहाँ तक कम्पनियों के नाम का सम्बन्ध है, ऐसे प्रश्नों का संसद में समय समय पर उत्तर दिया जा चुका है। श्री चावड़ा के प्रश्न का उत्तर देते हुए मैंने कुछ भारतीय तथा विदेशी कम्पनियों द्वारा क्षमता को बढ़ाने सम्बन्धी स्थिति का संकेत दे दिया था। इस ओर सरकार का ध्यान गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : देश के औषधि उद्योग का कुल उत्पादन 300 करोड़ रुपये का हुआ है और इसमें सरकारी क्षेत्र का अंश 6 प्रतिशत है। इस संदर्भ में क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि क्या यह सच है कि फर्म 'सीबा' ने वर्ष 1970 में 68 लाख तथा वर्ष 1973 में 110 लाख रुपये का लाभ कमाया ? क्या यह सच नहीं है कि 'फाइजर्स' ने वर्ष 1970 में 155 लाख तथा अब 199 लाख रुपये लाभ कमाया है ? क्या यह सच है अथवा नहीं कि वर्ष 1954 तथा 1966 में भारत द्वारा आयात की जाने वाली एंटी बायटिक्स औषधियों के निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य लेने पर फाइजर्स तथा कई अमरीकी औषधि निर्माताओं पर न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है और यदि हां, तो मामला किस स्थिति में है और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री के० आर० गणेश : यह सच है कि सरकार ने 'एण्टी-ट्रस्ट' कानूनों का उल्लंघन करने पर 'फाइज़र्स' तथा चार अमरीकी फर्मों पर मुकदमा किया है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि मामला किस स्थिति में है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया कि क्या उन्हें पता है कि 'यू० एस० कांग्रेशनल कमेटी' ने यह रिपोर्ट प्रकाशित की है कि कुछ अमरीकी भारत में अपने उत्पादों के निर्धारित मूल्यों से अधिक मूल्य ले रही हैं। यदि ऐसा है तो सरकार ने उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर क्या विशिष्ट कार्यवाही की है ? क्या यह सच है अथवा नहीं कि इन कम्पनियों के लाभ गत तीन वर्षों में लगभग दुगने हो गए हैं ? **(व्यवधान)**

2—42 LSS(ND)/74

श्री के० आर० गणेश : सरकार को विभिन्न अमरीकी औषधि निर्माता फर्मों द्वारा 'एंटी ट्रस्ट' कानूनों का उल्लंघन करने के बारे में 'यू० एस० कांग्रेशनल कमेटी' की रिपोर्ट के बारे में पता है। इसके परिणामो स्वरूप, 'फकाइज़र्स' आदि के विरुद्ध अमरीकी न्यायालय में मुकदमा किया गया है। जहां तक औषधि निर्माता विदेशी कम्पनियों द्वारा लाभ कमाने का सम्बन्ध है, हमने संसद में समय समय पर तथ्य तथा आंकड़े दिए हैं। सरकार को औषधि उद्योग द्वारा कमाए जा रहे लाभ की भी जानकारी है।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : सबसे पहले क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि सरकारी क्षेत्र के एकक जैसे 'इण्डियन ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड' अपने एककों के विस्तार के मामले में बहुराष्ट्रीय निगमों का कभी भी साथ नहीं देंगे? दूसरे, क्या यह भी सच है कि वर्ष 1971 से पूर्व ये कम्पनियों कम मूल्यों पर कच्चा माल खरीदती थी और अब उनके पास काफी स्टाक हो गया है जिसके परिणामस्वरूप मूल्यों में तीव्र वृद्धि हुई है और साथ ही जीवन बचाने वाली औषधियां बाजार में दुर्लभ हो गई हैं? क्या मंत्री महोदय इस बारे में जांच करेंगे?

श्री के० आर० गणेश : जहाँ तक 'इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड' का प्रश्न है, यह एक सरकारी उपक्रम है तथा जनता को औषधियां उपलब्ध कराने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। माननीय सदस्य को मैं आश्वासन देता हूं कि जिस सिद्धान्त को लेकर यह 'लिमिटेड' बनाई गई है; उस सिद्धान्त की सरकार द्वारा रक्षा की जाएगी। जहाँ तक कम्पनियों द्वारा कच्चे माल का स्टाक करने का प्रश्न है, समय समय पर रिपोर्ट मिलने पर सरकार इनकी जांच करती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Employment of Uneducated, skilled and unskilled Workers

*331. **Shri B. S. Chowhan** : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) the number of uneducated persons provided employment in each State during the last three years; and

(b) the number of skilled and unskilled persons proposed to be provided with employment in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Bengal during the current year and next year?

The Minister of Labour (Shri Raghunatha Reddy) : (a) Apart from the employment opportunities created as a result of normal development programmes included in the 4th Five Year Plan, substantial employment was generated by the following special schemes which were taken up during the Fourth Five Year Plan with a view to creating additional employment opportunities, particularly for uneducated persons, namely, (1) Crash Scheme for Rural Employment, (2) Pilot Intensive Rural Employment Projects, and (3) Drought Prone Area Programme. Information about employment created under these schemes is given in Annexures I, II and III. [*Placed in Library. See No. L. T.* 8672/74].

(b) Since the annual plan for the next year is still under formulation, the required information about the year 1975-76 is not available. During the current year, the following amounts have been earmarked for the States in question under the Employment Promotion Programme :

	Proposed Outlay	Employment potential
1. Uttar Pradesh	Rs. 340 lakhs	22,600
2. Madhya Pradesh	Rs. 160 lakhs	10,600
3. West Bengal	Rs. 425 lakhs	28,300

This programme is meant for the educated persons, with the main thrust on self-employment schemes.

Apart from the above, in addition to the normal development Plan programmes, the following special programmes are also being continued/undertaken to generate additional employmnet for various categories of job-seekers, particularly in the rural areas:

(1) Small Farmers and Marginal Farmers Scheme.

(2) Drought Prone Area Programme.

(3) Pilot Intensive Rural Employment Projects.

(4) Command Area Development Programme.

भूतपूर्व सैनिकों के लिए 'सरकारी क्षेत्र' के अनुरुप निगम की स्थापना

***334. श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भूतपूर्व सैनिकों के उद्यमकर्ता की भावना का विकास करने के लिए 'सरकार क्षेत्र' के अनुरुप निगम की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) उक्त निगम की स्थापना कब तक की जाएगी ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) से (ग) ऐसा एक प्रस्ताव है परन्तु योजना के ब्यौरे अभि तैयार किए जाते हैं। वित्तिय नियंत्रण के कारण योजना की प्रगति नहीं हुई है परन्तु इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर सक्रिय रुप से विचार किया जा रहा है। तथापि, यह कहना सम्भव नहीं है कि यह कब कार्यान्वित किया जाएगा।

मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिये धनराशि

***335. श्री भान सिंह भौरा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिये धनराशि नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) मलेरिया उन्मूलन का राष्ट्रीय कार्यक्रम एक केन्द्र पोषित योजना है और इसको चलाने के लिए राज्यों को निर्धारित पैटर्न के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा शत प्रतिशत सहायता दी जाती है। यह सहायता केवल उन यूनिटों को दी जाती है जो आक्रमक और समेकित चरणों में है। जो यूनिट अनुरक्षण चरण में हैं उन्हें चलाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है।

कुल मिलाकर धन की तंगी के परिणामस्वरुप स्वास्थ योजनाओं के योजनागत परिव्यय को सीमित कर दिया गया है और उसका प्रभाई मलेरिया उन्मूलन के राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ साथ सभी कार्यक्रमों में अनुभव किया जाता है। हाल ही में कीट नाशकों, मलेरिया रोधी दवाइयों और

अन्य सामान तथा उपकरणों के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण स्थिति ने विशेषकर जटिल रुप ले लिया है।

इसके साथ साथ आपरेशनलस्टाफ के वेतन और भत्तों में आम वृद्धि हुई है। इन्हीं कारणों से राज्य सरकारों को निर्धारित पैटर्न के आधार पर काफी मात्रा में धन नियतन करना सम्भव नहीं हुआ है। 1974-75 के दौरान इस कार्यक्रम के लिए केवल 18 करोड़ रुपये का नियतन किया जा सका।

मलेरिया उन्मूलन के राष्ट्रीय कार्यक्रम का आजकल पुनरावलोकन किया जा रहा है और उपलब्ध संसाधनों के अन्दर इस स्थिति का अधिक कारगर ढंग से मुकाबला करने के लिए एक नीति तैयार करने की दिशा में प्रयत्न किए जा रहे हैं।

गया से कुष्ठ उन्मूलन के लिए बिहार सरकार को वित्तीय सहायता

***336. श्री एन० ई० होरो :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 नवम्बर, 1974 के एक दैनिक समाचारपत्र में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि तीर्थस्थल गया (बिहार) में कुष्ठ रोग के इलाज की सुविधाओं का अत्यन्त अभाव है हलांकि वहां की कम से कम 3 प्रतिशत जनसंख्या इस रोग से ग्रस्त है ;

(ख) क्या सरकार को कुष्ठ रोगियों की आवास समस्या के बारे में विदेशी पर्यटकों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकार को सहायता प्रदान की है, और यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि दी गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां। कुष्ठ नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अधीन केन्द्रीय सरकार ने बिहार सरकार को गत तीन वर्षों में कितनी वित्तीय सहायता दी उसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

	(रुपये लाखों में)
1971—72	5.28
1972—73	9.63
1973—74	7.40

धतक लड़ाकू जेट विमानों का उत्पादन

***338. श्री एम० एस० पुरती :**

श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की लम्बी भू तथा समुद्रतटीय सीमा की सुरक्षा हेतु तथा सेनाओं को सभी प्रकार से आत्म निर्भर बनाने के उद्देश्य से धतक लड़ाकू जेट विमान बनाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान एम्रोनाटिक्स लिमिटेड पहल ही मिग-21 एम० और मारुत जैसे लडाकू विमान के निर्माण में लगा है। अजीत के निर्माण का कार्य भी शीघ्र ही हाथ में लिया जाएगा।

वर्ष 1974–75 में बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा प्रगति

***339. श्री गजाधर माझी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974–75 में बोकारो इस्पात सयंत्र प्रगति को ओर अग्रसर हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसको प्रगति को मुख्य बातें क्या है और इसमें उत्पादन कब से शुरु हो जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र जीत यादव) : (क) और (ख) नवीनतम निर्माण अनुसूची के अनुसार बोकारो इस्पात कारखानें को स्लेबिंग मिल के दिसम्बर 1974 तक चालु हो जाने, एक रिहीटिंग भट्टी सहित हाट स्ट्रिम मिल के मार्च, 1975 तक तैयार हो जाने और गर्म बेलित चादरों और क्वायलिंग फिनिशिंग सेक्शन के मार्च, 1975 तक चालू हो जाने की सम्भावना है। आशा है इन इकाइयों के चालू हो जाने से यह इस्पात कारखाना वर्ष 1975 के उत्तरार्ध में तैयार इस्पात का उत्पादन करने लग जाएगा।

इस्पात कारखाने के प्रथम करण (17 लाख टन) का सिविल कार्य लगभग पूरा हो गया है। प्रौदयोगिक तथा संरचनात्मक कार्य 95% भवन निर्माण कार्य 93%, तापसह इटों को लगाने का काम 77% यान्त्रिक उपकरण लगाने का कार्य 74% और वैद्युतिक उपकरण लगाने का लगभग 73% कार्य भी पूरा हो गया है।

इस समय एक धमन भट्टी दो कोक ओवन बैटरियां और स्टील मेल्टिंग शाप के दो 100–टन एल डी कनवेंटर काम कर रहे है। कारखाने के प्रथम करण को शेष इकाइयों का काम भी तेजी से चल रहा है। आशा है कारखाने का प्रथम करण अर्थात् 17 लाख टन पिण्ड को वार्षिक क्षमता (ठण्डी बेलन मिल को छोडकर) दिसम्बर, 1975 तक तैयार हो जाएगा और चालू कर दिया जाएगा।

Alleged Inquiry against Corrupt officers of Hindustan Zinc Ltd., Rajasthan

***340. Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether an inquiry was being conducted into corruption charges levelled against some corrupt officers of the Hindustan Zinc Limited, Udaipur (Rajasthan);

(b) whether it has since been completed; and

(c) if so, the action taken or proposed to be taken against those officers?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Chandrajit Yadav) : (a) Yes, Sir. There are a few cases on which inquiries are in progress by the C. B. I. in various stages.

(b) & (c) In respect of three cases the C.B.I./Special Police Establishment have recorded regular cases and F. I. Rs'. Of these, in two cases prosecution has been authorised under law and trial is in progress. Inquiries. are in progress in the third case.

कुष्ठ रोगत से पीड़ित होने वालों की अधिक संख्या

***341. नारायण चन्द पराशर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किन्हीं ऐसे जिलों का पता लगाया है जहां कुष्ठ रोग अत्याधिक व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार उन जिलों के नाम क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन क्षेत्रों से इस रोग को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही को गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) कुष्ठ नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत इन जिलों के कुछेक क्षेत्रों में कुष्ठ रोग के ईलाज की सुविधाएं देने के लिए 143 कूष्ट नियंत्रण एकक और 551 सर्वेक्षण, शिक्षण तथा उपचार केन्द्र खोले गये हैं। पांचवीं पंच वर्षीय योजना की अवधि में सभी क्षेत्रों में इलाज की सुविधायें पोहचाने का विचार है।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जिन जिलों में कुष्ठ रोग अत्याधिक व्याप्त है और जहां इस रोग की व्याप्तता 1 प्रतिशत तथा उस से अधिक है।
1. आन्ध्र प्रदेश . . .	1. श्री काकुलम
	2. विसाखापतनम
	3. पूर्वि गोदावरी
	4. पश्चिमी गोदावरी
	5. चित्तूर
	6. गुंटूर
	7. नेलोर
	8. निजामाबाद
	9. करीमनगर
	10. वारंगल
	11. महबूब नगर
	12. हैदराबाद
	13. मेडक
	14. नल गोंडा

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जिन जिलों में कुष्ठ रोग अत्याधिक व्याप्त है और जहा इस रोग की व्याप्तता 1 प्रतिशत तथा उस से अधिक है।
2. असम	1. मिकीर हिल्ज
	2. एन० सी० हिल्ज
3. बिहार	1. संथल परगाना
	2. धनबाद
	3. गया
	4. सरन
	5. मुजफरपुर
	6. मुंघेर
	7. भागलपुर
4. तामिल नाडु	1. मद्रास कारपोरेशन
	2. चिंगलपट
	3. उत्तरी अरकोट
	4. दक्षिणी अरकोट
	5. सालम
	6. नदुरैं
	7. तिरुचिरापल्ली
	8. धनजोबुर
	9. रामानाथापुरम
	10. तरुनेलवेली
	11. धरमपुरी
5. महाराष्ट्र	1. शोलापूर
	2. नन्देद
	3. चांदा
	4. अमरावती
	5. अकोला
	6. वरधा
	7. यावतमाल
	8. उसमानाबाद
	9. भिर

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जिन जिलों में कुष्ठ रोग अत्याधिक व्याप्त है और जहां इस रोग की व्याप्तता 1 प्रतिशत तथा उस से अधिक है ।
6. करनाटक	1. बैलरी
	2. मैसोर
	3. बेलगांव
	4. गुलवर्ग
	5. बिदर
7. उड़ीसा	1. गनजुम
	2. पुरी
	3. बलसोर
	4. कटक
	5. संभलपुर
	6. धेनकानल
8. उत्तर प्रदेश	1. बहराइच
9. पश्चिम बंगाल	1. बर्दवान
	2. वीरभूमि
	3. बंकुरा
	4. मिदनापुर
	5. पुरलिया
10. नागालैंड	1. त्वेनसांग
11. पांड़िचेरी	1. पांडिचरी
	2. यानेम
12. अरुणाचल (नेफा)	1. सियांग

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मास कम्यूनिकेशन द्वारा तैयार किया गया परिवार नियोजन संबंधी प्रतिवेदन

***342. श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मास कम्यूनिकेशन द्वारा तैयार किया गया परिवार नियोजन संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने प्रतिवेदन में उन त्रुटियों का उल्लेख किया है जो ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी असफलता के लिए उत्तरदायी है;

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या है; और

(घ) उन्हें क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) प्रतिवेदन के प्रारुप में केवल एक ही राज्य, अर्थात् उत्तर प्रदेश में किए गये अध्ययन और कार्यक्रम की कुछ त्रुटियों का उल्लेख किया गया है। विभिन्न पहलुओं पर प्रतिवेदन की प्रमुख विशेषताओं का सारांश सभा पटल पर रख दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8673/74]**

(घ) संचार नीतियां तैयार करते समय इस अध्ययन की सिफारिशों और साथ ही विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सिफारिशों पर विचार किया जायेगा।

इस्पात संयंत्रों में क्षमता का उपयोग

***343. श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में, माहवार, इस्पात, संयंत्रों में क्षमता उपयोग सम्बन्धी स्थिति क्या है और गत वर्ष प्रत्येक माह यह स्थिति क्या थी ; और

(ख) कारखानों का उत्पादन तथा कार्यकुशलता बढ़ाने के लिये निकाले गये दीर्घावधि तथा अल्पावधि उपायों की मुख्य बातें क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) अप्रैल से अक्तूबर 1973 तथा अप्रैल से अक्तूबर, 1974 के दौरान सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों की इस्पात पिंड और विक्रेय इस्पात की निर्धारित क्षमता, उत्पादन तथा निर्धारित क्षमता की तुलना में प्रतिशत उत्पादन का विवरण अनुलग्नक 'क' और 'ख' में दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 8674/74]**

(ख) इस्पात कारखानों में उत्पादन में वृद्धि करने के लिये किये गये अल्पकालिन और दीर्घकालीन उपाय संक्षेप में इस प्रकार है :

(1) इस्पात कारखानों को अधिकाधिक मात्रा में बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा मंत्रालय, दामोदर घाटी निगम के प्राधिकारियों और सम्बन्धित राज्य सरकारों से निकट तथा सतत् सम्पर्क रखा जाता है। इसी प्रकार रेल द्वारा आवश्यक कच्चे माल तथा बिक्री योग्य माल की संतोषजनक ढुलाई के लिए रेल मंत्रालय से तथा कोकर कोयले के उत्पादन और उसकी सप्लाई के बारे में कोयला विभाग से सम्पर्क रखा जाता है।

(2) इस्पात कारखानों में बिजली पैदा करने की रक्षित क्षमता में वृद्धि करने का प्रश्न भी विचाराधीन है।

(3) हिन्दुस्तान स्टील लि० के कारखानों के बारें में किये गये दीर्घकालिन उपायों में उत्पादित सुविधाओं में वर्तमान असन्तुलन को ठीक करने के लिए आवश्यक अनुपूरक सुविधाओं

की व्यवस्था; पूंजीगत कार्यक्रम (जिसमें नये उपस्कर लगाना पुराने उपस्करों को बदलना आदि शामिल है); बेहतर रखरखाव जिससे उपस्करों को बहतर उपलब्धि हो सके; फालतू पुर्जों, तापसह ईंटों और अन्य आवश्यक सामग्री को योजनाबद्ध ढंग से प्राप्ति शामिल है। योजना आयोग द्वारा नियुक्त को गई कार्रवाई समिति जिसमें भिलाई और राउरकेला इस्पात कारखानों के कार्यकरण की जांच की थी, की सिफारिशों को भी कार्यान्वित किया जा रहा है। कोक की कमी को पूरा करने के लिए भिलाई में एक अतिरिक्त कोक ओवन बेटरी तथा राउरकेला और दुर्गापुर में आधी आधी कोक ओवन बैटरी लगाने को मंजूरी दी गई है। राउरकेला में लगाई जाने वाली आधी कोक ओवन बैटरी तैयार हो गई है और इसे चालू कर दिया गया है। पुरानी बैटरियों को बड़ी-बड़ी मरम्मत/पुनर्निर्माण करने के लिए भी कदम उठाये गये है। मालिक मजदूर सम्बन्धों को सुधारने तथा आधिकाधिक उत्पादन करने के लिए मजदूरों का सहयोग प्राप्त करने हेतु भरसक प्रयत्न जारी है।

(4) 'इस्को' के बारे में भी एक प्रतिस्थापन कार्यक्रम बनाया गया है जिससे यह कारखाना वर्ष, 1976 तक अपनी निर्धारित क्षमता प्राप्त कर सके। इस कार्यक्रम में कोक ओवन बैटरियों की मरम्मत/पुनर्निर्माण, खुलेमुंह की भट्टियों और कनवंटरों की मरम्मत, कच्चे माल हैंडल करने की सुविधाओं में सुधार, रेल के डिब्बों का आधुनिकीकरण आदि शामिल है।

(5) 'टिस्को' ने भी उपस्करों को बदलने, उनकी मरम्मत करने और उनका आधुनिकरण करने का कार्यक्रम बनाया है। साफ किये गये कोयले के उत्पादन में वृद्धी करने के लिए कोयला खानों में उपस्करों की स्थापना के कार्य में और प्रगति हुई है।

Productivity and Actual Wages of Workers

***344. Shri Iswar Chaudhry.**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) the comparative statement of productivity and actual wages of workers for 1949-1961 and today;

(b) the comparative statement of productivity and wages of workers in Japan, Taiwan, Thailand and Britain for the said period; and

(c) the steps being taken to give actual wages to workers commensurate with the increase in production?

The Minister of Labour (Shri Raghunatha Reddy) : (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

(c) An important aim of Government's policy is to bring about a close co-relation between increases in wages and increases in productivi

Statement

(a) Statistics relating to productivity of labour, except in coal mines, are not being compiled on a regular basis. In the case of coal mines the information is available in terms of output, in tonnes, per manshift. A Statement giving the output per manshift in coal mines during 1951, 1961 and 1972 (latest year for which this information is available) is given below :—

Productivity of Workers Employed in Coal Mines

Year	Output per Man-Shift in Tonnes for		
	Miners and Loaders	All persons employed below ground and open-cast working	All persons employed above and below grounds
1	2	3	4
1951	1.65	0.57	0.35
1961	1.26	0.66	0.48
1972	1.89	0.94	0.66

Source : Directorate General of Mines Safety, Dhanbad.

The index number of real earnings on base 1961=100 for mine workers was 101 in 1962 and 117 in 1971. In the case of factary workers, the corresponding figures were 103 and 102. Comparable information for 1949 is not available.

(*b*) : No comparative figures for Japan, Taiwan, Thailand and Britain are available.

बिहार के बीड़ी प्रतिष्ठानों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 152 के अन्तर्गत लाना

***346. श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य के बिहारशरीफ मुंगर, झाझा, चक्रधरपुर, गया और नवादा में मुख्य रूप से स्थित अनेक बीड़ी उद्योगों को अभी तक कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अंतर्गत नहीं लाया गया है, जबकि इन उद्योगों को भूतलक्षी प्रभाव से इस अधिनियम के अन्तर्गत लाया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत लाए जाने वाले इन सभी प्रतिष्ठानों को अधिनियम के अन्तर्गत लाने हेतु क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) उक्त उद्योगों को अधिनियम के अन्तर्गत न लाने के लिए उत्तरदायी भविष्य निरीक्षकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : भविष्य निधि प्राधिकरियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :-- (क) से (ग) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा बिहार स्थित "बीडो" के विनिमाण में लगे 27 प्रतिष्ठानों को अनुसूचित शीर्षक "व्यापारिक तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान" के अन्तर्गत शामिल किया गया था। बिहार उच्च न्यायालय ने उनकी कार्यवाही को सही करार नहीं दिया है। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय में एक अपील अनिर्णीत पड़ी है। कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम को 'बोडी' उद्योग पर भी लागू ने के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद नए सिरे से विचार किया जाएगा।

पश्चिम एशिया के देशों को लड़कियों का निर्यात

***347. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :**

श्री के० लकप्पा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 अक्टूबर, 1974 के एक अंग्रेजी दैनिक समाचारपत्र में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसके अनुसार रोशनबो नामक एक 19 वर्षीय लड़की ने यह आरोप लगाया है कि उससे जबर्दस्ती बहरीन ले जाने में एक पुलिस अधिकारी ने सहायता की थी?

(ख) क्या उसने कथित रूप से यह भी कहा है कि उसे कम से कम 25 अन्य ऐसी लड़कियों की जानकारी है, जिन्हें जबर्दस्ती विदेश ले जाया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो लड़कियों की इस प्रकार की अवैध बिक्री को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां ।

(ख) अखबार की इस खबर में यह कहा गया था कि सम्बद्ध लड़की ने ऐसा आरोप लगाया था ।

(ग) सरकार को अरब देशों को 'लड़कियां बेचे जाने' के किसी मामले की जानकारी नहीं है । लेकिन समय-समय पर अखबारों में छपी इस आशय की खबरें सरकार ने देखी है कि कुछ बेईमान लोग औरतों को खाड़ी के देशों में जाने के लिए फुसलाते हैं, ये लोग इन लड़कियां को इन देशों की यात्रा करने का और रोजगार का प्रलोभन देते हैं । इसे रोकने के लिए अनेक कदम उठाये गये है । राज्य सरकारों से यह कह दिया गया है कि वे निकासी स्थानों पर सुरक्षा के प्रबंधों को और मजबूत कर दें और उन मुसीबतों का अधिक से अधिक प्रचार करें, जिनका विदेशों में इन औरतों को सामना करना पड़ सकता है, खास तौर से समाज के गरीब और आसानी से प्रलोभन में आने वाले वर्गों में । पासपोर्ट जारी करने वाले सभी प्राधिकरणों को निर्देश दे दिये गये है कि इस तरह के मामलों में सतर्कता बरती जाय ।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 17 के निर्माण के लिए सर्वेक्षण में कथित कदाचार

*348. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्नानूर जिले में से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 17 के निर्माण को पूरा करने के लिए सर्वेक्षण में कतिपय कदाचारों के बारे में कन्नानूर ज़िले से सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें उल्लिखित बातों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या निर्णय किया गया ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) से (ग) केरल सरकार ने सुचित किया है कि ज्यामितियों के सुधार के लिए कन्नानूर जिले से होंकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 17 के स्थानीय रुप से संखेन में परिवर्तन को अंतिम रूप देने के लिये सर्वेक्षण में कोई बेईमानी नहीं की गई है । अभ्यावेदनों की जांच की जा रही है ।

सिक्किम में भारतीयों की सुरक्षा

3203. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1974 के दौरान गंगतोक (सिक्किम) में बड़े पैमाने पर आगजनी तथा लूट-मार हुई थी ;

(ख) क्या सिक्किम में भारतीयों का अपहरण किया गया था तथा उनके साथ मारपिटाई की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो भारत सरकार का सिक्किम में भारतीयों की हिफाजत तथा सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) 10 अक्तूबर, 1974 को शाम को गंगतोक बाजार में कुछ उपद्रव हुए थे जिनमें पत्थर फैंकना और आगजनी करना शामिल था।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जबलपुर वहीकल फैक्ट्री की एक रक्षित यूनिट ग्रे आयरन फाउंड्री का चालू किया जाना

3204. श्री बेकारिया : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वहीकल फैक्ट्री जबलपुर की ग्रे आयरन फाउंड्री नामक एक रक्षित यूनिट को मोटर गाड़ियों के लिये पर्याप्त स्वदेशी वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिये चालू कर दिया गया है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : जबलपुर में ग्रे आयरन फाउंड्री के 1976 के मध्य तक चालू कर दिए जाने की सम्भावना है।

संयुक्त साइफर ब्यूरो में कनिष्ठ अधिकारियों से कम वेतन पाने वाले अधिकारी

3205. श्री डी० के० पंडा : क्या **रक्षा** मंत्री संयुक्त साइफर ब्यूरो में कनिष्ठ अधिकारीयों से कम वेतन पाने वाले अधिकारियों की संख्या के बारे में 25 अगस्त, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 3441 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस विषमता को इस बीच दूर कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रभावग्रस्त वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन को कम न होने देने के लिये अब तक क्या उपाय किये गये हैं; और

(घ) क्या प्रभावग्रस्त प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी को उसकी बकाया राशि का उसी तिथि से भुगतान किया जायेगा जब से विषमता उत्पन्न हुई थी?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) से (घ) जी नहीं श्रीमन्। स्थिति यही वही है जो कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री द्वारा 12-12-1973 को लोक सभा में उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 4370 के उत्तर में बताई गई थी। इस संबंध में आगे की कार्रवाई वित्त मंत्रालय को विभागी परिषद में विचार-विमर्श के अन्तिम निष्कर्ष पर निर्भर करेंगे।

तुगलकाबाद रेलवे यार्ड में स्टील से भरे हुए रुके पड़े वैगनों से माल उतारना

3207. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के तुगलकाबाद रेलवे यार्ड में माल न उतारे जाने के कारण स्टील से भरे हुए वैगन रुके पड़े है; और

(ख) यदि हां, तो माल उतारने में विलम्ब होने के क्या कारण है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) मुख्य उत्पादकों के स्टाकयार्डों के होने के कारण तुगलकाबाद के रेलवे यार्ड में वैगन इकटठें होने की समय समय पर सूचना दी जाती है?

इस्पात सामग्री के वैगन इकटठे होने का मुख्य कारण यह है कि विभिन्न इस्पात कारखानों से पूरी गाड़ी आने से रास्ते में वैगन जमा हो जाते है। जैसे और ज्योंही वैगनों का जमाव हो जाता है, उसे हटाने के लिए उपचारात्मक उपाय किए जाते है भविष्य में इस प्रकार वैगनों को न रुकने देने के लिए उपयुक्त उपाय किये जा रहे हैं।

राजस्थान में सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिये मंजूरी

3209. श्री श्रीकिशन मोदी : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान में सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय निधि से कुल कितनी राशि की मंजूरी दी गई थी ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : 1878.18 लाख रुपये।

पंजाब में सड़कों का निर्माण और उनकी मरम्मत

3210. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में सड़कों के निर्माण और उनकी मरम्मत के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय निधि से कुल कितनी राशि मंजूर की गई ; और

(ख) क्या सारी राशि इसी कार्य पर खर्च की गई ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) 1817.27 लाख रुपये।

(ख) 1805.11 लाख रुपये की उपर्युक्त स्वीकृति में से राज्य महालेखाकार द्वारा लिया गया खर्च संमंजित रकम।

उगांडा के निष्कासित भारतीयों की परिसंपत्तियों के लिए मुआवजा

3211. श्री भागीरथ भंवर : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उगांडा से निष्कासित हजारों भारतीयों द्वारा वहां छोड़ी गई परिसम्पत्तियों के लिए मुआवजे के भुगतान के मामले में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा अपने पीछे छोड़ी गई सम्पत्तियों और आस्तियों के लिए उन्हें उचित और न्यायपूर्ण मुआवजा दिलाने के लिए उगांडा सरकार के साथ क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या उगांडा से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जैसा कि पीछे छोड़ी गई आस्तियों के लिये मुआवजे से संबंधित मामले पर चर्चा करने के बारे में राष्ट्रपति अमीन ने पहले उल्लेख किया था और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) से (ग) उगांडा सरकार से प्राप्त अद्यतन सूचना के अनुसार, यह आशा की जाती है कि उगांडा सरकार ने मुआवजे के दावों से संबंधित जो मूल्य निर्धारण समिति नियुक्त कर रखी है वह अपना कार्य लगभग इस वर्ष के अंत तक समाप्त कर लेगी। इसके बाद, जैसी कि उगांडा सरकार ने हमें पहले सूचना दी थी, वे इस प्रश्न पर विचार--विमर्श करने के लिए यहां से एक प्रतिनिधिमंडल अपने यहां बुलायेंगे। इस संबंध में हम अपना यह विचार उगांडा सरकार को बार-बार बता चुके हैं कि हम इस प्रश्न को जितनी जल्दी हो सके निपटा देना चाहते हैं।

गोआ में सड़कों का निर्माण और उनकी मरम्मत किया जाना

3212. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोवा में सड़कों का निर्माण करने और उनकी मरम्मत करने के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय निधि से कुल कितनी राशि मंजूर की गई ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी): संभवतया माननीय सदस्य का आशय गोआ में राष्ट्रीय राज्य मार्गों के निर्माण और रखरखाव के लिये स्वीकृत रकम से ही, जो केन्द्रीय विषय है गोआ से होकर निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं :

राष्ट्रीय राजमार्ग सं०	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण	राष्ट्रीय राजमार्ग के तौर पर घोषणा की तारीख
4-क	बेलगाम, अनमोद, पौंडा और पणजी को मिलाने वाला	21-7-1971
17	राष्ट्रीय राजमार्ग 4 पर पनवेल को माध्य, पणजी, कारवाड़, मंगलौर कन्ननौर कालीकट (खोजीकोड) और त्रिचूर से मिलाने वाला (जब से एडापलली के निकट राष्ट्रीय राज मार्ग 47 के साथ जंकशन तक कालीकट से फेरोक कुट्टीपुरम, पुंडु पोन्नानी तक पुनर्संरेखण किया गया है)	7-3-1972
17 ए	राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 17 के साथ कोर्टालिम के निकट के जंकशन से शुरू होकर और मारमुगाव पत्तन पर समाप्त होनेवाला राष्ट्रीय राजमार्गों के तौर पर इन सड़कों की घोषणा तिथि से लेकर चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इन राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और रखरखाव के लिये 92.70 लाख की रकम स्वीकृत की गई। इसके अलावा, 1.30 लाख रुपये की रकम 1973–74 के दौरान अन्य सड़कों के लिये स्वीकृत की गई।	7-3-1972

आन्ध्र प्रदेश में खनिजों का पता लगाना

3213. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश के नालगोंडा जिले में कितने प्रकार के खनिजों का पता लगा है ;

(ख) क्या इन खनिजों के निकालने जाने की सम्भावना है; और

(ग) इस बारे में राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Steel Supply to M. P.

3214. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state whether the Madhya Pradesh Government have not been supplied with even 50 per cent of steel required by them as a result of which the progress in regard to the works undertaken by the State is being hampered?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) : The demand for steel is in excess of availability in respect of several categories, Despatches from the main steel plants are regulated by the Steel Priority Committee, after taking into account the end-use for which steel is required, availability and the competing demands. Categories in short supply are also allowed to be imported as per provisions of the Import Policy.

उड़ीसा में सड़कों के निर्माण और उनकी मरम्मत के लिये मंजूरी

3215. श्री पी० गंगादेव : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में सड़कों के निर्माण और उनकी मरम्मत के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय निधि से कुल कितनी राशि मंजूर की गई है ? और

(ख) क्या पूरी राशि इसी कार्य पर खर्च की गई ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) 1329.72 लाख रुपये।

(ख) 1325.75 लाख रुपये की उपर्युक्त स्वीकृति में से राज्य के महालेखाकार द्वारा किया गया खर्च। समंजित रकम।

निर्वास निदेशालय द्वारा युद्ध विधवाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार की व्यवस्था करना

3216. श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का पुनर्वास निदेशालय युद्ध विधवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देता है;

(ख) यदि हां, तो गत भारत पाक युद्ध के बाद प्रशिक्षित युद्ध विधवाओं की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन में से कितनी विधवाऐं लाभ-पद रुप से नियुक्त हैं और निदेशालय के प्राप्त प्रशिक्षण के लिए उन्हे कितनी औसत प्रतिमाह आय हुई और वर्ष 1975 के लिए निदेशालय की योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी हां, श्रीमन।

(ख) 52 उनका राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

पंजाब . . .	4
हरियाना . . .	36
उत्तर प्रदेश . .	10
दिल्ली . .	2
जोड़ .	52

(ग) जिन 13 युद्ध विधवाओं ने 1973 में प्रशिक्षण पूरा कर लिया था उन्होंने स्वनियोजन के लिए रजपुरा में उत्पादन केन्द्र में प्रवेश किया है। उनकी मासिक आय लगभग 200 रुपये प्रतिमास है। अन्य प्रशिक्षणार्थियों के आयके बारें में सूचना उपलब्ध नहीं है।

1975 के लिए योजनाओं के बारे में यह है कि बखतावरपुर में एक अन्य उत्पादन केन्द्र चलाने का प्रस्ताव है जहां उन युद्ध विधवाओं को स्वनियोजन । अवसर दिया जाएगा जिन्होंने पहले ही प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।

ट्रक आपरेटरों द्वारा हड़ताल

3217. श्री वरके जार्ज : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके द्वारा दिये गये आश्वासन के पश्चात् उत्तर प्रदेश तथा अन्य स्थानों पर ट्रक आपरेटरों ने हड़ताल समाप्त कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो ट्रक आपरेटरों की मांगे कहां तक न्यायसंगत है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) उत्तर प्रदेश के ट्रक परिचालकोंने 17 नवम्बर, 1974 से अपनी हड़ताल बिना किसी शर्त के वापस ले ली। इन परिचालकों को, हड़ताल वापस लेने से पूर्व केन्द्रीय नौवहन और परिवहन मंत्री ने कोई आश्वासन नहीं दिया।

(ख) परिचालकों की मुख्य माँगे थी कि मोटर गाड़ियों में ढोये जाने वाले माल पर 8 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक की कर वृद्धि और कुछ समय पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित 25 प्रतिशत तक सड़क कर वृद्धि को वापस लिया जाये और चुंगी कर की समाप्ति की जाये और यह भी कि इन मांगों की शीघ्र जांच होनी चाहिये।

सेना मुख्यालय के ए सी एस ओ के पेंशन के मामलों का तय किया जाना

3218. श्री चन्द्र शैलानी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायु सेना मुख्यालय से अक्तूबर, 1973 में सेवा निवृत्त हुए ऐसे ए सी एस ओ की संख्या कितनी है जिन के पेंशन और उपदान के मामले अभी तक अनिर्णित पड़े हैं ;

(ख) इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त मुख्यालय में एक वर्ष से अधिक की अवधि से ऐसे कुल कितने मामले अनिर्णित पड़े है तथा उनको शीघ्र तय करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) से (ग) वायु सेना मुख्यालय से सेवानिवृत्त हुए ए सी एस ओ के बारे में एसे मामलों की कुल संख्या पांच है जो अन्तिम पेंशन मंजूर किए जाने के लिए एक वर्ष से अधिक समय से अनिर्णित पड़े हैं इनमें एक मामला अक्तूबर, 1973 में सेवानिवृत्त का भी सम्मिलित है। इन सभी मामलो में प्रत्याशित पेंशन अधिनिर्णय पहले ही स्वीकृत कर दिया गया है। पेंशन संबंधी अन्तिम अधिनिर्णय का निपटारा रक्षा सेवाओं में असैनिक (संशोधित वेतन) नियमावली 1973 के अनुसार संशोधित वेतन नियतन का लेखा परीक्षा प्राधिकारियों के अनुमोदन हो जाने और रक्षा लेखा (पेन्शन) के नियंत्रक, इलाहाबाद को अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र तथा राजपत्रित सेवा का इतिहास जारी कर दिए जाने की प्रतीक्षा कर रही है। इस व्यक्तियों के पेंशन संबंधी अन्तिम अधिनिर्णय के मामलों की शीघ्र निपटा दिए जाने के लिए संबंधित प्राधिकारियों के साथ कार्रवाई की गई है।

बोनस विवाद को सुलझाने के लिए बोनस बोर्ड

3219. श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या बोनस रिव्यू कमेटी ने सुझाव दिया है कि बोनस विवादों को शीघ्रता से ठीक प्रकार से तथा अन्तिम रूप से सुलझाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बोनस बोर्ड स्थापित किए जायें ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने सुझाव की जांच कर ली है ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

3—42 LSS ND)/74

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) बोनस पुनरीक्षा समितिने अपनी रिपोर्ट में बोनस सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं, जिसमें बोनस विवादों का निपटारा भी शामिल है, पर सिफारिशें/अपेक्षाएं की हैं। इनका अध्ययन किया जा रहा है।

वसंत बिहार, नई दिल्ली में औषधियों तथा शृंगार सामग्री की बिक्री

3220. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** वसंत बिहार, नई दिल्ली में औषधियों तथा शृंगार सामग्री की बिक्री के बारे में 22 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3282 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह स्वीकार किया गया है कि एक फर्म के पास स्टाक में ऐसी 23 किस्म कि औषधियां पाई गई थीं जिनका लाइसेंस उस के पास नहीं था तथा उक्त फर्म पर मुकदमा चलाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या वहां आयातित शृगांर सामग्री को भी बेचा जा रहा है ; और

(घ) ऐसी वस्तुओं की अवैद्य विक्री रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) जी हां। औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अधीन इस फर्म के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया गया है।

(ग) दिल्ली प्रशासन के औषधि निरीक्षक द्वारा 25 और 29 अगस्त, 1974 को इस फर्म के कारोबार वाले अहाते का निरीक्षण के समय वहां इसके स्टाक में कोई आयातित प्रसाधन सामग्री नहीं मिली।

(घ) नकली दवाइयां। मिलावटी दवाइयों की समस्या से निबटने के लिए दिल्ली प्रशासन में बहुत पहले सितम्बर, 1973 में जो विशेष सेल खोला गया था, वह नकली-गलत ब्रांड वाली प्रसाधन सामग्रीके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए भी सक्रिय है। संदिग्ध निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और फुटकर विक्रेताओं की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। जब कभी आवश्यकता होती है, छापे मारे जाते हैं केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के अधिकारियों का भी आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्राप्त कर लिया जाता है। इन उपायों से निकले परिणामों से पता चलता है कि ये उपाय निश्चय ही लाभकारी हैं।

विजय नगर इस्पात संयंत्र के लिये कोक का आयात

3221. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** :

श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विजयनगर इस्पात संयंत्र के लिये श्रेष्ठ किस्म के कोक का आयात करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कोक का किन-किन देशों से तथा कितनी मात्रा में आयात करने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) इस समय विजयनगर इस्पात कारखाने के लिये बढ़िया किस्म के कोक का आयात करने का कोई विचार नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

यमुना पार इलाके में कृषि भूमि को हथियाना

3222. सरदार महेन्द्र सिंह गिल : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राजनीतिज्ञों द्वारा राजस्व तथा पुनर्वास मंत्रालय के अधिकारियों की सांठ-गांठ से यमुना पार इलाके में बहुत सी कृषि भूमि हथिया ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो मूलतः यह भूमि किसकी थी और इसका वर्तमान मूल्य क्या है ; और

(ग) क्या इस बारे में कोई कार्यवाही शुरू की गई है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) जांच प्रगति पर है ।

(ग) जांच के परिणामों के आधार पर ही की जाने वाली कार्यवाही की रूपरेखा पर विचार किया जाएगा ।

खान श्रमिकों के लिए आवास सुविधाएं

3223. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी भी 75 प्रतिशत कोयला खान श्रमिकों को आवास सुविधायें उपलब्ध नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके लिये आवास सुविधाएं उपलब्ध करने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी नहीं । श्रम ब्यूरो द्वारा 1967 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार तब लगभग 13.62 प्रतिशत श्रमिकों के पास किसी न किसी प्रकार का रिहायसी स्थान मौजूद था ।

(ख) कोयला खनिकों के लिये चिकित्सा, आवास और जल सम्भरण आदि से सबंधित कल्याण सुविधाओं की व्यवस्था करना मुख्यत: नियोजकों का काम है । जब वे कोयला खान श्रमिक कल्याण संगठन की योजनाओं के अनुसार मकानों के निर्माण संबंधी प्रस्ताव पेश करते हैं तो संगठन उन्हें इन योजनाओं के अधीन सहायता-अनुदान देकर उनके प्रयासों की अनुपूर्ति करता है । यह संगठन, कोयला खान मालिकों द्वारा बनाए जाने वाले 1,02,889 मकानों की मंजूरी दे चुका है, जिनमें से 71,802 बन कर तैयार हो गए हैं ।

औद्योगिक विकास के बारे में हंगेरी के साथ करार

3224. श्रीमती सावित्री श्याम : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री और हंगरी के प्रतिनिधिमंडल के बीच दोनों देशों के औद्योगिक विकास के लिये हाल ही में कोई करार हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ख) इससे भारत को क्या लाभ होगा ; और

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में किन्हीं अन्य देशों के साथ भी ऐसे करार करने का है, और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां । इस प्रोतोकोल में दूर-संचार एवं इलैक्ट्रोनिक्स, उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृषि, रसायन एवं भेषज तथा व्यापार के आदान-प्रदान की दिशा में सहयोग के क्षेत्र तय किये गये थे ।

(ख) इस प्रोतोकोल में जो कार्यकारी प्रोग्राम तय किया गया है उससे औद्योगिक उत्पादन, प्रौद्योगीकीय सहयोग तथा वाणिज्यिक विनिमय द्वारा उपर्युक्त सभी क्षेत्रों में अर्थ-व्यवस्था में सहायता मिलेगी।

(ग) जी हां। संयुक्त आयोग की सभी बैठकों के बाद प्रोतोकोलों पर हस्ताक्षर किये जाते हैं। अब संयुक्त आयोग की बैठक पोलैंड के साथ होनी है जो दिसम्बर, 1974 में नई दिल्ली में होगी।

इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र समूह के श्रमजीवी पत्रकारों के वेतनमान

3225. **श्री रामदेव सिंह :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमजीवी पत्रकारों के लिये गठित मजूरी बोर्ड की के अनुसार किसी समाचार पत्र में नियुक्त श्रमजीवी पत्रकारों के वेतनमान निर्धारित करने के संदर्भ में उक्त समाचार-पत्र की श्रेणी उस समाचार-पत्र के वार्षिक राजस्व के आधार पर निश्चत् की जाती है ;

(ख) वर्ष 1973 में 'इण्डियन' एक्सप्रेस समाचार-पत्र समूह का वार्षिक राजस्व कितना रहा ;

(ग) क्या इस समाचार-पत्र समूह को 'ए' श्रेणी में रखने के लिये इसने अपनी न्यूनतम सीमा पहले ही पार कर ली है ;

(घ) क्या यह समाचारपत्र समूह स्वयं को अवैध तथा झूठ-मूठ रूप में 'बी' श्रेणी का समाचार पत्र समूह मानकर अपने श्रमजीवी पत्रकारों को उनको देय वेतनमानों से सूचित करता रहा है ; और

(ङ) इस वर्ष अब तक श्रम जीवी पत्रकार इस समाचार पत्र समूह द्वारा कुल कितनी राशि से वंचित किये जा चुके हैं और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : (क) मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों से अखबारों और समाचार एजेंसियों के वर्गीकरण से संबंधित एक उदाहरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8675/74**]

(ख) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड के पास जहाजों के क्रयादेशों की कमी

3226. **श्री डी० डी० देसाई :**

श्री पी० गंगादेव :

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड के पास जहाजों के क्रयादेशों की कमी है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि स्वेज नहर पुनः खुल जाने के पश्चात् भविष्य में छोटे जहाजों की मांग बढ सकती है ;

(ग) क्या ऐसे जहाजों के लिये क्रयादेश देने अथवा विदेशों से क्रयादेश प्राप्त करने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बाते क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) प्रत्येक लगभग 21,500 डी० डब्ल्यू० टी० के पायोनर प्रकार के जहाजों लिये आर्डर प्राप्त करने हेतु शिपयार्ड, भारतीय नौवहन कम्पनियों के साथ बातचीत कर रहा है। इसके अलावा, ऐसे जहाजों के बारे में यू० के० की एक फर्म में सम्पूछताछ की है और इसके बारे में इसने फर्म से बातचीत की है, परन्तु अभी तक इस मामले में कोई अंतिम फैसला नहीं किया गया है।

श्रम न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव

3227. श्री डी० बी० चन्द्र गौड़ा :

श्री के० मालन्ना :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में अलग से श्रम न्यायालय स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 यह व्यवस्था करता है कि समुचित सरकार, औद्योगिक विवादों के न्याय-निर्णय और ऐसे अन्य कार्य करने के लिए, जो उन्हें अधिनियम के अधीन सौंपे गए हों सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक या अधिक श्रम न्यायालय गठित कर सकती है। तदनुसार, केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों में श्रम न्यायालय गठित किए हैं।

उच्च न्यायालयों/उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीशों की राजदूत के पदों पर नियुक्ति

3228. श्री बी० बी० नायक : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के कितने भूतपूर्व न्यायाधीशों को गत तीन वर्षों में राजदूत के पदों पर नियुक्ति किया गया है; और

(ख) यदि सिविल सर्विस जैसी अन्य सेवाओं की तुलना में इस सेवा के व्यक्तियों की संख्या कम है तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) पिछले तीन बरसों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के किसी भूतपूर्व जज को राजदूत के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है।

(ख) राजदूतों की नियुक्ति बहुत-सी बातों पर आधारित है और किसी विशेष व्यवसाय अथवा वर्ग के लोगों को कोई महत्व देने का प्रश्न नहीं उठता।

ब्रिटेन में शहीद मदनलाल ढींगरा की अस्थि अवशेष

3229. श्री झारखंडे राय : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करके अमर शहीद कामरेड मदन लाल ढींगरा के अंतिम अवशेषों को भारत लाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है; और

(ग) उक्त मामले में इतना अधिक विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) से (ग) ब्रिटिश अधिकारी श्री मदन-लाल ढींगरा की कब्र की पहचानने में अभी तक असमर्थ रहे हैं। लेकिन, हम यह पता लगाने की ओर कोशिशें कर रहे हैं कि उसकी पहचाना जा सकता है या नहीं। उनके अवशेषों को भारत लाने के प्रश्न पर कब्र की पहचान लेने के बाद ही विचार किया जाएगा।

दक्षिण कनारा जिले में मिश्र गुटिका (ब्लेडिट फैल्लेटाइजेशन) संयंत्र

3230. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री कर्नाटक तट पर मिश्र गुटिकों संयंत्र के बारे में 29 अगस्त, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 557 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उन पार्टियों के नाम क्या है जो वहां अपने संयंत्र स्थापित करने में रुचि रखती है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : कर्नाटक के तटवर्ती क्षे के चिकमागलूर जिले में बाबागुंदा लोह अयस्क के निक्षेपों के निम्न कोटि के अयस्क के निकालने के लिए तथा उनके पैलेट बनाने के लिए, मैसर्ज चौगुली एण्ड कं० ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। उनसे योजना का विस्तृत विवरण देने के लिए कहा गया है ।

Vigilance cases in Department of Supply

3231. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Supply & Rehabilitation** be pleased to state :

(a) which are the officers who were found guilty in the Department of Supply and its Attached and Subordinate offices following the vigilance cases during 1972-73, and

(b) the charges levied and the action taken against them?

The Minister of Supply & Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) The required information is given below :

Designation of officer	1972	1973
(i) Inspecting Officer (Class I)		1
(ii) Asstt. Director (Supplies) (Class I)	..	1
(iii) Asstt. Inspecting Officer (Class II)	1	3
(iv) Superintendent (Class III)	1	..
(v) Examiner of Stores (Class III)	2	2
(vi) Upper Division Clerk (Class III)	2	..

(b) Details are furnished in the Statement attached. [*Placed in Library. See No. L. T.* 8676/74].

कर्मचारी भविष्य निधि के निवेश सम्बन्धी पद्धति का कर्मचारीयों के लिए लाभकारी होना

3232. श्री रानेन सेन : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि को हाल ही में सरकार द्वारा पुनरीक्षित विभिन्न ब्याजदरों पर विभिन्न सरकारी सिक्योरिटियों में निवेशित करने की पद्धति कर्मचारियों के लिए अलाभकारी है क्योंकि इस पद्धति के अन्तर्गत कर्मचारियों को पहले की अपेक्षा कम ब्याज मिलता है ;

(ख) क्या डाकघर सावधिक जमा खातों तथा लघु बचतों में निवेश को कम कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) 30 नवम्बर, 1974 को अधिसूचित किए गए पहली सितम्बर, 1974 से 31 मार्च, 1975 तक की अवधि के लिए, निवेश का पैटर्न वही है जो पहले 28 सितम्बर, 1974 को अधिसूचित की गई पहली अक्तूबर, 1974 से 30 नवम्बर, 1974 तक की अवधि के लिए था। निवेश के दीर्घकालिक पैटन के तैयार होने तक, जो कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदाताओं के हितों को बढ़ावा देगा, ये अस्थायी व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

जबकि इन अल्पकालिक पैटर्नों में, डाकघर आवधिक निक्षेपों और लघु बचतों में निवेश की प्रतिशतता कम कर दी गई है, निधि की निवेश आय को बढ़ाने और इस प्रकार अंशदाताओं की निधि में जमा उनके संचयनों पर दिए जाने वाले ब्याज की दर बढ़ाने के लिए अन्य कार्रवाइयां की जा रही हैं।

केरल में राष्ट्रीय राजपथ संख्या 17 पर चन्तूरा तथा कोट्टापुरम में पुल

3233. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में राष्ट्रीय राजपथ संख्या 17 पर चेन्तूरा तथा कोट्टापुरम में पुल का निर्माण करने के लिये शीघ्र कार्यवाही करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी तथ्य क्या है; और

(ग) उक्त निर्माण संभवतः कब आरम्भ हो जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) से (ग) दो पुलों की मांग राष्ट्रीय राजमार्ग 17 के हाल ही में बदले गए कुट्टीपुरम् और एडापल्ली (एर्नाकुलम) के बीच भाग में से संबंधित है। कुट्टीपुरम और त्रिचूर के बीच के पुराने भार्ग पर पूरी तरह से पुल बने हुए हैं। त्रिचूर और एर्नाकुलम्, राष्ट्रीय राजमार्ग 47 से जुड़े हुए हैं। कुट्टीपुरम और एडापल्ली (एर्नाकुलम) के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 17 के राष्ट्रीय राजमार्ग स्तर तक वैकल्पिक मार्ग के तौर पर विकास की व्यवस्था धन की उपलब्धि के अनुसार की जाएगी। राज्य सरकार मौजूदा दर्जे और मार्ग की कमियों की सूची बद्धता और दो पुलों की मांग सहित विकास कार्यों के लिए विस्तृत प्रस्तावों की जांच तथा तैयारी पर कार्यवाही कर रहा है।

राउरकेला इस्पात संयंत्र का विस्तार

3234. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या **इस्पात और खान** मंत्री ने हाल ही में राउरकेला इस्पात संयंत्र का दौरा किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने संयंत्र की हाल की उत्पादन क्षमता वृद्धि के कारण राऊरकेला इस्पात संयंत्र के विस्तार की मांग की है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) राउरकेला इस्पात कारखाने के कार्यालय, समस्याओं और पूर्वेक्षण पर सामान्य रूप से विचार-विमर्श किया गया था। पांचवीं योजना के इस्पात-विकास कार्यक्रम में राउरकेला इस्पात कारखाने में ठंडो बेलित ग्रेन आरियेन्टिड चादरों के उत्पादन के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करना तथा वर्तमान विशेष इस्पात संयंत्र का विस्तार करना शामिल है।

शहादरा में कोयले की धूल तथा राख के कारण उत्पन्न विभिन्न रोगों से संतप्त व्यक्ति

3235. **श्री के० ए० मधुकर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि शहादरा स्थित मानसरोवर पार्क में एक सार्वजनिक पार्क में कोयले की धूल तथा राख के एकत्रित किये जाने के कारण वहां के लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं तथा विभिन्न रोगों से संतप्त है; और

(ख) यदि हां, तो इस संकट को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) शाहदरा स्थित मानसरोवर पार्क में कोयले की धूल तथा राख से हुई बीमारियों की घटनाओं की कोई सूचना सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

स्टेनलेस स्टील में कालाबाजारी

3236. **श्री बी० के० दास चौधरी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री 8 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1988 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मेघालय इन्डोस्ट्रियल एन्टरप्राइज, बड़ापानी, खासी हिल्ज़ द्वारा 4 मोटरी टन आयातित स्टेनलैस स्टील की कालाबाजारी के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर ली गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : जी, हां। इस बारे में जांच की जा रही है।

बंगाल केमिकल श्रमिक कर्मचारी यूनियन, कलकत्ता से ज्ञापन

3237. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन फैक्टरी में मजदूर संघ के वैधानिक अधिकारों के प्रयोग पर रूकावटों के सम्बन्ध में बंगाल कैमिकल श्रमिक कर्मचारी यूनियन, कलकत्ता से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन को विषयवस्तु क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) अनुमानतः संकेत बंगाल केमिकल श्रमिक कर्मचारी यूनियन, कलकत्ता के 20 जुलाई, 1974 के उस अभ्यावेदन की ओर है, जो कुछ समाज विरोधी तत्वों द्वारा यूनियन के सदस्य के कानूनी ट्रेड यूनियन अधिकारों के रोके जाने के आरोप के बारे में था और जिसकी एक प्रति श्री मोहम्मद इस्माइल, संसद सदस्य ने (सितम्बर, 1974) में केन्द्रीय श्रम मंत्री को भेजी थी। यह मामला पश्चिम बंगाल सरकार के ध्यान में ला दिया गया है, जो इससे मुख्यतः संबंधित है।

बंगला देश लोगों का निष्क्रमण

3238. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आरोप में कोई सत्यता है कि 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में बड़ी संख्या में भारत-मूलक लोग बंगलादेश के शरणार्थियों के साथ बंगलादेश चले गये थे तथा उन्हें भारत जाने के लिए निर्गम चिटें दी गई थीं और इस समय बंगलादेश से आने वाले व्यक्तियों में अधिकांशतः ऐसे ही लोग हैं;

(ख) क्या इस संबंध में भारत तथा बंगलादेश के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई थी अथवा होगी; और

(ग) क्या सरकार ऐसे लोगों को भारत नहीं आने दे रही है ताकि नागरिकता विहीन बनने की उनकी कठिनाई दूर हो सके तथा बंगलादेश उन्हें अपने देश का नागरिक स्वीकार करने को तैयार नहीं है; और यदि हां, तो किसी सौहार्दपूर्ण समझौते के सम्पन्न होने में क्या कठिनाइयां हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) पहले के पूर्व "पाकिस्तान" से कुछ शरणार्थी, जो 25 मार्च, 1971 को बंगलादेश में मुक्ति संघर्ष प्रारम्भ होने से पूर्व भारत में शिविरों में अथवा पुनर्वास स्थलों पर थे, बंगलादेश के मुक्त होने पर अपने आप ही इन शिविरों में पुनर्वास स्थलों को छोड़कर बंगलादेश चले गए। इनमें से कुछ व्यक्तियों को बंगलादेश सरकार द्वारा निकासी परमिट जारी किए गए हैं। जो भी हो, यह सच नहीं है कि बंगलादेश में बाढ़ आने के बाद हाल ही में जो लोग बंगलादेश की सीमा पार करके आए हैं, वे इसी वर्ग में आते हैं।

(ख) इस बारे में विचार-विमर्श हुआ है और बंगलादेश की सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि भविष्य में वह इस तरह के परमिट जारी करना बंद कर देगी।

(ग) यह मामला भारत और बंगलादेश की सरकारों के विचाराधीन है।

वर्ष 1973–74 में शरणार्थी पुनर्वास के लिए बजट का नियतन

3239. श्रीमती विभा घोष गोस्वामी : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973-74 के लिये शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये नियत किया गया एक लाख रुपया पर्याप्त है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस थोड़ी धनराशि को नियत करने के क्या कारण हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) प्रश्न से यह स्पष्ट नहीं होता कि माननीय सदस्य के मन में कौन-सा बजट अनुदान या योजना है। अतः इस सम्बन्ध में कोई जानकारी देना कठिन है।

जयन्ती शिपिंग कंपनी का अभिग्रहण

3240. **श्री मधु दंडवते** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डा० धर्मतेजा जो इस समय तीन वर्ष के लिये जेल में है, की जयन्ती शिपिंग कंपनी की सभी परिसम्पत्तियों के अभिग्रहण के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं,

(ख) डा० धर्मतेजा को हैदराबाद स्थित चंचलगुडा सेन्ट्रल जेल में स्थानान्तरित कर दिया है, और

(ग) यदि हां, तो उसे दिल्ली से हैदराबाद जेल में भेजने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) जयन्ती शिपिंग कम्पनी, कंपनी के रूप में अब नहीं रही। जयन्ती शिपिंग कम्पनी (शेयर अधिग्रहण) अध्यादेश, 1971 जिसके स्थान पर बाद में जयन्ती शिपिंग कम्पनी (शेयर अधिग्रहण) अधिनियम, 1971 आया कम्पनी की सारी परिसम्पत्ति अपने हाथ में ले ली इसके साथ ही जयन्ती शिपीग कंपनी के सभी शेअर 900 शेअरों को छोडकर, शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया को हस्तान्तरित कर दिए गए। इसके बाद जयन्ती शिपिंग कम्पनी शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया और जयन्ती शिपिंग कम्पनी विलयन आदेश 1973 के रूप में 1-1-1973 से शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया में विलय हो गई।

(ख) जी, हां।

(ग) उनको डाक्टरी आधार पर भेजा गया।

परमाणु शस्त्रास्त्र संधि संबंधी प्रस्ताव

3241. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत परमाणु शस्त्रास्त्र संधि संबंधी तीन देशों के प्रस्ताव पर मतदान करने से अनुपस्थित रहा ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके कारण क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु उर्जा एजेंसी की रिपोर्ट पर, बलगारिया, थाइलैण्ड और जार्डन द्वारा सहप्रस्तावित प्रारूप-प्रस्ताव पर मतदान में भारत ने भाग नहीं लिया था। भारत इस प्रारूप-प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सका क्योंकि इसमें संबद्ध सभी देशों को इस बात के लिए प्रेरित किया गया था कि वे नाभिकीय अस्त्रों के विस्तार-प्रसार न करने से सम्बद्ध संधि का अनुसमर्थन न करें अथवा उस पर हस्ताक्षर करें।

Ownership rights to East Pakistan Refugees settled in Champaran (Bihar)

3252. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Supply and Rehabilitation** pleased to state :

(a) whether ownership rights have not been granted on the land given to the displaced persons who came to Champaran (Bihar) from former East Pakistan;

(b) whether they are not granted loans from Government for development work; and

(c) whether Union Government have indicated to Bihar Government for giving them ownership rights?

The Deputy Minister in the Ministry of Supply and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy) : (a) and (b) The required information has been called for from the State Government of Bihar and will be laid down on the Table of the Sabha.

(c) Yes, Sir. The State Government has already been asked to give the displaced persons ownership rights under the Loan Remission Scheme and/or after securing the loans outstanding against them.

ईशापुर स्थित राइफल कारखाने तथा धातु और इस्पात कारखाने की कार्यकारी समिति का चुनाव

3243. श्री मोहम्मद इस्माइल : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईशापुर स्थित राइफल कारखाने तथा धातु और इस्पात कारखाने की कार्यकारी समिति का अभी तक चुनाव नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :(क) से (ग) राइफल फैक्टरी, ईशापुर में कार्यकारी समिति की अवधि दो वर्ष पूरा हो जाने के बाद जनवरी, 1974 में समाप्त हो गई। नए चुनाव होने से पूर्व माननीय हाई कोर्ट ने चुनाव को रोकते हुए एक अन्तरिम निषेधाज्ञा का आदेश दे दिया था। निषेधाज्ञा को अब उठा लिया गया है और नए चुनाव कराने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तानी शरणार्थीयों का अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में पुनर्वास

3244. श्री समर गुह : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-1973 तथा 1974 के दौरान बसाये गए भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तनी शरणार्थियों की संख्या कितनी है तथा वर्ष 1975 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में बसाने की योजना का स्वरुप क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने शरणार्थी अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भेजे गये और उन्हें उन द्वीपों में बसाने सम्बन्धी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्वी पाकिस्तानी शरणार्थियो की वहां बसाने की ओर अधिक सम्भावना का पता लगाने के लिए संसद सदस्यों के एक दल को अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह में भेजने का विचार है; और

(घ) गत पांच, सात तथा 10 वर्षों में भी अधिक समय से अपने पुनर्वास के लिये विभिन्न शिबिरों में प्रतीक्षा कर रहे भूतपूर्व पाकिस्तानी शरणार्थियों की संख्या कितनी है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी):(क) 1972, 1973 और 1974 (अक्तूबर तक) के दौरान पुनर्वास स्थलों पर भेजे गए पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों की संख्या इस प्रकार है —

(i) 1972 . .	5558 परिवार
(ii) 1973	4709 परिवार
(iii) 1974 (अक्तूबर तक) .	2840 परिवार

1975 में प्रवासियों को विभिन्न राज्यों, दण्डकारण्य और अण्डमान में कृषि और लघु व्यापार में बसाने का कार्यक्रम योजना आयोग के परामर्श से तैयार किया जा रहा है।

(ख) भाग (क) में दिए गए आंकड़ों में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए वे 176 परिवार शामिल हैं जिन्हें पुनर्वास के लिए लिटिल आण्डमान भेजा गया है—150 कृषि में और 26 लघु व्यापार में।

(ग) मामला विचाराधीन है।

(घ) जानकारी एकत्रित करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

सरकारी उपक्रमों में वेतन ढांचे का विश्लेषण

3245. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :**

श्री जी० वाई कृष्णन :

श्री के० मालन्ना :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी कर्मचारियों के लिए समान वेतन बनाने के लिए सरकार विभिन्न सरकारी उपक्रमों में वेतन का विश्लेषण कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(ग) समान वेतन के रूप में इसे कब तक अन्तिम रूप दिया जायेगा ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) अनेक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों की मजदूरी दरों और वेतन-मानों, भत्तों आदि के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है।

नहवाशेवा में एक पत्तन का निर्माण

3246. **श्री शंकर राव सावंत** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नहवाशेवा में एक पत्तन का निर्माण करने के सम्बन्ध में निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य शिक्षा में स्वास्थ्य सहायकों को प्रशिक्षण

3247. श्री राजदेव सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बहुद्देश्यीय कार्यकर्ताओं और अर्हता-प्राप्त डाक्टरों के बीच एक सम्पर्क-सूत्र के रूप में काम करने के लिए स्वास्थ्य सहायकों के संवर्ग को प्रशिक्षण देने के लिए एक उपयुक्त पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए चिकित्सा शिक्षा और सहायक जनशक्ति के बारे में एक ग्रुप की सरकार ने स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो क्या बहुद्देशीय कार्यकर्ताओं के माध्यम से स्वास्थ्य परिवार कल्याण और पोषाहार सेवाओं का एकीकरण करके स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने में सुधार हेतु प्रयास किया जा रहा है; और

(ग) क्या सभी उपकरणों से सुसज्जित मेडिकल डाक्टरों के पर्यवेक्षण में काम करने वाले स्वास्थ्य सहायकों को मध्यवर्ती व्यवस्था आवश्यक मानी गई है, जिससे उक्त क्षेत्र में सेवाओं के सुगम क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक और न्यूनतम चिकित्सा सहायता उपलब्ध की जा सके?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां। ऐसा ग्रुप एक नवम्बर, 1974 को स्थापित किया गया था।

(ख) जी हां। एकीकृत स्वास्थ्य सुविधाओं के कार्यक्रमों की व्यवस्था बहुद्देश्यीय स्वास्थ्य सहायकों / एक नई श्रेणी के चिकित्सा कार्मिकों के माध्यम से होगी जिन्हें इस प्रयोजन के लिए विशेषरूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है।

(ग) जी हां। जिस ग्रुप का "(क)" पर जिक्र किया गया है उसे बुनियादी चिकित्सा, निरोधात्मक और पोषाहार सेवाओं, परिवार कल्याण, प्रसूती तथा शिशु कल्याण की जानकारी रखने वाले स्वास्थ्य सहायकों के एक काडर का प्रशिक्षण देने के लिए उचित पाठ्यचर्या तैयार करने के लिए कहा गया है ताकि वे अर्हता प्राप्त चिकित्सकों और बहुद्देश्यीय कार्यकर्त्ताओं के बीच एक सम्पर्क-सूत्र के रूप में कामकर सकें। इस श्रेणी के कार्मिक, लोगों को चिकित्सा सहायता और दूसरी सेवाएं सुलभ करेंगे।

घटिया पोलियो वैक्सीन बेचने के कारण कुछ औषधि विक्रेताओं के लाइसेंस निलम्बित किया जाना

3248. डा० सरदीश राय : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध नियंत्रक कार्यालय को इस बात का पता लगा था कि औषधि विक्रेताओं द्वारा बेची जा रही तथा बहुत से नगर तथा राज्य चिकित्सा संस्थानों द्वारा रोगियों को दी जा रही पोलियो वैक्सीन बहुत घटिया किस्म की है;

(ख) क्या इस वर्ष अप्रैल में घटिया वैक्सीन बेचने के कारण औषधि विक्रेताओं के लाइसेंस निलम्बित किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन औषधि-विक्रेताओं के नाम तथा पते क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कोयला खान कर्मचारियों की अमानवीय स्थिति

3249. श्री अरविन्द एम० पटेल : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोयला खान कर्मचारियों की अमानवीय स्थिति से अवगत हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) सरकार के ध्यान में कोई विशिष्ट मामला नहीं लाया गया है। तथापि, कोयला उपक्रम, कोयला खान श्रमिकों की दशाओं को सुधारने के लिए पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। उनके और राज्य सरकारों के प्रयासों को कोयला खान कल्याण संगठन धनबाद, जो खान श्रमिकों को चिकित्सा, आवास, जल संभरण, शिक्षा और मनोरंजन सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, द्वारा अनुपूरित किया जा रहा है।

बाल श्रमिक

3250. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बाल-श्रमिक अभी भी पाये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में बाल श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) उन्हें किस दर से वेतन दिया जाता है; और

(घ) बाल श्रमिक व्यवस्था को हतोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाये गये है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) बाल नियोजन अधिनियम, 1938 15 वर्ष से कम की आयु के बालकों के रेलवे द्वारा यात्रियों, माल या डाक के परिवहन से सम्बन्धित, या किसी पत्तन की सीमाओं के भीतर पत्तन प्राधिकरण से सम्बन्धित किसी व्यवसाय में नियोजन को प्रतिषिद्ध करता है। यह अनुसूचति प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चो के नियोजन को भी प्रतिषिद्ध करता है।

कारखाना अधिनियम भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन को प्रतिषिद्ध करता है। तथापि, यह अधिनियम बच्चे को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, जिसने अपना पन्द्रहवाँ वर्ष पूर्ण नहीं किया है। ऐसे चालू कारखानों से प्राप्त वार्षिक रिपोर्टों के अनुसार, जिन्होंने 1972 के दौरान विवरणियां प्रस्तुत कीं, नियोजति बच्चों की अन्तिम कुल संख्या 1634 थी।

बागान श्रमिक अधिनियम, 1951, बारह वर्ष से कम आयु के बच्चो के नियोजन को प्रतिषिद्ध करता है और यह अधिनियम भी बच्चे को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसने अपना पन्द्रहवाँ वर्ष पूरा नहीं किया हो।

अधिनियम के कार्यकरण के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से प्राप्त, 1971 की वार्षिक रिपोर्टों के अनुसार, बागानो में बच्चों का औसत दैनिक नियोजन 51,982 था।

(ग) बच्चों को भुगतान की गई मजदूरी की दरो के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है। बच्चों के सम्बन्ध में न्यूनतम मजदूरों अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत केन्द्रीय और राज्य क्षेत्र में विभिन्न अनुसूचित रोजगारों में निर्धारित को मजदूरी की दरों में अन्तर है।

(घ) कई श्रम कानून, अर्थात् बालनियोजन अधिनियम 1938, कारखाना अधिनियम, 1948 खान अधिनियम, 1952, बागान श्रमिक अधिनियम, 1951, बीडी और सिगार श्रमिक (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1966 और मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम, 1961 सामान्य रूप से बच्चों के नियोजन पर तथा विभिन्न प्रकार के उद्योगों और व्यवसायों में प्रतिबन्ध लगाते हैं।

भारत के उत्तर पूर्वी सीमान्त सीमा पर चीनी सेना का जमाव

3251. श्री एस० एन० मिश्र : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने भारत के उत्तर-पूर्व सीमांत सीमा के साथ तिब्बत क्षेत्र में अपनी सेना जमा कर ली है और अपनी गतिविधियां बड़ा ली हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) हमारी उत्तर-पूर्व सरहद पर तिब्बत के साथ सीमा पर चीनी सेना के किसी असाधारण जमाव अथवा उसकी गतिविधियों में वृद्धि के संकेत नहीं है। तथापि, चीन ने तिब्बत में एक लाख से अधिक सैनिकों को नियुक्त किया हुआ है।

(ख) सभी सम्बन्धित गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है और हमारे रक्षा उपायों की योजना बनाते समय उन पर ध्यान दिया जाता है।

कोचीन उद्योग मंडल से अन्तर्देशीय जल परिवहन

3252. श्री सी० जनार्दन : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने "कोचीन से उद्योग मंडल तक अन्तरदेशीय जल परिवहन मार्ग में सुधार" करने पर मार्च, 1972 में केन्द्रीय सरकार की स्वीकृती तथा अनदान के रूप में केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु एक परियोजना प्रतिवेदन भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या है; और

(ग) योजना की मंजूरी तथा सहायता देने के आदेश जारी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) योजना राज्य सरकार ने अप्रैल, 1972 में भेजी।

(ख) योजना में प्रस्तावित कार्य का मोटा ब्यौरा निम्नप्रकार है:—

	रुपये
मिट्टी कार्य	2748420
बचाव कार्य	488000
भूमी अर्जन	100000
संयंत्र और औजार	425000
स्थापना और लेखापरीक्षा व्यय	316000
आकस्मिक व्यय	100080
	4177500

(ग) योजना चौथी योजना में शामिल नहीं की गई थी परन्तु अब इसे मसौदा पांचवी योजना में स्थायी रूप से शामिल किया गया है और विचाराधीन है।

खेतड़ी तांबा परियोजना स्मेल्टर

3253. श्री के० मालन्ना : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतड़ी तांबा परियोजना का स्मेल्टर चालू किये जाने के लिये तैयार है; और

(ख) यदि नहीं, तो परियोजना ने क्या प्रगति की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) खेतड़ी तांबा परियोजना का प्रद्रावक नवम्बर, 1974 में पहले ही चालू हो चुका है ?

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय समुद्रीय सीमाओं में भूमि तथा खनिजों सम्बन्धी कार्यक्षेत्र तथा दायित्व

3254. श्री मधु लिमये : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान की धारा 287 के अन्तर्गत भारत संघ की समुद्रीय सीमाओं में भूमि तथा खनिजों के हितों की रक्षा का भार नौवहन परिवहन मंत्रालय पर है;

(ख) यदि नहीं, तो यह दायित्व किस के कार्य क्षेत्र मे आता है; और

(ग) गत 24 वर्षों से इस दायित्व को विशेषतया राज्य सरकारों तथा विदेशी शक्तियों से केन्द्र सरकार के हितों को बचाने के संदर्भ में सरकार द्वारा की गई कार्यवाहियों का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी नहीं।

(ख) यह जिम्मेदारी विभिन्न मंत्रालयों जैसे कि कृषि एवं सिंचाई, रक्षा, विदेश, गृह, इस्पात एवं खान, निर्माण आवास मंत्रालयों तथा परमाणु ऊर्जा विभाग की है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

रक्षा कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन तथा भत्ता

3255. श्री डी० पी० जदेजा : क्या **रक्षा** मंत्री रक्षा कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन तथा वेतन के बारे में 28 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2550 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा की तुलना में ये वेतन और भत्ते कितने हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : तृतीय वेतन आयोग की सिफारिश पर सशस्त्र सेनाओं के जनरल काडर, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के लिए सरकार द्वारा माने गये संशोधित वेतनमानों की एक तुलनात्मक सारणी संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8677/74]**

सशस्त्र सेना, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अफसरों के लिए जो भत्ते एक जैसे हैं अर्थात महंगाई भत्ता और प्रतिपूरक (नगर) भत्ता उन्हें उसी दर पर ग्राह्य हैं।

भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अफसर कतिपय विनिर्दिष्ट नियुक्ति के लिए विशेष वेतन लेने के पात्र हैं। वे मकान किराया भत्ता पाने के पात्र भी हैं। भारतीय पुलिस सेवा के अफसरों को वर्दी के अनुरक्षण के लिए भत्ता दिया जाता है।

सशस्त्र सेनाओं के अफसर कतिपय भत्तों के पात्र हैं जैसे ऊंचाई और प्रतिकूल जलवायु भत्ता, फील्ड में सेवा के लिए विच्छोह भत्ता, किट अनुरक्षण भत्ता आदि। वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए गये ऐसे भत्तों की दरें बढ़ाई नहीं गई है। ये अफसर आवास के लिए किराये की और जल तथा बिजली के खर्च की वसूली के मामले में कतिपय रियायतें पाने के पात्र भी हैं।

Public Sector Companies and Corporations under Ministry of Steel and Mines

3256. Shri Chandulal Chandrakar : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the number of companies and corporations in the public sector under his Ministry;

(b) the capital invested therein, separately;

(c) the amount of loss suffered or profit earned by each during the last three years; and

(d) the steps being taken to save them from suffering loss?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) : (a) to (c) The required information is given in the attached statement. [*Placed in Library. See No. L. T.* 8678/74].

(d) It will be noticed that most of the companies earned a profit in 1973-74.

Profitability is a function of costs, volume of production and prices. The exact reasons for the unsatisfactory working results would differ from company to company or year to year but, generally speaking, the losses in most cases are attributable to lower production/inadequate utilisation of rated capacity and escalations in costs. A number of steps have, therefore, been taken to raise production to near rated capacity levels as rapidly as possible.

In the case of Bokaro Steel Plant, only a few units have been commissioned so far and the others including the rolling and finishing mills are still under construction/erection.

Mineral Exploration Corporation is not a production agency. However, necessary steps have been taken to improve its performance and to reduce per unit cost.

दुर्गापुर अलाय स्टील की आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के यूनियन सचिव की हत्या की जांच

3257. श्री राबिन सेन : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दुर्गापुर अलाय स्टील की आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के यूनियन सचिव की 24 अगस्त, 1974 को की गयी हत्या की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) यह समाचार मिला है कि हिन्दुस्तान स्टील लि० के दुर्गापुर मिश्र-इस्पात कारखाने के एक कर्मचारी श्री सुसान्त चक्रवर्ती को जो अलाय स्टील्स श्रमिक यूनियन (एटक) के

4—42 LSS (ND)/74

सहायक सचिव भी थे 24 अगस्त, 1974 को जब वे सायंकाल लगभग 7-30 बजे रिक्शा पर बैठ कर बस्ती क्षेत्र में जा रहे थे, छुरा मार दिया गया था। उन्हें तत्काल इस्पात कारखाने के अस्पताल ले जाया गया जहां लगभग 11-30 बजे रात को उनकी मृत्यु हो गई।

(ग) यह मामला राज्य सरकार का है जो इसकी पैरवी कर रही है।

पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के लिये आवास

3258. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1960-61 तथा वर्ष 1973-74 में प्रत्येक पत्तन पर पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के रूप में कितने कितने व्यक्ति नियुक्त थे;

(ख) वर्ष 1960-61 तथा 1973-74 में, पत्तनवार, कितने प्रतिशत कर्मचारियों को आवास सुविधा प्रदान की गई;

(ग) क्या इस मामले में कुछ पत्तन दूसरों से पीछे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) में (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे लोक सभा के पटल पर रखा जायेगा।

शिपयार्ड की स्थापना संबंधी समिति की सिफारिशें

3259. **श्री वनमाली पटनायक :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न क्षेत्रों में पोत निर्माण यार्ड स्थापित करने संबंधी सरकार द्वारा गठित समिति की सिफारिशें क्या है, और

(ख) क्या प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) विभिन्न संदेशों में जहाँ निर्माण यार्डों की स्थापना के लिये सरकार ने कोई समिति स्थापित न की। राज्य सरकारी द्वारा प्रस्तावित विभिन्न स्थानों के मूल्यांकन के लिये केवल एक तकनीकी आर्थिक कर्मचारी कार्यदल की स्थापना की गई।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Disparity in Pay Scales of Ayurvedic Graduates and Allopathic Doctors

3260. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to states :

(a) the reasons for disparity i n the pay scales of Ayurvedic graduates and Allopathic doctors;

(b) whether Government propose to bring parity in their pay scales; and

(c) if so, when?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque) : (a) While the curriculum and syllabus and the duration of training in modern medicine is uniform throughout the country, the curriculam and syllabus, the duration

of training and the minimum standard for admission in Ayurvedic system varies from State to State and in some cases, even from institution to institution within the same State. As such a disparity exists between the scales of pay of Ayurvedic graduates and that of the allopathic doctors.

(b) & (c) After the standard of education in Ayurvedic Colleges is made uniform and raised to the level of allopathic, the matter of scales of pay will be examined.

E. P. F. Outstanding against Nationalised Sick Textile Mills

3261. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Labour** be pleased to state the number of mills, among the recently nationalized sick textile mills whose owners have not deposited the amount of Employees Provident Fund and the amount outstanding against each of them?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : The Provident Fund Authorities have reported that the information is not readily available and is being collected. It will be laid on the Table of Sabha in due course.

बिहार में टी० बी० और हैजे का उन्मूलन

3262. **कुमारी कमला कुमारी :**
श्री त्रिभूति मिश्र :
श्री एम० एस० पूरती :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के छोटा नागपुर और अन्य भागों में टी० बी० मलेरिया और हैजे का उन्मूलन करने के लिए केन्द्रीय सरकार बिहार सरकार को मदद करेगी, क्योंकि राज्य सरकार इस बारे में पूरी तरह असफल रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) क्षय रोग, मलेरिया और हैजा का नियंत्रण/उन्मूलन करने के लिए केन्द्रीय पोषित योजनायें हैं जिनके अन्तर्गत सभी राज्य सरकारों को सहायता दी जाती है। बिहार सरकार को भी इन योजनाओं को अपने राज्य में जिसमें छोटा नागपुर भी शामिल है, चलाने के लिए निर्धारित पैटर्न पर सहायता दी जा रही है।

दिल्ली के आयुर्वेदिक औषधालयों में काम कर रहे अनर्ह वैद्य

3263. **श्री वीर भद्र सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली आयुर्वेदिक औषधालय में बहुत से अनर्ह वैद्य काम कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

भारत पाकिस्तान संबंध

3264. **श्री एच० एन० मुखर्जी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे संबंध पाकिस्तान से कहां तक सुधरे हैं; और

(ख) उसके तथ्य क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) जैसा कि सदन को मालूम है कि जुलाई 1972 में सिमला समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद उसके कई प्रावधानों को क्रियान्वित किया जा चुका है।

पैरा 4 का क्रियान्वयन अर्थात 17 दिसम्बर, 1971 के युद्ध-विराम के फलस्वरूप जम्मू-कश्मीर में जो नियंत्रण रेखा बनी थी उसे अंकित करना और भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अपनी अपनी और हटाने का काम दिसम्बर, 1972 में पूरा हो गया था। दिल्ली समझौता और बंगलादेश, भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय समझौते के परिणामस्वरुप युद्धबंदियों और असैनीक नजरबंदों का देश प्रत्यावर्तन 30 जून 1974 को पूरा हो गया था। शिमला समझौते के पैरा 3 में स्थिति को सामान्य बनाने के जिन विभिन्न उपायों की बात सोची गई है उन पर अमल की दिशा में प्रगति हो रही है और डाक वस्तुओं के आदान-प्रदान, दूर-संचार तथा बीजा समझौते पर 14 सितम्बर, 1974 को इस्लामाबाद में हस्ताक्षर हो चुके हैं। सिविल विमानन से संबद्ध मामलों पर 18 से 22 नवम्बर, 1974 तक रावलपिंडी में बातचीत हुई थी जिससे एक दूसरे के दृष्टिकोण को ज्यादा अच्छी तरह समझने में सहायता मिली। यह बातचीत दिल्ली में होने वाली अगली बैठक में भी जारी रहेगी। दोनों देशों के बीच व्यापार आरम्भ करने के बारे में 26 से 30 नवम्बर तक नई दिल्ली में बातचीत हुई जिसके परिणामस्वरूप एक प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किये गये जिसके अनुसार दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार पर लगा प्रतिबंध 7 दिसम्बर 1974 से उठा लिया जायेगा।

Sending of Employees of D. G. H. S. and attached offices abroad for Medical Education

3265. **Shri Nathuram Ahirwar :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the number of officers and employees of the Directorate General of Health Services and attached offices of the Ministry who were sent abroad for medical education under various scholarship schemes of International Organisations (World Health Organisations etc.) together with their qualifications seniority and the sphere of training;

(b) whether these officers-employees are selected on the basis of seniority and qualifications and whether all the senior persons (in service) have been trained; and

(c) the reasons for deputing or proposing to depute junior persons for training?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque) : (a) to (c) Ten officers from the attached Office of the Ministry of Health and Family Planning viz. Directorate General of Health Services went abroad during the past three years for advanced education and training in the field of Medical Education, Health Education, Community Health, Malaria Eradication, Smallpox Eradication Programme, Tuberculosis Control and Dental Surgery, under the various Internationally assisted Programmes. These officers were selected by a Central Selection Committee on the basis of qualifications and experience possessed by them keeping in view the requirements laid down by the international organisations concerned. The seniority in a particular cadre is not one of the basic criteria for selection of candidates for training abroad.

कोयला खान भविष्य निधि योजना में संशोधन

3266. श्री गजाधर मांझी :
श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान भविष्य निधि योजना के न्यास मण्डल ने सरकार को कहा है कि वर्तमान कानून में इस प्रकार संशोधन किया जाए कि सदस्यों को यह अधिकार मिल जाये कि वे अपनी भविष्य निधि में से जीवन बीमा पालिसियों के लिए अदायगी करना बन्द कर सकें; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) : कोयला खान भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

कोयला खान भविष्य निधि के न्यासी बोर्ड ने 24 सितम्बर, 1974 को हुई अपनी बैठक में निर्णय किया कि कोयला खान भविष्य निधि योजना को संशोधित करने के लिए आवश्यक कारवाई की जाए ताकि सदस्यों को उनकी जीवन बीमा पालिसियों को, जिनका भुगतान कोयला खान भविष्य निधि से किया जा रहा था, उनके अनुरोध पर किसी भी समय उन्हें पुनः अभिहस्तांकित किया जा सके। इस मामले में कोयला खान भविष्य निधि प्राधिकारी आगे कार्रवाई कर रहे है और उनके प्रस्ताव की प्रतीक्षा की जा रही है।

गाड़ियों के चलाये जाने पर लगाए गये प्रतिबंध के कारण वैकल्पिक कर

3267. श्री बसंत साठे : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को 500 किलोमीटर तक गाड़ियों के चलाये जाने पर लगाये गये प्रतिबन्ध के कारण चुंगी के स्थान पर कोई वकल्पिक कर लगाने के लिये कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) और (ख) चुंगी की समाप्ति राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है। केन्द्रीय सरकार इस बारे में सड़क परिवहन कराधान जांच समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिये, राज्य सरकारों को राजी करने का प्रयत्न करती रही है। परन्तु चुंगी की समाप्ति राज्य सरकारों द्वारा अन्य स्वीकार्य कर ढूंढने पर निर्भर करती है।

इस्पात कारखानों को हानि

3268. श्री गजाधर मांझी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 के दौरान बोकारो के अतिरिक्त अन्य किन इस्पात कारखानों को हानि हुई; और

(ख) इसके क्या कारण हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) वर्ष 1973-74 में सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में बोकारों इस्पात कारखाने को छोड़कर हिन्दुस्तान स्टील लि० के दुर्गापुर इस्पात कारखाने और इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० (जिसका बर्नपुर का कारखाना है) को हानि हुई है।

(ख) यह हानि मुख्यतः उत्पादन में कमी तथा अधिष्ठापित क्षमता का कम उपयोग होने के कारण हुई।

Rules for Payment of Gratuity to Mine Labourers

3270. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) whether there is no provision for payment of gratuity to mine labourers;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the rules that govern the payment of gratuity to labour?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) The Payment of Gratuity Act, 1972 applies to all the mines as defined in clause (j) of sub-section (1) of section (2) of the Mines Act.

(b) Does not arise.

(c) The Payment of Gratuity Act, 1972 and the Payment of Gratuity (Central) Rules 1972 framed thereunder govern the payment of gratuity to the mine labour.

पश्चिम बंगाल में रहस्यपूर्ण रोग से मौतें

3271. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैजे से भी अधिक घातक तथा इसी प्रकार के लक्षणों वाली एक रहस्य-पूर्ण बीमारी से पश्चिम बंगाल में कूच-बिहार तथा जलपाईगुडी के क्षेत्र रोगग्रस्त हो गये हैं;

(ख) क्या इस बीमारी से बहुत मौतें हुई हैं और कुल कितनी मौतें हुई; और

(ग) यदि हां, तो इस रोग को देश के अन्य भागों में फैलने से रोकने के लिए सरकार का किस प्रकर की तत्काल कार्यवाही करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) हाल की बाढ़ के बाद कूच बिहार और जलपाईगुड़ी जिलों के कुछ क्षेत्रों में हैजा फैल गया। तीव्र अतिसार के कारण अब तक इन जिलों में 671 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने की सूचना मिली है।

(ग) हैजा के रोगियों को अलग रखने तथा उनका इलाज करने, हैजा निरोधी टीके लगाने के लिए अभियान चलाने, पानी के स्रोतों को रोगाणुमुक्त करने, रस्वास्थ्य की देख-रेख करने की जानकारी देने आदि के उपाय बरते गये हैं और अतिरिक्त स्वास्थ्य कर्मचारी भरती कर लिए गए है। यहां पर इस रोग पर अब काबू पा लिया गया है। हैजा अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता के एक दल ने तथा संचारी रोगों के राष्ट्रीय संस्थान के एक अधिकारी ने इस बीमारी के फैलने की जाच करने तथा उस पर काब पाने में राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों की मदद की।

स्टील यार्डों में स्टील का जमा हो जाना

3272. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या स्टील यार्डों में स्टील के जमा होने का कारण इस्पात कारखाने को उत्पादन में वृद्धि है अथवा उसके कोई अन्य कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : 1-12-1974 को मुख्य उत्पादकों के स्टाकयार्डों में लोहे और इस्पात का स्टाक लगभग 200,000 टन था जो इन स्टाकयार्डों की लगभग एक महीने की बिक्री के बराबर है। इतना स्टाक सामान्य स्टाक माना जाता है।

लोहे और इस्पात के स्क्रैप के मूल्य

3273. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या लोहे और इस्पात के स्क्रैप के मूल्यों और मांग में गिरावट आई है;

(ख) क्या इसका कारण स्क्रैप की निर्यात नीति गलत होना है जिसे बदलने की आवश्यकता है; और

(ग) क्या इस कारण स्क्रैप उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और सरकार को इससे विदेशी मुद्रा के रूप में 5 करोड़ रुपये को हानि हो सकती है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रादेशिक सेना में भर्ती को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यवाही

3274. श्री नारायण पराशर : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रादेशिक सेना में भर्ती को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ख) राज्य और केन्द्रीय सेवाओं से अधिकारियों को इस सेना में प्रशिक्षण के लिये किन किन शर्तों पर चुना जाता है?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) प्रादेशिक सेना में भर्ती को प्रोत्साहन देने के निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) समाचार पत्रों, आकाशवाणी वृत्त-चित्र दिखाकर, स्लाइडों, प्रमुख स्थानों पर पोस्टरों के प्रदर्शन और उद्योगपतियों के साथ सम्पर्क के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाता है।

(2) राज्य सरकारों को समय-समय पर लिखा जाता है कि वे इस बारें में उपयुक्त उपाय करें।

(ख) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के 18 से 35 वर्ष की आयु ग्रुप वाले अफसर जो स्वस्थ हैं प्रादेशिक सेना में प्रवेश कर सकते हैं। रेलवे और डाक व तार विभाग के विभागीय प्रादेशिक सेना अफसरों के मामले में अधिक आयु सीमा में क्रमश: 40 और 45 वर्ष तक की छूट है।

प्रादेशिक सेना को प्रशिक्षण देने की सुविधाएं

3275. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी बड़ी संख्या में सिविलयिन अधिकारी प्रादेशिक सेना में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सहमत नहीं हैं क्योंकि इस प्रशिक्षण के लिए उन्हें उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करने का विचार है ताकि वे प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें; और

(ग) सिविल अधिकारियों की राज्यवार संख्या कितनी है जिन्होंने गत तीन वर्षों में यह प्रशिक्षण प्राप्त किया है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) और (ख) वर्तमान विषयों के अधीन प्रादेशिक सेना के सभी अफसरों जिनमें सिविलियन अफसर भी सम्मिलित हैं, के लिए वार्षिक प्रशिक्षण अनिवार्य है जबतक कि किसी के अनुरोध पर तो छूट नहीं दे दी जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रशिक्षण पाने के लिए उदार सुविधाएं देने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान जिन सिविल अफसरों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसकी राज्यवार संख्या निम्नलिखित है :—

केन्द्र सरकार	227
आंन्ध्र प्रदेश	1
असम	12
बिहार	1
दिल्ली	3
गुजरात	6
हरियाणा	6
हिमाचल प्रदेश	5
केरल	6
कर्नाटक	1
मध्य प्रदेश	3
महाराष्ट्र	2
उड़ीसा	1
पंजाब	30
राजस्थान	6
उत्तर प्रदेश	13
पश्चिम बंगाल	18
जोड़	341

भारत-हंगेरी संयुक्त आयोग

3276. श्री भानसिंह भौरा :

श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-हंगेरी संयुक्त आयोग की पहली बैठक के दौरान एक प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर हुये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां।

(ख) इस प्रोटोकोल में दूर संचार, उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृषि, रसायन एवं भेषज तथा व्यापार के आदान-प्रदान की दिशा में सहयोग के क्षेत्र तय किये गये हैं।

आयरन एण्ड स्टील स्क्रैप इंडस्ट्रीज में संकट

3277. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय आयरन एण्ड स्टील स्क्रैप एसोसिएशन ने सरकार से निर्यात की पुनः अनुमति देने अथवा मैटल स्क्रैप कारपोरेशन को उद्योगों में जमा स्टाक का क्रय करने सम्बन्धी निदेश देने का अनुरोध किया है ताकि उद्योग सम्भावित संकट से बचाया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) भारतीय आयरन एण्ड स्टील स्क्रैप एसोसिएशन से स्क्रैप की कुछ किस्मों का निर्यात करने की अनुमति के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

राजस्थान में प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाया जाना

3278. श्री श्रीकिशन मोदी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान राज्य में और प्राकृतकि संसाधनों की खोज करने और पता लगाने के लिये भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने कोई प्रयत्न किये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : जी, हां। राजस्थान में अब तक किए गए सर्वेक्षणों के परिणामस्वरुप मुख्य खनिजों में, तांबा अयस्क के 1338.10 लाख टन, सीसा-जस्ता अयस्क के 530 लाख टन, लोह अयस्क के 160 लाख टन, चुना-पत्थर के 73355.50 लाख टन, झेलोपाइट के 1010 लाख टन, फोस्फोराइट के 484.30 लाख टन, जिप्सम के 11031.30 लाख टन, बैन्टोनाइट के 669.90 लाख टन, चीनी मिट्टी के 288.60 लाख टन, फायरक्ले के 51.97 लाख टन, फुलर्स अर्थ के 2393.40 लाख टन, बराइटस के 75,912 टन, स्टीटाइट के 24.75 लाख टन, पाइराइट-पाईरोइट के 803.40 लाख टन, वरमीकुलाइट के 4000 टन, बुलैस्टोनाइट के 620 लाख टन तथा लिग्नाइट के 203.00 लाख टन भंडार होने का अनुमान है।

भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के चालु वार्षिक क्षेत्रगत कार्यक्रम (1974-75) में, राजस्थान के प्रायः सभी जिलों में भुवैज्ञानिक मानचित्रण किया जा रहा है। विभिन्न जिलों में

प्रस्तावित क्षेत्रीय खनिज खोज कार्य मूल-धातु तथा बहु धात्विक अयस्क के लिए जयपुर सीकर, अलवर बांसवाडा, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, पाली, भरतपुर, तथा झुनझुन में, बाक्साइट- के लिए कोटा और झालबार में अभ्रक के लिए, भीलबाड़ा, ग्रेफाइट के लिए बांसवाडा, फास्फोराइट के लिए उदयपुर, फ्लाराईट के लिए डंगरपुर तथा उदयपुर, बुलस्टानाइट के लिए पालीं, सिरीही, उदयपुर; फुलर्स मिट्टी बेंटोलाइट, सिलिकामय मिट्टी तथा सीसा रेत के लिए जसलमेर में किया जाना है।

केरल के तटों में खनिज संसाधन

3279. श्री वयालार रवि : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के तटों में खनिज संसाधनों के आरक्षित भंडारों का अनुमान लगाने के लिये भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा किये गये सर्वेक्षण के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ख) इन दुर्लभ खनजि संसाधनों का उपयोग करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव साद): (क) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण द्वारा किये गए सर्वेक्षणों के फलस्वरुप अब तक के अनुमानों के अनुसार तटवर्ती क्षेत्रों में विभिन्न खनिजों के भंडार इस प्रकार है—कोजी कोड जिले में 31.46 से 41.24 प्रतिशत लोह वाले लगभग 587.10 लाख टन लोह अयस्क; अल्लैपी तथा कोट्टायम जिलों के वेम्बा-नाड सील क्षेत्र में 22.50 लाख टन चुनाशैल, कन्नानौर, अल्लेपी, क्विलोन, तथा त्रिवेन्द्रम जिलों में% 40 से अधिक एलूमिना तथा 10% से कम सिलिका वाला 120 लाख टन बाक्साइट, क्विलोन तथा त्रिवेन्द्रम जिलों में 430 लाख टन चीनी मिट्टी, अस्लेपी जिले में 130 लाख टन सीसारेत, एर्नाकुलम, क्विलोन तथा त्रिवेन्द्रम जिलों में 0.80 लाख टन ग्रेफाइट के भंडार हैं, इसके अलावा राज्य के समुद्री इलाके में इलेमिनाइट, मोनाजाइट, सिलोमिनाइट रेत के व्यापक भंडार हैं। इसके अतिरिक्त, त्रिवेन्द्रम जिले के विभिन्न भागों में क्राइसोबेरिल के छुटपुट भंडार होने का पता चला है ।

(ख) इस समय केरल में, चीनी मिट्टी, केओलिन, लाइम-शैल, सिलीमेनाइट, सिलिका रेत तथा अन्य रेत के कुछ निक्षेपों की खुदाई की जा रही है। केरल राज्य सरकार ने खनिजों की खुदाई की निम्नलिखित योजनाएं बनाई है, जो उक्त सरकार द्वारा गठित एक खनन कार्यकारी दल की सिफारिशें पर आधारित है:—

(1) खनजि अन्वेषण जिसमें, राज्य के विभिन्न भागों में लौह अयस्क, बाक्साइट, ग्रेफाइट, चीनी मिट्टी, तथा सीसा रेत के निक्षेपों से प्रायोगिकि खनन तथा व्यापक नमूने एकत्र करने का काम सम्मिलित है।

(2) रासायनिक प्रयोगशाला को मजबूत करना ताकि उसमें व्यापक रासायनकि जांच तथा अयस्क परिष्करण परीक्षण किए जा सकें।

(3) तकनीकी कर्मचारियों को खनिज निक्षेपों के अन्वेषण, पूर्वेक्षण, खनन तथा परिष्करण में उन्नत प्रशिक्षण दिया जाना।

(4) राज्य के खनन और भूतत्व विभाग तथा विश्वविद्यालय के भूतत्व विभाग द्वारा किए जा रहे अनुसंधान और विकास कार्यों का एक समन्वित कार्यक्रम के अन्तर्गत विस्तार।

लघु इस्पात मिलों द्वारा लोहे की छड़ों का निर्यात

3280. **श्री वयालार रवि :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी लघु इस्पात मिलों ने लोहे की छड़ों तथा इस्पात को अन्य वस्तुओं के निर्यात के लिये लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र भेजे हैं; और

(ख) इनमें से कितनी फर्मों को इस्पात उत्पादों का निर्यात करने की अनुमति दी गई है और इस पुनरीक्षित नीति के कारण कल कितना इस्पात निर्यात किये जाने की आशा है और इससे कितनी विदेश मुद्रा अर्जित होने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) छड़ों तथा गोल छड़ो के निर्यात के लिए निर्यात लाइसेंस प्राप्त करने हेतु 8 पुनर्बेलकों से 25 प्रार्थना पत्र और तारों के निर्यात के लिए वायर तार बनाने वाली ईकाइयों से 3 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए है। इस की कुल मात्रा 20,629 टन छड़ तथा गोल छड़ तथा 450 टन तार है। आवश्यक अनुमति दे दी गई है। इससे 547 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा की आय होने की आशा है।

कोचीन के निकट औद्योगिक क्षेत्र में अन्तर्देशीय जल परिवहन का विकास

3281. **श्री वयालर रवि :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भागवत समिति प्रतिवेदन में कोचीन के निकट औद्योगकि क्षेत्र के लिए अन्तर्देशीय जल परिवहन सुविधाओं के विकास को एक प्राथमिकता वाली योजना समझा गया है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या इस योजना में शामिल चम्पाकर नहर में सुधार हेतु सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है और यदि हां, तो अब तक इस कार्य में क्या प्रगति हुई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) भगवती समिति ने अपनी रिपोर्ट में दूसरी बातों के साथ साथ कोचीन प्रदेश में औद्योगिक समूह के लिए अन्तर्देशीय जल परिवहन की व्यवस्था के लिए एक योजना की सिफारिश की।

(ख) और (ग) चंपाकारा नहर को चौड़ा और गहारा करने सहित, कोचीन प्रदेश में औद्योगिक समूह के लिए अन्तर्देशीय जल परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था के लिए योजना की स्वीकृति, 112.50 लाख रुपये की लागत पर चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में, एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तौर पर की गई है। इस योजना पर कार्य प्रगती में है। 31-3-74 तक किए गए खर्च या होने वाले खर्च के आधार पर उक्त तारीख तक इस योजना के लिए 60.59 लाख रुपये की रकम केन्द्रीय ऋण सहायता के रूप में केरल सरकार को दी गई है।

पंजाब में प्राकृतिक साधनों का पता लगाया जाना

3282. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग ने पंजाब में और अधिक प्राकृतिक साधनों की खोज करने तथा पता लगाने के लिये कोई प्रयास किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस की मुख्य बातें क्या हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) : जी, हां। पंजाब के 75% से अधिक क्षेत्र का 1"=1 मील के पैमाने पर व्यवस्थित भूवैज्ञानिक मानचित्रण किया जा चुका है तथा शेष क्षेत्र का भूवैज्ञानिक मानचित्रण लघुतर पैमाने पर किया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए विस्तृत खोज कार्य के फलस्वरूप, बोरमपुर, महिन्दपुर में कैल्क-टयूफा, होशियारपुर जिले के जैजोर तथा गढ़ो मंसावल में शीशा रेत का पता चला है। गुरदासपुर में नमक तथा फिरोजपुर में साल्टपीटर के भरपूर निक्षेपों और पठानकोट के समीप चक्की नदी की तलहटी में चूनापत्थर के कुछ निक्षेप का भी पता चला है।

गुरदासपुर जिले के घास-दूनेरा इलाके में बाक्साईट होने की सूचना की प्रारंभिक जांच, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा 1974-75 के क्षेत्रगत-सत्र में किए जाने का प्रस्ताव है।

गोआ में प्राकृतिक साधनों का पता लगाना

3283. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय भूसर्वेक्षण विभाग ने गोआ राज्य में अधिक प्राकृतिक साधनों की खोज करने तथा पता लगाने के लिये कोई प्रयास किये हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : जी, हां। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था 1962 से ही गोआ में खनिज संसाधनो की खोज और पैमाइश का काम करती आ रही है। पैमाइश का काम वह पहले ही पूरा कर चूकी है और बाक्साइट, चूना पत्थर और खनिज मिट्टी के कुछ निक्षेपों का पता लगाया है। अब समूचे गोआ राज्य में लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क निक्षेपों का पुनः निर्धारण करने का प्रस्ताव है।

मध्य प्रदेश में मेंगनीज अयस्क का उत्पादन

3284. श्री गंगा चरण दीक्षित : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश राज्य में जांचे हुए क्षेत्रों में मेंगनीज अयस्क का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है।

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : मध्य प्रदेश में मैंगनीज अयस्क का खनन कार्य मैंगनीज ओर (इंडिया) लि० अथवा निजि क्षेत्र में खनन पट्टेधारियों द्वारा किया जा रहा है। मंगनीज ओर इंडिया लि० के पास पहले ही मगनीज अयस्क का काफी स्टाक हैं। हाल में मैंगनीज ओर (इंडिया) लि० स्टाक कम करने के लिए विशेष उपाय करने पड़े थे निजि क्षेत्र में उत्पादन सामान्यतः मांग और पूर्ति नियम के आधार पर होता है। मैंगनीज अयस्क के खनन पट्टों के लिए गैर सरकारी पार्टियों के आवेदनों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है बेशर्ते कि क्षेत्र मैंगनीज ओर (इंडिया) लि० द्वारा पट्टे पर लिए गये क्षेत्र के निकट न हो अथवा वह क्षेत्र सरकारी क्षेत्र में मैंगनीज अयस्क निकालने के लिए आरक्षित न रखा गया हो।

उड़ीसा में प्राकृतिक साधन

3285. श्री पी० गंगादेव : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग ने उड़ीसा में अधिक प्राकृतिक साधनों की खोज करने तथा पता लगाने के लिये कोई प्रयास किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या है!

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) तथा (ख) जी, हां। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण द्वारा किए गए अन्वेषणों के परिणाम स्वरूप उड़ीसा में अब तक जिन महत्वपूर्ण खनिजों का पता लगाया गया है वे हैं—लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, क्रोमाइट, निकिल, कोयला, बॉक्साईट, चूनापत्थर, डोलामाईट, चीनी मिट्टी, अग्निसह-मिट्टी, सीसा, थाइनाइट, क्वार्टज, क्वार्टजाइट तथा ग्रफाइट। राज्य के मयूरभंज जिले में वैनेडिफेरस तथा टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट होने की सूचना भी मिली है।

कोरापुट जिले में बाक्साइट के लिए सुन्दरगढ़, बोलनगीर तथा मयूरभंज जिलों में आधारभूत धातुओं के लिए, क्योंझर तथा सुन्दरगढ जिलों में मैंगनीज अयस्क के लिए तथा कटक और क्योंझर जिलों में क्रोमाइट व निकिल के लिए मुख्य अन्वेषण कार्य चल रहा है।

भूतपूर्व सैनिकों का चम्बल घाटी क्षेत्र में पुनर्वास

3286. श्री भागीरथ भंवर : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों को चम्बल घाटी क्षेत्र में पुनः बसाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसे कुल कितने परिवारों को फिर से बसाया गया है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी नहीं, श्रीमन्।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रूसी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के बारे में भारत रूस समझोता

3287. श्री वेकारिया : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 19 सितम्बर, 1974 को सम्पन्न भारत-रूस समझौते की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) यह समझौता रूसी सहायता-प्राप्त परियोजनाओं को पूरा करने में कहां तक सहायक होगा; और

(ग) क्या इस समझोते में रूसी सहायता प्राप्त इस्पात कारखानों का विस्तार भी शामिल है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) मास्को में भारत-सोवियत संयुक्त आयोग की बैठक के बाद, 19 सितम्बर 1974 को जिस प्रलेख पर हस्ताक्षर हुए थे वह एक प्रोटोकाल था करार नहीं। इसमें दोनों पक्षों के बीच इस्पात उत्पादन, भारी मशीन निर्माण, विद्युत एवं विद्युत उपस्कर कोयला एवं अयस्क खनन, तेल की खोज, उत्पादन में सहयोग, व्यापार एवं विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में और सहयोग की बात निहित है।

(ख) और (ग) सोवियत पक्ष भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए रांची के भारी मशीन निर्माण संयंत्र में लगातार ढलाई करने वाली मशीनों के विनिर्माण में और हरिद्वार में भारी विद्युत उपस्कर परियोजना को पुर्जे और सामग्री सहित सम्पूर्णकारी वस्तुएं देने में सहयोग करने पर सहमत हुआ है। दोनों पक्षों में भिलाई तथा बोकारो दोनों इस्पात संयंत्रों की अलग-अलग क्षमता को प्रति वर्ष 40 लाख टन तक ले जाने से सम्बद्ध प्रश्नों की जांच करने पर भी सहमति हुई।

Enquiry Committee on Standard of Drugs

3288. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whetner any Enquiry Committee has been set up which submits reports in regard to falling drug standard from time to time;

(b) if so, the nature of the fall in the standard of drugs manufactured during 1973 and 1974 ; and

(c) the action taken and likely to be taken on the basis of the report submitted by the Enquiry Committee with a view to maintain the standard of drugs?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque) : (a) No. Enquiry Committee has been set-up by Ministry of Health and Family Planning.

(b) & (c) Do not arise.

Additional Health Centres in Backward and Tribal Areas

3289. **Shri G. C. Dixit :**
Shri P. M. Sayeed:

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether during a discussion with Madhya Pradesb Government in March, 1973 the Commissioner of Scheduled Castes and Scheduled Tribes had agreed for sanctioning additional primary health centres and sub-centres in backward and tribal areas;

(b) whether the information asked for by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commissioner has been sent to him; and

(c) if so, the action taken by the Central Government thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Area of Bauxite mine in Chhatisgarh, Madhya Pradesh

3290. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the total area of bauxite mine in Chhatisgarh region of Madhya Pradesh;

(b) whether some of this area has been given to private aluminium factories ; and

(c) whether Government propose to reserve it for the proposed factory in that area ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) : (a) There are large areas having bauxite deposits in Durg, Bilaspur, Raigarh and Surguja Districts of Chhatisgarh region in M. P. According to the priority needs, surveys of particular portions of these deposits have been in progress. Till all such surveys are completed the total area of bauxite deposits cannot be indicated except that the deposits taken together can be confirmed to be very large.

(b) Only 493 hectares of bauxite bearing area have been leased to one private sector aluminium plant, M/s, Hindustan Aluminium Co. for feeding their factory at Renukot (U. P.). This is apart from about 316 Hectares leased to the public sector company, Bharat Aluminium Co. Ltd., for feeding their plant at Korba.

(c) The remaining bauxite bearing areas in the above mentioned districts have already been reserved for exploitation in the public sector, which includes the needs of the aluminium plant being constructed at Korba in Chhatisgarh area.

Recruitment From Madhya Pradesh

3291. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the number of persons being recruited in the army from Madhya Pradesh is decreasing ;

(b) Whether the number of persons recruited against officers' posts has also gone down during the last three years ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) and (c) Yes, Sir. Owing to reduced yearly intake and suitable potential not forthcoming.

(b) No, Sir. The number of officers commissioned in the Army from Madhya Pradesh during the last three years, is as under :

1971	37
1972	62
1973	51

However, recruitment to the officer cadre of the Army is not done on regional basis or State-wise.

दिल्ली में कारखानों के मजदूरों के लिए उचित दर दुकानों की व्यवस्था

3292. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में उन कारखानों के मजदूरों के लिए उचित दर दुकान खोलने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिनमें 100 या इससे अधिक मजदूर रोजगार पर लगे है; और

(ख) यदि, हाँ, तो प्रस्ताव को कब तक कार्यरुप दिए जाने की आशा है तथा इसकी अन्य मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी नहीं ।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता ।

Expenditure on Daily and Travelling Allowance in Defence Ministry

3294. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Defence** be pleased to state the expenditure incurred on account of travelling and daily allowances paid to the officers working in the Ministry of Defence during 1973-74 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J. B. Patnaik) : The expenditure incurred on account of T. A. and D. A. during 1973-74 was Rs. 2,27,575.94.

Closure of Steel Alloy Producing Furnace of Ballabgarh

3295. Shri Mohan Swarup : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Ballabgarh furnace, producing steel alloy used for defence requirements is lying closed due to power shortage as a result of which sixty thousand workers have been rendered jobless ; and

(b) if so, the reaction of the Government thereto ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) On the basis of the information furnished in the Question, it has not been possible for us to identify the establishment in Ballabgarh producing Defence requirements where 60,000 workers have been rendered jobless due to power shortage.

(b) Does not arise.

भारत के आणविक विस्फोट के प्रति समाजवादी तथा साम्राज्यवादी देशों की प्रतिक्रिया

3296. **श्री एस० एम० बनर्जी : क्या विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिये भारत द्वारा साल में किये गये आणविक विस्फोट की समाजवादी देशों ने सराहना की है ;

(ख) क्या अमरिका जैसे साम्राज्य वादी देशो ने इस विस्फोट की निन्दा की है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या इस विस्फोट के प्रयोजनों को स्पष्ट करने के लिये प्रयास किये गये है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां, ।

(ख) और (ग) भारत द्वारा हाल में शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किये गये परमाणू-परिक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की स्थिति यह है कि अधिकांश देशों ने, जिनमें समाजवादी और विकासशील देश शामिल है, भारत के नामिकिय ऊर्जा विकास कार्यक्रम के शांतिमत उद्देश्यों की सराहना की है तथा आर्थिक विकास के जिस संदर्भ में परिक्षण किया गया उसे स्वीकार किया है। ऐसे कुछ देशो, ने जिन्होने नामिकी अस्त्रो के विस्तार प्रसार को रोकने से संबद्ध संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, नामिकीय शस्त्रास्त्रों की वृद्धि की दृष्टि से परीक्षण के निहितार्थों पर चिन्ता व्यक्त की है। भारत सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि यह परीक्षण आर्थिक विकास के लिए नामिकिय विस्फोटों के शांतिमय प्रयोग पर अध्ययन से किया गया था, और साथ ही नामिकिय शस्त्रास्त्रों का निर्माण न करने के अपने निश्चय को पुनः दुहराया है। सरकार ने यह भी बहुत साफ-साफ कह दिया है कि परीक्षण का कोई सैनिक निहितार्थ नहीं है। अधिकांश देशों ने इस स्थिति को समझा है और इस संबंध में हमारी उक्त पुष्टी का संयुक्त राज्य अमरीका ने विशेष रूप से स्वागत किया है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों की मजूरी में वृद्धि

3297. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केन्द्रीय न्यास बोर्ड द्वारा भविष्य निधि कर्मचारियों की मजूरी में वृद्धि करने की सर्वसम्मत सिफारिशों को सरकार ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं; और

(ग) क्या देश भर में कर्मचारियो में असन्तोष बढ़ता जा रहा है, और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने संगठन के कर्मचारियों के लिए, तीसरे वेतन आयोग द्वारा तदनुरुपी वर्गों के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए सिफारिश किए गए और सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन-मानों से उच्चतर वेतन मानों की सिफारिश की थी। तथापि, सरकार ने, निर्णय किया है कि वेतन निर्धारण सम्बन्धी फार्मुले को छोड़ कर केन्द्रीय सरकार के पैटर्न में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नही है।

(ग) जी नहीं, जहां तक सरकार को जानकारी है ।

भिलाई और रुरकेला इस्पात संयंत्रों की कोयले की आवश्यकता

3298. श्री गजाधर माझी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्जिन पर चल रहे भिलाई और रूरकेला इस्पात संयंत्रों की स्थिति विशेषकर उनकी कोयले की आवश्यकता की दृष्टि से संकटपूर्ण है; और

(ख) यदि हां तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) भिलाई तथा राउरकेला इस्पात कारखानों में एक दिसम्बर को कोकिंग कोयले का क्रमश: 5 तथा 4 दिन की खपत के बराबर स्टाक था। यद्यपि यह स्थिति गंभीर नहीं है तथापि इसे बहुत संतोषजनक नहीं कहा जा सकता ।

(ख) इस्पात कारखानों को कोयले की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कोयला उत्पादक संगठनों तथा रेलवे के साथ सतत संपर्क रखा जाता है। कोकिंग कोयले के नए स्रोतों से भी कोयला प्राप्त किया जा रहा है ।

Alleged Inquiry by C. B. I. against Manager, Hindustan Zinc Ltd., Rajasthan

3299. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether an inquiry is being instituted by C. B. I. against the Manager of the Hindustan Zin. Limited, Udaipur (Rajasthan.);

(b) whether the said officer is due to visit several countries shortly on Government expenses ; and

(c) if so, the facts in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) : (a) No, Sir.

(b) At present three officers of Hindustan Zinc Ltd., Udaipur, including the Chairman cum-Managing Director and two Planning Engineers, are abroad in connection with the affairs of the Company.

(c) Does not arise.

Enforcement of the Act relating to Ayurvedic Drugs by State Ayurvedic Directorates

3300. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the Act relating to Ayurvedic drugs is not being enforced by the State Ayurvedic Directorates ;

(b) whether matters relating to manufacture, sale, grant of licences etc. of indigenous medicines as well as fixation of standards and testing threreof are dealt with by Allopathic experts instead of experts of this system of medicine ; and

(c) if so, full facts in this regards ?

5—42 L.S.S. (ND)/74

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque) : (a) to (c) As far as information is available, the provisions of the Drugs and Cosmetics Act relating to Ayurvedic and Unani Medicines are being enforced in 8 States *viz.*, Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Punjab, Haryana, Kerala, Mysore and Orissa by the existing State Drugs Control Administration. Under provisions of Rule 154(2) of the Drugs and Cosmetics Rules, the licensing Authority can grant a manufacturing licence for manufacture of Ayurvedic Drugs after consulting such expert in Ayurvedic system of medicine which the State Government may approve in this behalf.

No sale licence is required for Ayurvedic medicines under section 33(E) of the Drugs & Cosmetics Act.

Regarding fixation of standard of drugs, the Ayurvedic Pharmacopoeia Committee of the Ministry of Health and Family Planning consisting mainly of Ayurvedic physicians and experts is drawing up an Ayurvedic Pharmacopoeia which will include standards for Ayurvedic drugs. Preliminary standards for 450 medicinal preparations included in the first part of the Ayurvedic formulary of India is nearing completion by the Standardisation units of the Central Council for Research in Indian Medicine and Homoeopathy. In regard to other medicinal preparations, the only standards will be their conforming to the formulae in the books included in the first Schedule of the Drugs & Cosmetics Act, 1940.

As regards testing of Ayurvedic drugs, till such time as separate laboratories for testing them are established, they would have to be tested in the existing laboratories testing allopathic drugs.

बोकारो इस्पात संयंत्र का कार्य

3301. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र के कार्य में कितनी प्रगति हुई; है

(ख) क्या उत्पादन कर रहे एकको में उत्पादन अपेक्षित मात्रा में हो रहा है; और

(ग) तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जहां तक इस्पात कारखाने के प्रथम चरण (17 लाख टन) का सम्बन्ध है इसका सिविल कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इसका औद्योगिक तथा संरचनात्मक कार्य 95 प्रतिशत, भवन संरचनात्मक कार्य 93 प्रतिशत, उष्मसह लगाने का कार्य 77 प्रतिशत, यान्त्रिक कार्य 74 प्रतिशत तथा ओद्योगिक वैद्युतिक उपकरण लगाने का लगभग 73 प्रतिशत कार्य भी पुरा हो चुका है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रथम धमन भट्टी अक्तूबर, 1972 में चालू की गई थी। इस भट्टी की दैनिक निर्धारित क्षमता 2640 टन समाक्षारिय लोहा तथा 2530 फाउन्ड्री ग्रड लोहा तैयार करने की है। अप्रल अक्तूबर, 1974 को अवधि में इस भटटी का औसत उत्पादन निर्धारित क्षमता का 71.4 प्रतिशत तथा लक्ष्य का 79 प्रतिशत था। सौ-सौ टन क्षमता के दो कन्वर्टर जो 31-1-1974 तथा 4-4-1974 को लागू किए गए थे, योजना बद्ध कार्यक्रम के अनुसार कार्य कर रहे हैं।

मैसर्स हिन्दुस्तान कन्करीट एलाइड इंडस्ट्रीज, पटना को कर्मचारी भविष्य निधि, अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत लायाजाना

3302. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स हिन्दुस्थान कंकरीट एलाइड इंडस्ट्रीज, पटना को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत लाए जाने से पूर्व उक्त प्रतिष्ठान के रिकार्डों की जांच ठीक प्रकार से नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप प्रतिष्ठान नियत तिथि से इसके अन्तर्गत नहीं लाया जा सका था ; और

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और प्रतिष्ठान की नियत तिथि से उक्त अधिनियम के अन्तर्गत लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) और (ख) इस प्रतिष्ठान को रिकार्डों की उचित जांच के बाद क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, पटना द्वारा 18 नवम्बर, 1970 से अधिनियम के अन्तर्गत लाया गया था। तथापि, प्रतिष्ठान ने अपने को अधिनियम के अन्तर्गत लाये जाने के खिलाफ, कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 19-क के अधीन केन्द्रीय सरकार के पास एक अभ्यावेदन दायर किया है, इस पर ध्यान दिया जा रहा है।

बिहार में अभ्रक खानों/कारखानों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत लाना

3303. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हजारीबाग, गिरिध जिला और बिहार के अन्य भागों में स्थित अभ्रक खाने/कारखाने नियत तिथि से कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत लाये गये हैं और सब पात्र कर्मचारियों को सदस्यता बनने की तिथि से सदस्य बना लिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली अभ्रक खानों/कारखानों के नाम क्या है और वे कब से उक्त अधिनियम के अन्तर्गत आई हैं, 30 सितम्बर, 1974 तक कितने कर्मचारियों और सदस्यों के नाम दर्ज किए गए तथा इसके अन्तर्गत न आने वाली खानों/कारखानों की सूची क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) और (ख) बिहार के क्षेत्रीय कार्यालय के रिकार्डों के अनुसार, हजारीबाग गिरिडिह और बिहार के अन्य भागों में स्थित अधिनियम के अन्तर्गत लाई जाने योग्य अभ्रक खानों/कारखानों को नियत तारीखों से अधिनियम के अन्तर्गत लाया जा चुका है। अधिनियम के अन्तर्गत लाए गए प्रतिष्ठानों के नाम, जिन तारीखों से वे अधिनियम के अन्तर्गत लाए गए, उन तारीखों और पात्र कर्मचारियों की संख्या के बारे में ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं है और वे एकत्र किए जा रहे हैं। ये यथा समय सभा की मेज़ पर रख दिए जाएंगे।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत बिहार के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा हर्जाना लगाया जाना तथा मुकदमों का दायर किया जाना

3304. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1973 से क्षेत्रिय भविष्य निधि आयुक्तों को कर्मचारी भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत हर्जाना लगाना तथा अपराधिक/सार्टीफिकेट मुकदमों को दायर करने की शक्तियां प्रदान कर दी गई हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो बिहार क्षेत्र में अधिनियम की धारा 14ख के अन्तर्गत हर्जाने की कितनी राशि देर से जमा की गई भविष्य निधि राशि पर लगाई तथा वसूल की गई; अंशदानों की कितनी राशि समय पर जमा नहीं की गई और नवम्बर, 1973 से लेकर अब तक कितने सर्टीफिकेट अपराधिक मुकदमों को दायर किया गया तथा संबंधित पार्टियों के नाम क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) जी हां।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

बर्मा के शरणार्थियों को दिल्ली में दुकानों का आबंटन

3305. **श्री लीलाधर कटकी** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा एसोसियेशन ने सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि बर्मा के शरणार्थियों को दिल्ली में दुकानों का आबंटन किया जाये ;

(ख) क्या दिल्ली के आयुक्त ने केन्द्रीय सरकार तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण को लिखा है कि इन शरणार्थियों की कुछ दुकानों का आबंटन किया जाये; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका तथा निर्माण और आवास मंत्रालय के माध्यम से इन शरणार्थियों को दुकानों के आबंटन न करने के क्या कारण हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विभाग द्वारा जून, 1970 में दिल्ली विकास प्राधिकरण से अनुरोध किया गया था कि दिल्ली की विभिन्न बस्तियों में व्यापार केन्द्रों के अपने विकास कार्यक्रम में बर्मा से स्वदेश लौटे लोगों को भी कुछ दुकान एलाट करने पर विचार किया जाए। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने खेद प्रकट किया कि बर्मा से लौटे प्रत्यावासियों को एलाट करने के लिए खोई दुकान या स्टाल उपलब्ध नहीं है तथा कहा कि नीति के रूप में प्राधिकरण द्वारा निर्मित सभी दुकानों का सार्वजनिक नीलाम द्वारा निपटान कर दिया गया था।

विगत में दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका ने बर्मा से लौटे प्रत्यावासियों को दुकानें एलाट करने में असमर्थता व्यक्त की थी। फलतः सड़क के किनारे आदि का खाली कराने के उद्देश्य से एलाटमेंट केवल उन्हीं को किया गया था जो काफी समय से सार्वजनिक भूमियों पर कब्जा किए हुए थे।

निर्माण तथा आवास मंत्रालय ने भी बर्मा से लौटे लोगों को एलाटमेंट के लिए दुकानों के आरक्षण में अपनी असमर्थता प्रकट की।

कालकाजी के समीप बर्मा से लौटे लोगों के लिए दुकानों का प्रस्ताव, जिसके बारे में दिल्ली प्रशासन के साथ पत्र व्यवहार चल रहा था, उस क्षेत्र में व्यवसाय की सीमित गुंजाइश तथा व्यवसाय स्थान के लिए पात्र प्रत्यावासियों की बहुत कम संख्या को देखते हुए, छोड़ दिया गया है।

भारत-पाक शिखर बैठक

3306. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के साथ दोनों देशो के बीच संबंधों के सामान्यकरण की गति को बढ़ाने के लिए शीघ्र एक शिखर बैठक की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) शिमला समझौता के प्रावधानों के अनुसार दोनों पक्षों के प्रतिनिधि स्थायी शान्ति स्थापित करने और संबंधों को सामान्य बनाने के तरीकों और प्रबंधों पर जब विचार कर लेंगे तब उसके बाद भारत और पाकिस्तान के शासनाध्यक्षों की फिर बैठक होगी। शिमला समझौते के पैरा 3 में निहित संबंधों को सामान्य बनाने के उपायों पर अमल करने की दिशा में सितम्बर 1974 के बाद कुछ प्रगति हुई है। लेकिन संबंधों को सामान्य करने के विभिन्न पक्षों पर दोनों सरकारों के अधिकारियो की बातचीत आगे जारी रहेगी।

Supply of Provident Fund Statement of Account to mine Labourers

3307. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) Whether the Mine labourers have not been given Provident Fund statement of account since the nationalisation of mines while this used to be done before nationalization;

(b) is so, the reasons therefor ; and

(c) in case the statements of accounts have been supplied, the number of mines whose labourers have been given the same ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) Employees in coal mines are being given statements of accounts or Pass Books in lieu thereof even after nationalisation in all cases where necessary documents/records/details of deposits of provident fund etc. have been received from collieries and postings in accounts are completed.

(b) Does not arise.

(c) Statements of Accounts/Pass Books in respect of 1,01,369 employees have been issued after nationalisation. The number of coal mines to which these belong is not readily available.

देश में वाहनों की संख्या और ईंधन की खपत

3308. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय वाहनों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या इनमें से 30 प्रतिशत वाहन सरकारी हैं;

(ग) सरकारी वाहनों द्वारा औसतन कितने ईंधन की खपत की जाती है; और

(घ) क्या इसमें से ईंधन की अधिकांश खपत अनावश्यक है तथा इसे बचाया जा सकता है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) 15,23,491।

(ख) सरकारी गाड़ियों की प्रतिशतता लगभग 8.5 है।

(ग) और (घ) सरकारी गाडियों द्वारा खपत किए गए इंधन की प्रतिशतता का हिसाब नहीं रखा जाता है।

कोंकण तटीय यात्री सेवा की आय तथा उसके द्वारा लाये/ले जाए गए यात्री

3309. श्री मधु दण्डवते : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नवम्बर, 1973 से मई, 1974 की अवधि में कोकण तटीय यात्री सेवा द्वारा कितने यात्रियों की सेवा की गयी तथा उसकी पत्तन वार आय कितनी है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :—

पत्तन का नाम	व्यवस्था किये गए काल की संख्या	ले जाये गये यात्रियों की संख्या	कमाई (रुपयों में)
जंजीरा	50	6369	44,764
श्रीवर्द्धन	47	2282	18,500
दभोल	22	7245	774,79
जैगद	87	30980	4,03,350
रत्नागिरि .	81	18408	2,44,529
मुसाकाजी .	73	16072	2,52,083
जायातपुर	73	9942	1,68,179
विजयदुर्ग .	74	20731	3,59,756
देवगढ़ .	92	26816	5,31,548
मलवान	43	7886	1,62,770
वेनगुर्ला	44	4024	98,673
पानाजी .	165	77046	30,42,314
कुल .	851	227801	54,03,945

स्वयंसेवी परिवार नियोजन संगठनों को सहायता

3310. **श्री रघुनन्दनलाल भाटिया**
श्री श्रीकिशन मोदी :
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पंजाब, राजस्थान, गोआ, और उड़ीसा के स्वयंसेवी संगठनों को, विशेषकर महिला संस्थाओं को, नगरीय क्षेत्रों तथा इससे भी अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन को लोकप्रिय बनाने के लिए संरक्षण दे रही है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इन संगठनों को कोई सहायता दी गयी है; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता दी गयी है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) स्वैच्छिक संगठन आमतौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम में कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Iron to Flood affected people of Bihar on Concessional Rates

3311. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to give iron to the flood-affected people on concessional rates in Bihar ; and

(b) if so, an outline of concessions proposed to be given ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel And Mines (Shri Sukhdev Prasad) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

मेटल एण्ड स्टील फेक्टरी, इशापुर में वर्क्स कमेटी के लिए चुनाव

3312. **श्री मोहम्मद इस्माइल :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेटल एण्ड स्टील फैक्टरी ईशापुर में वर्कर्स कमेटी के लिए चुनाव अभी तक नहीं हुए है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) : जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Anti-Indian Propaganda by various Countries during 1973 and 1974

3313. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **External Affairs** be please to state :

(a) the names of the countries that carried on false and anti-Indian propaganda during 1973 and 1974 indicating the area and media of such activity ; and

(b) whether Government have taken measures to counter such propaganda and if so, the names of the countries where counter measures in this regard were taken during 1973 and 1974 indicating the nature of the measures taken ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das): (a) During 1973 and 1974, China and Pakistan intermittently carried on anti-Indian propaganda on a variety of subjects both in publicity media within their countries and elsewhere abroad.

(b) Suitable steps were taken both by Indian missions abroad and by the Government here at various levels to counter the false propaganda.

बंगला देश से पश्चिमी बंगाल, असम, त्रिपुरा और दिल्ली में आने वाले शरणार्थी

3314. **श्री समर गुह :** क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1974 में बंगला देश पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और दिल्ली आने वाले बहुत से शरणार्थियों की सीमावर्ती क्षेत्रों में मौते हो गई थीं;

(ख) क्या ये शरणार्थी दिल्ली में बहुत बुरी हालत में रह रहे हैं और यदि हां तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(ग) दिल्ली तथा अन्य राज्यों में आए इन शरणार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था हेतु, सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

आन्ध्र प्रदेश में एल्यूमिनियम फाइल्स यूनट

3315. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या इस्पात और खान मंत्री आन्ध्र प्रदेश में एल्यूमिनियम फाइल्स यूनिट के बारे में 29 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3976 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अब तक कोई निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के कारण क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) मामला अभी भी विचाराधीन है।

निजी लौह अयस्क खानों के विकास के सम्बन्ध में नई दिल्ली में बैठक

3316. **श्री पी० गंगादेव** :
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी लौह अयस्क खानों के विकास के लिए कदम उठाने हेतु नई दिल्ली में 14 अक्तूबर, 1974 को कोई बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर चर्चा हुई और क्या निष्कर्ष निकले ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) लौह अयस्क बोर्ड ने 14 अक्तूबर 1974 को नई दिल्ली में हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ बड़ा जमदा क्षेत्र में लौह खनिज निक्षेपों के समेकित विकास पर विचार करने के लिए इस बोड द्वारा पहले नियुक्त की गई समिति की रिपोर्ट पर विचार किया था।

(ख) बोर्ड ने इस समिति की सिफारिशों पर निम्नलिखित निर्णय लिये थे :–

(1) पाँचवी योजना में देशीय इस्पात उद्योग तथा निर्यात के लिए बनाये गये कार्यक्रम की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस रिपोर्ट में निर्दिष्ट नीजी क्षेत्र की आरक्षित (नानकेपटिव) खानों लौह अयस्क के निक्षेपों का विकास किया जाए इसके अलावा छटी योजना तथा उसके बाद की अवधि की आवश्यकताओं को देखते हुए कुछ और निक्षेपों का भी विकास किया जाना चाहिए,

(2) कुछ खानों के बारीक अयस्क का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाये;

(3) बडे पैमाने पर क्षत्रीय भौमिकीय मानचित्र तयार किये जाये, चिरिया, मूआ और ठाकुरानी खानों का विस्तृत समन्वेंषण किया जायें और विस्तृत-मानचित्रों की सहायता से क्षैत्रीय मूल्यांकन किया जाए;

(4) एक केन्द्रीय क्रशिंग एवं स्क्रीनिंग प्लांट की स्थापना की सिफारिश के बारे में और अध्ययन किया जाए;

(5) अतिरिक्त रेल सुविधाओं की व्यवस्था के लिए शीघ्र कार्यवाई की जाए ।

मजगांव डाक लिमिटेड द्वारा हर्षवर्धन जहाज का भारतीय जहाजरानी निगम को देना

3317. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजगांव डाक शीघ्र ही एक सम्पन्न यात्री और मालवाही जहाज "हर्ष वर्धन" भारतीय जहाजरानी निगम को देगा;

(ख) क्या यह प्रथम अवसर है कि अन्तर्राष्ट्रीय जल मार्ग पर चलने वाले इस जहाज का डिजाइन और निर्माण शत प्रतिशत भारतीय है; और

(ग) क्या हमारे डाक्स और देश विश्व के समुद्री मानचित्र पर हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) यात्री सुविधा-सह माल जहाज एम० वी० 'हर्ष वर्धन' का मजगांव डाक द्वारा निर्माण किया गया है और 2 दिसंबर, 1974 को भारतीय जहाजरानी निगम को दे दिया गया है।

(ख) इस जहाज का डिजाइन मजगांव डाक द्वारा तैयार किया गया था परन्तु कन्सलटेंटस की एक प्रसिद्ध विदेशी फर्म दवारा इसे चैक किया गया था।

(ग) जी हां, श्रीमन। माल जहाज निर्माण के लिए विदेशी पार्टियां मजगांव डाक से कई एक जानकारी प्राप्त कर रही हैं।

Non-Deposit of E. P. F. by M/S. J. B. Mangharam and Company, Gwalior

3318. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether huge amount of provident fund of the employees of J. B. Mangharam and Company, Gwalior, Madhya Pradesh, has not been deposited for the last several years and if so, the extent thereof ;

(b) the action taken by Government against the said company to ensure that full amount of provident fund is deposited ; and

(c) whether no employee has been given any kind of loan so far out of their provident fund for the last several years and if so, the action proposed to be taken by Government to ensure that they are given loans ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : The Provident Fund Authorities have reported as under :

(a) A sum of Rs. 0.90 lakhs (approximately) is outstanding against the establishment as provident fund arrears which relates to the period from March, 1974 to October, 1974.

(b) Action has already been initiated to recover the above dues as arrears of land revenue, Action is also in hand for prosecuting the mangagement under the provision of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952.

(c) Employees have been granted advances.

Retrenchment of Employees in J. B. Mangharam and Company and Non-Payment of their Dues

3319. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether thousands of employees of the J. B. Mangharam and Company, Gwalior (M.P.) have been removed from service during the last two years without serving notices and if so, the number of such employees as have not been paid the amount of gratuity, provident fund and compensation in any form so far ; and

(b) whether Government are aware of repeated violation of labour welfare laws owners and if so, the action being taken by Government on these irregularities ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) The matter falls essentially in the State sphere so far as the reported removal from service of employees without notice, alleged non-payment of compensation are concerned. As for provident fund and gratuity, the information is being collected.

(b) Appropriate legal action is taken by the authorities concerned in such cases.

Under-Age Workers in Tea Plantations in Himalayan Region and their Wages

3320. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether as much work is taken from the boys below the age of 16 years as is taken from those of the age of more than 18 years in the tea plantations in Himalayan region and the boys are given half of the regular wages ;

(b) if so, the action being taken by Government to remove this disparity ; and

(c) whether Government would look into the practice prevalent in plantations of taking work from the workers for 12 to 16 hours ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) and (b) Information for tea plantations in the Himalayan region regarding working hours and the actual wages paid to boys below the age of 16 years is not available. However section 24 of the Plantations Labour Act, 1951 prohibits employment of a child who has not completed his twelfth year. The Act also fixes the maximum weekly hours of work at 54 for adults and 40 for adolescents and children (between 12 and 18 years of age). The number of weekly hours usually worked by adults and adolescents and children as revealed by the Annual Report furnished under the Act for the year 1971 (latest available) is given below :—

State/Union Territory	Number of weekly hours usually worked by	
	Adults	Adolescents & children
1. Bihar	42 for daily releted employees and 18 to 24 for those employed on contract system	No young person was reported to be employed
2. Himachal Pradesh	48 to 54	36 to 40
3. Karnataka	48	Not available
4. Kerala	54	40
5. Tamil Nadu	54	40
6. Tripura	48*	48*
7. Uttar Pradesh	48 to 52	48 (Adolescents)
8. Andamans	48	39 to 40 (Children)

*Barring those employed on plucking, the workers did not work for more than 40 hours in a week.

(c) The matter concerns the State Governments as the Act is administered by them.

Indo-Russian Talks on Mutual Co-operation

3321. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Ram Shekhar Prasad Singh :
Shri R. V. Swaminathan :
Shri Anadi Charan Das :
Shri D. D. Desai :
Shri Shri Kishan Modi :
Shri Raghunandan Lal Bhatia :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the points discussed by the Minister of Planning with the top Russian leaders some time back ;

(b) the names of schemes in which Rusia proposes to extend her co-operation; and

(c) the outlines of those schemes ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das): (a) During the meeting of the Indo-Soviet Commission on economic, scientific and technical co-operation held in Moscow from September 17—19, 1974 the Indian delegation led by the Minister of Planning held discussions with Soviet experts on co-operation in the areas of steel production, heavy machine building, power and power equipment, coal and are mining, oil exploration and science and technology.

(b) & (c) A summary of the co-operation agreed between the two sides in the above areas is attached.

STATEMENT

In the field of steel production both sides examined questions connected with the expansion of steel plants in Bhilai and Bokaro up to annual capacity of four million tons each. In the field of heavy machine building both sides agreed to increase manufacturing capacity in the Ranchi Heavy Machine Building Plant. In the field of power and power equipment both sides considered questions connected with the delivery of completing items including components and materials to the Hardwar Heavy Equipments Project. In the field of coal and ore mining both sides reviewed feasibility studies being conducted for the development of deposits in the Singrauli, Raniganj and Malanjkhand areas. In the field of oil exploration and production, existing contracts were reviewed and possibility of furthe rdeliveries was discussed. In the field of production co-operation both sides agreed to take measures to increase co-operation in the establishlent of industrial projects in third cou ntries. In the field of Science and Technology the two sides agreed to increase co-operation in the Applied Science and Technology.

कन्द्रीय होमियोपैथी परिषद् में गुजरात का प्रतिनिधित्व

3322. **श्री अरविन्द एम० पटेल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद में गुजरात राज्य का प्रतिनिधत्व है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का और ऐसे प्रतिनिधि चुनने के नियम क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां ।

(ख) होमियोपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 3 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन उम्मीदवारों को मनोनीत किया गया है ।

प्रबंन्ध में कर्मचारियों का भाग लेना

3323. **श्री एस० ए० मुरूगनन्तम** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योगों के प्रबन्ध में मजदूरों को भागीदार बनाने संबंधी योजना के कार्यान्वयन से अब तक क्या अनुभव प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या आगामी वर्षों में योजना को अन्य उद्योगों में भी लागू करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान एण्टि-बिओटिक्स लिमिटेड, पिम्प्री, हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड और चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबन्ध बोर्डों में निदेशकों के रूप में श्रमिक नियुक्त किए गए हैं । अभी प्रबन्ध बोर्डों में श्रमिकों को निदेशकों की नियुक्ति के मामले में अनुभव के परिणामों का अनुमान लगाना अतिशीघ्र है ।

व्यवसायिक मजूरी सर्वेक्षण

3324. **श्री एस० ए० मुरूगनन्तम** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा 23 नवम्बर, 1974 से तीसरे व्यवसायिक मंजूरी सर्वेक्षण को आरम्भ करने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) यह सूचना लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2494 के उत्तर में जो 28-11-74 को दिया गया था, पहले ही दी जा चुकी है ।

दक्षिण में इस्पात परियोजनाएं

3325. **श्री एस० ए० मुरुगनन्ताम** :
श्री प्रसन्नभाई मेहता :
श्री आर० वी० स्वामिनाथन् :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दक्षिण की नई इस्पात परियोजनाओं में विलम्ब कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) दक्षिण में इन इस्पात परियोजनाओं के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) सरकार सेलम, विजयनगर और विशाखापतनम के प्रस्तावित तीन इस्पात कारखानों के काम को शीघ्र पूरा करना चाहती है। वित्तीय कठिनाइयों के कारण इनमें कुछ विलम्ब होने की संभावना है। लेकिन जो भी आरम्भिक कार्रवाई की जानी थी वह की जा रही है।

(ख) और (ग) सेलम, विशाखापतनम, और विजयनगर के तीनों इस्पात कारखानों के निर्माण की समय सारणी के बारे में विस्तृत प्रयोजना प्रतिवेदनों में बताया जायेगा।

स्टील अथोरटी आफ इंडिया लि० विशाखापतनम, और विजयनगर की इस्पात प्रयोजनाओं के लिए विस्तृत प्रयोजना प्रतिवदन तैयार करवाने के लिए कार्रवाई कर रही है। भूमि अर्जन और अवस्थापना सुविधाओं के विकास कार्य चल रहे है।

सेलम प्रायोजना के लिए विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। आशा है यह प्रतिवेदन इस वर्ष के अन्त तक उपलब्ध हो जायेगा। इसके साथ साथ सेलम इस्पात प्रायोजना के प्रथम चरण का काम आरम्भ कर दिया गया है। इस चरण में बेदाग इस्पात की चादरों और स्ट्रीप के ठण्डे बेलन के लिए एक ठंडी बेलन मिल लगाने का विचार है। आशा है कारखाने का यह चरण पांचवीं योजना के अन्त तक अथवा छठी योजना के आरम्भ में पूरा हो जायेगा।

मैंगनीज अयस्क का संचयन

3326. श्री एस० एन० मिश्र :
श्री नाथू राम अहिरवार :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैंगनीज और (इन्डिया) लिमिटेड, मध्य प्रदेश के पास बडी मात्रा में मैंगनीज अयस्क संचित हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस अयस्क के संचयन के कारण कम्पनी द्वारा 6 हजार श्रमिक की छांटनी कर दी गई है; और

(ग) स्टाक को हटाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ग) 31-10-1974 को मैंगनीज और (इंडिया) लि० के पास मैंगनीज अयस्क का स्टाक लगभग 2.45 लाख टन था। नवम्बर, 1974 से मार्च, 1975 की अवधि में 1.22 लाख टन उत्पादन होने का अनुमान है। अतः 3.67 लाख टन मैंगनीज अयस्क की कुल मात्रा में से जो उपलब्ध स्टाक तथा अनुमानित उत्पादन से प्राप्त होगी, लगभग एक लाख टन मैंगनीज अयस्क के निर्यात के वर्तमान ठेकों के अधीन देने के वायदे पहले ही किए जा चुके है तथा मैंगनीज और (इंडिया) लि० के पास संचित स्टाक को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा हाल ही में बढिया किस्म के मैंगनीज के निर्यात पर लगाये गए सामान्य प्रतिबन्ध में ढील देकर 90,000 टन के निर्यात की अनुमति दी गई है। फैरो मैंगनीज उत्पादकों तथा बोकारो स्टील लि० द्वारा लगभग 1,38,000 टन मैंगनीज अयस्क खरीद करने की सम्भावना है। अतः मार्च 1975 के अन्त तक 39,000 टन का स्टाक रह जाने की सम्भावना है।

(ख) जी, नहीं।

राष्ट्रीयकरण से पूर्व की कोयला खानों के मालिकों द्वारा मजूरों की मजूरी का भुगतान न किया जाना

3327. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकरण से पूर्व के कोयला खान मालिकों को और अभी अपने मजूरों को 12 करोड रुपये की भविष्य निधि का भुगतान करना बाकी है;

(ख) क्या अभी कई मामलों में मालिकों द्वारा मजूरों को मजूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्य-वाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) राष्ट्रीयकरण से पूर्व कोयला खानों की भविष्य निधि की कुल बकाया राशि लगभग 11.85 करोड रुपये है। इस में कोकिंग कोयले की खानों से सम्बन्धित लगभग 3.20 करोड रुपये और गैर-कोकिंग कोयला खानों से संबंधित लगभग 8.65 करोड रुपये शामिल है। कोकिंग कोयला खानों से सम्बन्धित 5.20 करोड रुपये की बकाया राशि, जिसमें हर्जाने भी शामिल हैं, की वसूली के लिए भुगतान आयुक्त के समक्ष दावे दायर किए गए हैं और बताया गया है कि मामलों की सुनवाई आरंभ हो गई है। गैर-कोकिंग कोयला खानों के सम्बन्ध में भी दावे भुगतान आयुक्त जो कि हाल में नियुक्त किया गया है, के पास दायर किए जाएंगे। जहां तक मजदूरों का भुगतान न किये जाने का सम्बन्ध है, सूचना एकत्र की जा रही है।

कोयला खान उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड की सिफारिशों का कार्यान्वयन

3328. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान उद्योग के लिए केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशें सभी कोयला खानों में कार्यान्वित कर दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) कोयला खान प्राधिकरण के अधीन खानों में ये सिफारिशें किस तिथि से कार्यान्वित की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

अलेप्पी पर टर्मिनल सुविधाएं

3329. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने शुष्क गोदी (ड्राई डाक) वर्कशाप आदि का निर्माण करके अलेप्पी में टर्मिनल सुविधायें प्रदान करने संबंधी योजना के बारे में पुनरीक्षित परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है; और

(ग) इस योजना के बारे में क्या अन्तिम निर्णय किया गया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, हां ।

(ख) योजना की मोटी मोटी रूपरेखाएं नीचे दिखाई गई है :–

(ए) सूखी गोदी का निर्माण	.	रु० 4,77,000
(बी) स्टोर शेड का निर्माण	.	रु० 23,100
(सी) गरज, टूल रुम, बाथरुमों आदि का निर्माण	.	रु० 26,100
(डी) फिटिंग शाप का निर्माण	.	रु० 12,300
(ई) धारक और संयुक्त दीवार का निर्माण	.	रु० 1,65,800
(एफ़) सडक निर्माण	.	रु० 24,080
(जी) विद्युतीकरण	.	रु० 36,695
(एच) वर्कशाप का निर्माण	.	रु० 2,35,000
(आई) मशीनरी	.	रु० 7,10,000
(जे) आकस्मिक व्यय	.	रु० 19,155
कुल	.	रु० 17,29,230

(ग) मामला अभी भी विचाराधीन है ।

समान मजूरी नीति

3330. श्री पी० आर० शिनाय : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूनतम मजूरी नियम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में एक समान उद्योगों के लि अलग अलग मजूरी का निर्धारण किया जाना उद्योग के अच्छे हित में नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा यथा सम्भव एक समान मजूरी नीति बनाने के बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरियां अधिकतर राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न तारीखों को निर्धारित/संशोधित की जाती है और कभी कभी उसी राज्य में विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग दरें अधिसूचित की जाती है । विभिन्न राज्यों म बीडी श्रमिकों को मजदूरी दरों में पाई जाने वाली विषमताओं का प्रश्न कुछ समय से विशेष रूप से विचाराधीन रहा है और जनवरी, 1973 म नई दिल्ली में बुलाई गई संबंधित राज्यों से श्रम मंत्रियों की एक बैठक में सहमति हुई थी कि वर्तमान विषमताओं को दूर करने की शुरुवात करने के लिए मानक नाप की 1000 बीडियां लपेटने के लिए विभिन्न राज्यों में न्यूनतम मजदूरी को बढा कर 3.25 रुपये प्रति दिन तक विभिन्नताओं के साथ 3.50 रुपये प्रति दिन तक कर दिया जाए परन्तु इसका कुछ राज्यों/क्षेत्रों में पहले से प्रचलित उच्चतर दरों पर बुरा प्रभाव नहीं पडेगा । 27-28 सितम्बर, 1974 को नई दिल्ली में हाल ही में हुए श्रम मंत्री सम्मेलन ने बीडी उद्योग में मजदूरियों की वर्तमान दरों की और आग पुनरीक्षा करने की सिफारिश की है ताकि उन्हें यथा सम्भव शीघ्रता से परन्तु हर हालत में पहली मई 1975 तक, 1000 बीडी लपेटन के लिए 4.50 रुपये और 5.00 रुपये की सीमा में लाया जा सके ।

इस्पात के सम्बन्ध में दोहरे मूल्यों की नीति

3331. श्री पी० आर० शिनाय : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात के सम्बन्ध में दोहरे मूल्यों की नीति के लिए कोई प्रस्ताव अथवा मांग है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्ताव अथवा मांग की रूपरेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) 15-10-1973 से इस्पात के लिए एक संशोधित मूल्य नीति लागू की गई है । इस नीति की मुख्य मुख्य बातें निम्नलिखित है :–

(1) राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों, सरकारी क्षेत्र तथा मुख्य उद्योगों द्वारा मुख्य रूप से उपयोग में आनेवाली तीन मुख्य श्रेणियों अर्थात प्लेटों संरचनात्मकों तथा रेलवे सामग्री के मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

(2) इस्पात की अन्य श्रेणियों के मूल्यों में वृद्धि की राशि भिन्न भिन्न है ।

(3) इंजीनियरी सामान के निर्यात के हित की रक्षा की गई है ।

बम्बई और मंगलौर के बीच यात्री एवं मालवाही सेवा

3332. श्री पी० आर० शिनाय : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई और मंगलोर के बीच बरास्ता ब्यारवार, कुमता माल्पे जहाज द्वारा यात्री एवं मालवाही सेवा आरम्भ करने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो यह सेवा कब तक आरम्भ कर दी जायेगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) जी, हां ।

(ख) बम्बई और मंगलोर/कोचीन के बीच तटीय यात्री सेवा को पुनः चलाने और पणजी से आगे कोंकण तटीय यात्री सेवा के विस्तार का प्रस्ताव पर हाल ही में विचार किया गया । यह मालूम हुआ कि ऐसी सेवा आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं होगी । अतः प्रस्ताव पर और कार्यवाही नहीं की गई ।

एच० एस० 748 के बारे में धवन समिति का प्रतिवेदन

3333. श्री मधु लिमये : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल वाहक एच० एस० 748 विमान के का करण की जांच करने के लिए नयुक्त धवन समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) इसके मुख्य निष्कर्ष क्या है; और

(ग) यदि वह विमान अच्छा कार्य नहीं कर सकता तो क्या हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड का कानपुर डिवीजन नये पुर्जे आदि लगा कर और अधिक संतोषजनक विमान बनाने का प्रबंध करेगा जिसका पूरा डिजाईन भारत में बनाया गया हो अथवा जो लाइसेंस पर निर्मित हो ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इण्डियन एयर लाइंस ने एच० एस० 748 किस्म के यात्री विमान के लिए आगे कोई आवश्यकता नहीं बताई है । भारतीय वायु सेना की मध्यम किस्म की परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी विमान का चयन विचाराधीन है । कानपुर में एच० एस० 748 से किसी अन्य प्रकार के विमान के निर्माण का निर्णय विमान की किस्म तथा विमानों की संख्या का निश्चय कर लिए जाने के बाद ही किया जा सकता है ।

पूर्व अफ्रीकी देशों के ब्रिटिश पारपत्रधारी भारतीयों के लिए ब्रिटिश नीति को उदार बनवाना

3334. **श्री मधु लिमये :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्व अफ्रीकी देशों के ब्रिटिश पारपत्रधारी भारतीयों के प्रति ब्रिटिश नीति को 'उदार बनाने का प्रश्न उठाने का है क्यों कि हाल ही के चुनावों में लेबर दल को बहुमत प्राप्त हो गया है और उसके कुछ समय तक सत्ता में बने रहने की संभावना है; और

(ख) यदि नहीं, तो फिर से पहल करने के इस अवसर का लाभ न उठाने के क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) भारतीय मूल के लोगों तथा पासपोर्टधारी पूर्वी अफ्रीका के लोगों के प्रवेश पर ब्रिटिश नीति के आम सवाल को हम ब्रिटिश सरकार के साथ समुचित मौक़ों पर उठाते हैं । ब्रिटेन की वर्तमान सरकार के साथ भी हम उस सवाल को बराबर उठा रहे हैं ।

दिल्ली में दमे 'बरोनकाइट्स' तथा अन्य सम्बद्ध रोगों के बारे में हुआ विश्व सम्मेलन

3335. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में दमे, 'बरोनकाइट्स' तथा अन्य सम्बद्ध रोगों सम्बन्धी एक विश्व सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या प्रस्ताव पारित किया गया और उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी, हां ।

(ख) यह एक वैज्ञानिक सम्मेलन था जिसमें वैज्ञानिक पेपर्स प्रस्तुत किये गये तथा उन पर विचार विमर्श किया गया । कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया ।

6—42 L.S.S.(ND)/74

एक होमियोपैथिक मेडिकल कालेज आरम्भ करने के लिए गुजरात से प्राप्त प्रस्ताव

3336. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में एक होमियोपैथिक मेडिकल कालेज आरम्भ करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

अहमदाबाद में कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि

3337. **श्री बेकारिया :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहमदाबाद में भविष्य निधि कार्यालय द्वारा कार्य में सुधार करने तथा प्रतिष्ठानों से बकाया राशि वसल करने के लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गयी है; और

(ख) भुगतान न की गयी बकाया राशि का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) और (ख) गुजरात क्षेत्र में भविष्य निधि की बाबत 30 सितम्बर, 1974 को 49.66 लाख रुपये की राशि बकाया थी। कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अधीन दंड उपबन्धों को इस्तेमाल करके इन बकाया राशियों को कम करने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जा रहा है ।

यूरोपीय देशों को भारतीय सैनिक उपकरणों की बिक्री

3338. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :**
श्री एम० एस० पुरती :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ यूरोपीय देशों ने भारत द्वारा विकसित किये गये कुछ नये सैनिक उपकरण खरीदने की कोई मांग की है;

(ख) क्या भारत भी उक्त सैनिक उपकरणों की सप्लाई करने की स्थिति में है; और

(ग) यदि हां, तो सैनिक उपकरणों संबंधी ब्यौरा क्या है और उन देशों के नाम क्या है जिन्होंने भारत से इनकी सप्लाई करने का अनुरोध किया है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं श्रीमन् ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते ।

मैसूर आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड, भद्रावती

3339. श्री डी० बी० चन्द्रगौडा : क्या **इस्पात और खान** मंत्री मैसूर आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड, भद्रावती द्वारा एलाय एण्ड डाई कार्बन स्टील वायर राड मिल की स्थापना सम्बन्धी 25 जुलाई, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 615 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी तक योजना की सम्भाव्यता का अध्ययन करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : शक्यता प्रतिवेदन तैयार हो रहा है और इसके लगभग एक महीने में तैयार हो जाने की संभावना है ।

कर्नाटक में कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि

3340. श्री डी० बी० चन्द्रगौडा : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कर्नाटक राज्य में भविष्य निधि की कीतनी राशि बकाया है;

(ख) उन व्यक्तियों, फर्मों और संस्थान के नाम क्या हैं जिन पर दस हजार से अधिक राशि बकाया है; और

(ग) क्या उन दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध, जिन पर राशि 100 रुपये से कम है, मुकद्दमें चलाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) 9.15 लाख रुपये ।

(ख) (1) मैसर्स हार्वे एण्ड संस ।
(2) मैसर्स मूसा रजिया साहिबा ।
(3) मैसर्स कनारा टाइल वर्क्स ।
(4) मैसर्स हाई प्रोसिजन इंजीनियरिंग वर्क्स
(5) मैसर्स मैसूर इलैक्ट्रिक कैमिकल वर्क्स
(6) मैसर्स मिनर्वा मिल्स ।
(7) मैसर्स यूनियन टाईल वर्क्स ।
(8) मैसर्स हमीदिया वर्क्स ।
(9) मैसर्स गणेश टाईल वर्क्स ।
(10) मैसर्स चामुंडी टाइल वर्क ।

(ग) जी नहीं ।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों की नियुक्ति

3341. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे राज्यों की संख्या कितनी है जहां उन्हीं राज्यों के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों को नियुक्त किया गया है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : इस समय क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों के सभी पदों पर विभागीय रूप से पदोन्नत किए गए अधिकारी नियुक्त है । उनमें से चार-एक दिल्ली स्थित प्रधान कार्यालय में और एक-एक दिल्ली, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में—उन्हीं राज्यों में तैनात है, जिनके कि वे रहने वाले हैं ।

पाकिस्तान द्वारा स्थल सीमाओं का उल्लंघन

3343. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री पी० ए० स्वामीनाथन :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने गत तीन महीनों के दौरान अनेक बार स्थल सीमाओं का उल्लंघन किया है;

(ख) क्या पाकिस्तान शिमला समझौते की भावना का पालन नहीं कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो स्थल सीमाओं के उल्लंघन के बारे में तथ्य क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ) गत तीन मास के दौरान 1-9-74 और 25-11-74 के बीच 29 बार भूमि सीमा का उल्लंघन हुआ है । इनमें से 11 उल्लंघन घुसपैठ की किस्त के थे । 16 बार गोली चलाए जाने/आक्रमण के; और दो उल्लंघन पशु उठान के थे । इस प्रकार के उल्लंघनों से दोनों देशों के बीच शिमला समझौत के अनुसार संबंध सामान्य बनाने और उपमहाद्वीप में दीर्घकालीन शान्ति स्थापित करने में कोई सहायता नहीं मिलती । इन उल्लंघनों को स्थानीय कमांडरों के बीच फ्लैग बैठकों के माध्यम से दूर किया जाता अथवा रोका जाता है । हमारी सुरक्षा सेनाएं सीमाओं पर लगातार सतर्कता रख रही है और उन्हें आदेश है कि जहां आवश्यक हो सख्त कार्रवाई करें ।

भारत द्वारा विदेश नीति का पुनरावलोकन

3344. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री वी० मायावन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शांतिपूर्ण अणु परीक्षण के पश्चात् विभिन्न देशों के भारी विरोध को देखते हुए अपनी विदेश नीति को बदलने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) क्या संयुक्त राष्ट्र के विदेश मंत्री की हाल की यात्रा से भी हमारी विदेश नीति को पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है;

(ग) यदि हां, तो नीति में क्या मुख्य परिवर्तन करने का विचार है; और

(घ) इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) यह कहना सही नहीं है कि भारत के शान्तिपूर्ण परमाणु परीक्षण का विभिन्न देशों द्वारा बहुत विरोध किया गया है। असल में बहुत से देशों ने भारत के परमाणु कार्यक्रम क शान्तिपूर्ण उद्देश्यों का स्वागत किया है और आर्थिक विकास के उन संदर्भों को सराहा है जिनमें यह परीक्षण किया गया है । इसलिए सरकार द्वारा भारत की विदेश नीति में कोई परिवर्तन करने की बात सोचने का सवाल नहीं उठता ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और **(घ)** प्रश्न नहीं उठते ।

संयुक्त राष्ट्र संघ में आणविक परीक्षणों की निंदा करने का प्रस्ताव

3345. श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :
श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संघ से सभी आणविक परीक्षणों की निन्दा करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) भारत ने उक्त संकल्प का विरोध किया था अथवा समर्थन ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति में आस्ट्रेलिया, फिझी, फिनलैंड, घाना, आइसलैंड, लाईबेरिया, मलयेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, फिलीपीन, स्वीडन, थाईलैंड और बेनेजुला ने हाल में एक प्रस्ताव का मसोदा रखा था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सभी प्रकार के परमाणु अस्त्र परीक्षणों की निंदा की गई थी, चाहे ये किसी भी पर्यावरण में किए गए हों ।

(ख) भारत सरकार सभी परमाणु अस्त्र परीक्षणों के विरुद्ध है और रही है।

(ग) भारत ने प्रस्ताव के मसौदे के पक्ष में मत दिया।

खेतड़ी तांबा परियोजना में औद्योगिक संबंध

3346. श्री डी० के० पंडा : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या खेतडी तांबा परियोजना के प्रद्रावक सयंत्र के चालू करने में विलम्ब किया जा रहा है क्यों कि संयंत्र का पोषण करने वाली खानों का अभी विकास नहीं हुआ है;

(ख) क्या खेतडी तांबा परियोजना का प्रबंधक परियोजना की यूनियन और श्रमिकों को उकसा रहा है; और

(ग) क्या परियोजना में औद्योगिक संबंध इस समय अच्छे नहीं हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) खेतडी तांबा परियोजना का प्रद्रावक संयंत्र नवम्बर, 1974 में पहले ही चालू हो चुका है।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रबंधकों और कामगारों के बीच कुछ विवादों के कारण खेतडी तांबा परियोजना में औद्योगिक संबंधों में अक्टूबर 1974 में कुछ विघटन पैदा हुआ था। किन्तु कुल मिला कर इस समय परियोजना पर औद्योगिक संबंध संतोषजनक है ।

प्रबन्ध समिति द्वारा खेतड़ी तांबा परियोजना के महाप्रबन्धक का कार्यभार संभाला जाना

3347. **श्री डी० के० पंडा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय खेतडी तांबा परियोजना में कोई महाप्रबंधक नहीं है और अधिकारियों में आन्तरिक मतभेदों के कारण महाप्रबंधक को हटाने की घटना दूसरी बार हुई है;

(ख) क्या प्रबंध समिति को महाप्रबंधक का विकल्प समझा जा सकता है; और

(ग) क्या प्रबन्ध समिति के 3 सदस्य उत्पादन के लिए अपने विभागों की अध्यक्षता के लिए स्वयं उत्तरदायी हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां। यह सही है कि खेतडी तांबा परियोजना में इस समय कोई महाप्रबन्धक नहीं है । किंतु यह सही नहीं है कि महाप्रबन्धक को आंतरिक मतभेदों के कारण हटाया गया है । कम्पनी के सीनियर/उच्च पदस्थ प्रबंध अधिकारियों के बीच परस्पर सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं और अब भी हैं ।

(ख) प्रबन्ध समिति का श्री गणेश अत्यंत प्रभावी प्रबंध कुशलता लाने के लिए किया गया है ताकि उससे प्रबंध क्षमता में वृद्धि हो सके। यह समिति संतोषजनक रूप से कार्य करती रही है तथा उससे परियोजना के कार्यों में पर्याप्त तालमेल लाने में सहायता मिली है।

(ग) जी, हां। प्रबन्ध समिति के तीन सदस्य तीन संबद्ध विभागों के अध्यक्ष हैं, जैसी कि सभी प्रबंध समितियों की परम्परा है ।

कोलिहान खानों से खेतड़ी स्टाक फाइल के लिए हवाई रज्जूपथ

3348. **श्री डी० के० पंडा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलिहान खानों से खेतडी स्टाक फाइल तक बनाया गया रज्जूपथ बार बार उसमें होने वाली खराबियों के कारण अपेक्षित तांबा अयस्क का परिवहन करने में असमर्थ है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) हवाई रज्जूपथ में इस नियमित खराबी के कारण अयस्क के परिवहन का काम अब एक गैर-सरकारी ठेकेदार को दिया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नहीं । यह सही नहीं है कि कोलिहान खानों से खेतडी स्टाक केन्द्र तक निर्मित हवाई रज्जूमार्ग में

निरंतर गडबड के कारण अपेक्षित मात्रा में ताम्र अयस्क की ढुलाई नहीं हो पा रही है। हवाई रज्जूमार्ग जनवरी, 1974 से नियमित रूप से कार्य कर रहा है। कुछ छुट-पुट विसफलताएं हुई हैं। किंतु विगत दस महीनों के दौरान इस कारण हुई गडबड औसतन 6% रहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

खेतड़ी तांबा परियोजना की प्रबन्ध समिति के पास अधिकार न होना

3349. **श्री डी० के० पंडा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के अध्यक्ष ने खेतडी तांबा परियोजना चलाने के लिए जनरल मैनेजर अथवा प्रबंध समिति को कोई शक्तियां नहीं दे रखी हैं;

(ख) क्या हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के मुख्यालय के कलकत्ता में स्थित होने के कारण सभी मामलों में निर्णय लेने में न केवल विलम्ब होता है अपितु टेलैक्स सेवा, अधिकारियों के हवाई यात्रा किरायों, और यात्रा भत्ते, एवं दैनिक भत्ते में भी अपव्यय बढ़ गया है; और

(ग) गत तीन वर्षों में हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड और खेतडी तांबा परियोजना के अधिकारियों के हवाई यात्रा किरायों, यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते और टैलेक्स सेवा पर क्या व्यय हुआ ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नहीं। महा प्रबन्धक के पूरे अधिकार खेतडी तांबा परियोजना के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध समिति को सौंपे गए हैं।

(ख) ऊपर (क) के कथन को ध्यान में रखते हुए विलम्ब तथा व्यर्थ के व्यय का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड का मुख्यालय जून, 1972 में खेतडी से कलकत्ता स्थानान्तरित हुआ था, अतएव 1971–72 वर्ष की जानकारी समीचीन नहीं है।

वर्ष 1972–73 तथा 1973–74 की अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है :—

वर्ष	खेतडी परियोजना का दौरा करने के लिए मुख्यालय के अधिकारियों के विमान किराए तथा यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते पर व्यय		मुख्यालय का दौरा करने के लिए खेतडी ताम्र परियोजना के अधिकारियों के विमान किराये, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते पर व्यय।	
	विमान किराया	टी ए/डी ए	विमान किराया	टी ए/डी ए
	(रुपयों में)		(रुपयों में)	
1972–73	33,264	9,687	11,116	2,701
1973–74	44,600	8,489	63,038	15,883

खेतडी तांबा परियोजना और कलकत्ता के बीच टेलेक्स सेवा पर नाम मात्र का व्यय हुआ।

हिन्द महासागर के बारे में श्री लंका के प्रधान मंत्री के साथ बातचीत

3350. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्द महासागर के बारे में रूस के दृष्टिकोण पर ध्यान दिया है; और

(ख) क्या श्रीलंका और रूस के प्रधान मंत्रियों के बीच हुई बैठक के उपरांत हाल ही में आयोजित भारत और श्रीलंका के प्रधान मंत्रियों की बैठक में इस विषय पर बातचीत हुई थी?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) सरकार को हिन्द महासागर पर सोवियत सरकार के विचारों की जानकारी है ।

(ख) श्री लंका की प्रधान मंत्री ने 10 से 17 नवम्बर, 1974 तक सोवियत संघ की यात्राकी । इस यात्रा के बाद भारत और श्रीलंका की प्रधान मंत्रियों के बीच कोई बैठक नहीं हुई।

अलौह धातुओं का राज्यवार आबंटन

3351. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रत्येक अलौह धातु का राज्य-वार और क्षेत्रवार कितना आबंटन किया गया;

(ख) इस प्रकार के आबंटन का आधार क्या है;

(ग) क्या इसके लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जहां तक उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अधिकृत/पंजीकृती/लाइसेंस प्राप्त एककों का प्रश्न है अलौह धातुओं का आबंटन क्षेत्र-वार या राज्य-वार आधार पर नहीं किया जाता। इन एककों को आबंटन तकनोकी विकास महानिदेशालय तथा पूर्ति और निपटान महानिदेशालय जैसे प्रायोजक प्राधिकरणों तथा केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों के माध्यम से किया जाता है । परन्तु लघु उद्योग एककों को अलौह धातुओं का आबंटन सम्बद्ध राज्य उद्योग निदेशकों के माध्यम से किया जाता है और इस प्रयोजन हेतु उन्हे राज्य-वार कोटा सौंप दिया जाता है । लघु उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पिछले तीन वित्तीय वर्षों में एल्यूमिनियम तथा जस्ता का राज्यवार आबंटन दर्शानेवाला एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—8679/74]**

(ख) से (घ) : आबंटन की सामान्य कसोटी प्रत्येक एकक की क्षमता तथा उसका विगत उत्पादन—निष्पादन की है । चूंकि मांग की तुलना में अलौह धातु की पूर्ति कम है, इस लिए आनुपातिक आधार पर आबंटन करना होता है,। परन्तु जिन लघु एककों को स्थापित क्षमता के बारे में अपूर्ण जानकारी होती है, उनके मामले में धातु की पहले दी गई कुल मात्रा के ब्यौरे को भी ध्यान में रखा जाता है ।

Talks With Pakistan on Air Links

3352. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Varkey George :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the talks on resumption of air links and over-flights between India and Pakistan were held during November, 1964; and

(b) if so, the gist of discussions held and the outcome thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das) : (a) & (b) In pursuance of the Simla Agreement and of the Joint Communique issued on the 14th September, 1974 India and Pakistan hold talks in Rawalpindi from the 18th to 22nd November, 1974, to discuss bilateral settlement of the resumption of overflights and airlinks.

The discussions were useful in bringing about better appreciation of each other's viewpoints. However, it was found necessary to continue the talks at another meeting to be held in New Delhi.

The text of the Joint Communique issued on the 22nd November, 1974 is being table. **[Placed in library.** ***See*** **No. L.T. 8680/74]**

Supply of Pure Milk to Soldiers in Guard Training Centre, Kotah

3353. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state.

(a) whether the soldiers do not get pure milk in the Guard Training Centre, Kotah; and

(b) if so, the quantity of milk being taken from military dairy and the quantity of milk being arranged from outside ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) No, Sir. The soldiers get pure milk in the Guard Training Centre, Kotah.

(b) The entire requirement of milk for the Centre is being met by the local Military Farm Depot.

Arrangement of Buses for Boys of Officers of Guard Training Centre, Kotah

3354. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Defence** be Pleased to state :

(a) whether military school buses are arranged for the boys of officers of the Guard Training Centre, Kotah ; and

(b) if so, the means of transport available for the boys of Class III and Class IV personnel ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Government transport on payment is provided for school going children of Army officers, of the Guard Training Centre Kotah, as authorised ;

(b) (i) Free Government transport is provided to school going children of service personnel below officer rank.

(ii) School going children of civilian Class III and Class IV personnel are not provided transport, as existing authorisation does not cover them.

Alleged Provision of Harbour Facilities to Russian Naval Ships

3355. **Shri B. S. Chowhan :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in 'News Week' in June last that harbour facilities are being provided to Russian naval ships at Visakhapatnam, Nicobar and Andaman ; and

(b) the facts and Government's policy in this regard ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) and (b) Government's attention has been drawn to a map published in the 'Newsweek' dated 3rd June 1974 wherein Port privileges are indicated as available to the Soviet Union in Visakhapatnam and in the Andaman and Nicobar Islands. There are no special facilities provided for Naval Ships of Soviet Union. Harbour facilities are provided to Naval Ships of all friendly countries visting India subject to the availability of such facilities.

मध्य प्रदेश की फर्मों को शीतागार (कोल्ड स्टोरेज) सुविधाओं के अभाव में पोलियो वैक्सीन खरीदने और बेचने की अनुमति

3356. **श्री लालजी भाई :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में मध्य प्रदेश की कुछ औषध फर्मों को जिनके पास शीतगार (कोल्ड स्टोरेज) सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, पोलियों वैक्सीन खरीदने और बेचने की अनुमति दी गई थी;

(ख) क्या इसके कारण मध्य प्रदेश में पोलियों रोग कई गुना बढ़ गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) मध्य प्रदेश की दुकानों को पोलियो वैक्सीन खरीदने तथा बेचने की अनुमति नहीं दी गई है। केवल अस्पतालों को ही पोलियो वैक्सीन मिलती है ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

Bikaner Gypsum Ltd., Udaipur

3357. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether in view of the rich deposits of rock phosphate in Rajasthan, the Union Government propose to take over the Bikaner Gypsum Limited, Udaipur from Rajasthan Government for its development ; and

(b) if so, the time by which it will be taken over ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

भारतीय श्रमिक सम्मेलन

3358. **श्री मधु दंडवते :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में भारतीय श्रमिक सम्मेलन का आयोजन नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सम्मेलन को स्थायी रूप से त्याग कर दिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो श्रमिकों के आर्थिक महत्व के मामले पर मजदूर संघों के साथ बातचीत के अन्य अवसर क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : (क) भारतीय श्रम सम्मेलन की अन्तिम बैठक अक्तूबर 1971 में हुई थी।

(ख) जी नहीं।

(ग) जब कभी आवश्यक होता है, संबंधित श्रमिक संगठनों और नियोजकों के संगठनों के साथ आवश्यक बैठके और विचार विमर्श किये जाते है।

Death of Shri Mohan Sabharwal in Willingdon Hospital, New Delhi

3359. **Shri Madhu Dandavate** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Mr. Mohan Sabharwal, a young student had met with a serious accident at Shankar Road in New Delhi on the 7th October, 1974 ;

(b) if so, whether the young man was taken to the Willingdon Hospital, but the medical authorities at the hospital refused to give prompt and adequate treatment ; and

(c) whether as a result of the negligence shown by the authorities, the patient died on 10th October, 1974 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque) : (a) Yes.

(b) & (c) The matter is under investigation.

विभिन्न वीरता पुरस्कार संबंधी अलंकरणों के साथ दिये जाने वाले भत्तों में वृद्धि

3360. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मूल्यों में वृद्धि तथा वेतनों और भत्तों में वृद्धि और सेवानिवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारियों की पेंशन में वृद्धि को देखते हुए विभिन्न वीरता पुरस्कार सम्बन्धी अलंकरणों के साथ दिये जाने वाले भत्तों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इन भत्तों में कितनी वृद्धि की जाएगी ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) वीर चक्र और अशोक चक्र श्रृंखला के वीरता पुरस्कार पाने वालों को ग्राह्य आर्थिक भत्तों की दरें 1-1-1972 से बढ़ाई गई थी जिनके ब्यौरे निम्नांकित है :-

पुरस्कार	आर्थिक भत्तों की दर	
	1-1-72 से पूर्व	1-1-72 से
परमवीर चक्र . .	50 रु० प्रति मास	100 रु० प्रति मास
महावीर चक्र	30 रु० ,, ,,	75 रु० ,, ,,
वीरचक्र	20 रु० ,, ,,	50 रु० ,, ,,
अशोक चक्र .	50 रु० ,, ,,	90 रु० ,, ,,
कीर्ति चक्र .	30 रु० ,, ,,	65 रु० ,, ,,
शौर्य चक्र	20 रु० ,, ,,	40 रु० ,, ,,

आर्थिक भत्तों की वर्तमान दरों में कोई अन्य वृद्धि करने का प्रस्ताव नहीं है ।

विक्रांत के स्थान पर नया पोत रखना

3361. **श्री मधु लिमये :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विमानवाही विक्रान्त के पुराने विमानों के स्थान पर अन्य नये विमान प्राप्त करने के बारे में कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या विक्रान्त स्वयं पुराना पड़ रहा है और इसके स्थान पर भी अन्य पोत रखना पड़ेगा ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं, श्रीमन् इस बारे में अभी जांच चल रही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं, श्रीमन ।

बंगलौर में एच० एफ०-24 विमान का उत्पादन

3362. **श्री वयालार रवी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना और रक्षा मंत्रालय के बीच मतभेदों के कारण हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के बंगलौर स्थित कारखाने में एच० एफ० 24 का उत्पादन बन्द हो गया है;

(ख) क्या वायु सेना यह महसूस करती है कि इंजन कम शक्ति का है;

(ग) क्या परीक्षण उड़ान के दौरान नये इंजन से युक्त विमान की दुर्घटना के बाद किसी वैकल्पिक विमान का फिर से परीक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो नये परीक्षण के क्या परिणाम निकले; और

(ङ) उक्त परिणामों के बारे में वायु सेना की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं श्रीमन्।

(ख) ऐसी जानकारी है कि एच० एफ० 24 एम० के-1 का निष्पादन कतिपय कार्यों में अधिक शक्तिशाली इंजन से सुधर जाएगा।

(ग) एच० एफ० 24 विमान के कार्य निष्पादन में या तो वर्तमान इंजन में संशोधन करके अथवा नया इंजन लगाकर सुधार कर लाने के लिए कतिपय अध्ययन तथा जांच-पड़ताल की गई है। कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

Amendment of Industrial Disputes Act

3364. **Shri Ramavatar Shastri :**
Shri C. Janardhanan :

Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to amend the Industrial Distupes Act ;

(b) if so, whether Government propose to introduce an amendment bill to this effect in the current session of Parliament ;

(c) whether the medical representatives, salesmen and University employees' unions have demanded that they should be classified as workers and described as such in the said bill ; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) and (b) Efforts are being made to introduce a comprehensive Industrial Ralations Bill in Parliament as early as possible.

(c) Yes, Sir.

(d) The demand will be kept in view while finalising the proposed comprehensive Bill.

दिल्ली के कथित जाली औद्योगिक एककों को इस्पात की सप्लाई

3365. **श्री एम० कतामुतु : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के चार औद्योगिक एककों को, जो केवल कागज पर ही विद्यमान थे क्षेत्रीय इस्पात तथा खान नियंत्रक द्वारा इस्पात सप्लाई किया गया था;

(ख) यदि हां, वे फर्मे कौन-कौन सी है और इन फर्मों के मालिकों के नाम क्या है;

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) इन जाली फर्मों को किस आधार पर इस्पात की सप्लाई की सिफारिश की गई थी; और

(ङ) इसके लिये जिम्मेदार व्यक्ति कौन है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क), (घ) और (ङ) इन इकाइयों की संख्या चार नहीं पांच है। ये ऐसी इकाइयां है जिनके पास उन वस्तुओं के निर्माण के लिए जिसके लिए उन्होने नियंत्रित स्त्रोतों से इस्पात सामग्री प्राप्त की है

कारखाने तथा मशीनों के रूप में कोई व्यवस्था नहीं है। ये इकाइयां दिल्ली के लघु उदयोग निर्देशक के पास लघु उद्योग इकाइयों के रूप में पंजीकृत हैं। इन इकाइयों ने दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम से लोहा और इस्पात प्राप्त किया था।

(ख) और (ग) चूंकि अभी जांच पड़ताल का कार्य चल रहा है इस लिए इस समय इन इकाइयों के नाम बताना लोकहित में न होगा। लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश, 1956 की धारा II 'क' के अधीन इस्पात सामग्री की सप्लाई निलम्बित कर दी गई है। लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश, 1956 की धारा 28 'ख' के अधीन और कार्रवाई करने के लिए आगे जांच की जा रही है।

बलोच तथा पठान संबंधी मामले पर अफगानिस्तान को भारत का समर्थन

3366. **श्री मधु लिमये :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बलोच और पठान विद्रोह के प्रश्न पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बारे में हाल में हुए वाद-विवाद की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि जब 1947 में भूतपूर्व ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिम सीमान्त प्रान्त में लोक मत संग्रह किया गया था, तब महात्मा गांधी ने भी मांग की थी कि पख्तूनों को स्वतंत्रता का तीसरा विकल्प भी दिया जाये; और

(ग) यदि हां, तो क्या भारत सरकार का विचार बलोच तथा पठान लोगों के प्रति अफगानिस्तान की उस नीति को कम से कम नैतिक समर्थन देने का है जो सभी अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर राष्ट्रपिता की नीति भी थी?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां।

(ख) सरकार को सुलभ सूचना के अनुसार ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि गांधी जी ने इस आशय का कोई निश्चित वक्तव्य दिया था।

(ग) सरकार का ख्याल है कि इस प्रकार के मसलों को शांतिपूर्ण तरीके से और संबद्ध पक्षों के बीच बातचीत के जरिये और समस्या के मानवीय पहलू का पूरा ध्यान रखते हुए हल किया जाना चाहिए।

भारतीय नौवहन निगम का विस्तार कार्यक्रम

3367. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :**

श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम ने एक बडे विस्तार कार्यक्रम को तैयार किया है जो 1977 तक पूरा किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) और (ख) शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया ने विभिन्न आकार के विभिन्न प्रकार के 26 जहाजों के आदेश दिये है। ये निर्माण के विभिन्न चरणों में है। इन जहाजों का कुल जी० आर० टी० भार 9.68 लाख है और इनकी 1977 तक निगम को सुपुर्द किये जाने की संभावना है।

मध्य प्रदेश में हंगेरी के सहयोग से एल्यूमिनियम संयंत्र

3368. श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में हंगरी के सहयोग से एल्यूमिनियम संयंत्र का निर्माण करने के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस संयंत्र का निर्माण कार्य निर्धारित समय के अनुसार चल रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है और इस संयंत्र को चालू करने में विलम्ब को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) कोरबा एल्यूमिनियम परियोजना में दो संयंत्र शामिल हैं (1) एल्यूमिना संयंत्र, और (2) प्रद्रावक तथा गढाई संयंत्र । एल्यूमिना संयंत्र हंगरी के सहयोग से लगाया गया है । इस संयंत्र का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और यह अप्रैल, 1973 से चालू हो गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत में मैक्समूलर भवन

3369. श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ऐसे कौन कोन से शहर है जहां मैक्समूलर भवन चल रहे है;

(ख) ये भवन कब से चल रहे है; और

(ग) उनके मुख्य कार्यकलाप क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) भारत में निम्नलिखित शहरों में, प्रत्येक के सामने दिये गए वर्ष से, मैक्समूलर भवन चल रहे है :—

स्थान	कब से चल रहा है
1. कलकत्ता	1956
2. दिल्ली	1957
3. मद्रास	1960
4. बंगलोर	1960
5. पूना	1961
6. हैदराबाद	1963
7. रूरकेला	1964
8. बम्बई	1968

(ग) उनके कार्यकलापों में मुख्य जर्मन भाषा का अध्यापन है जिसके लिये वे नियमित रूप से कक्षाए चलाते है । यदा कदा वे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी करते है जैसे प्रदर्शनियो, संगीत समारोह, व्याख्यान एवं गोष्ठी, फिल्म शो, नाटक आदि ।

Talk between Prime Minister of Pakistan and Vice President of China

3371. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Shri Bhutto has held talks with the Vice-President of China in Sinkiang during the fourth week of September ;

(b) whether both the countries are making preparations to attack on India ; and

(c) if so, the measures proposed to be taken by India for her security ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) We have no information that Prime Minister Bhutto held talks with the Vice-President of China in Sinkiang during the fourth week of September, 1974.

(b) and (c) There are no indications at present of any such plans. However, all related developments bearing on our security are kept under constant review.

राउरकेला इस्पात संयंत्र के उत्पादन में कमी

3372. **श्री गजाधर मांझा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र में अगस्त में दो बडी दुर्घटनाएं हुई है जिनके कारण उत्पादन में होने वाली कमी के अतिरिक्त अन्य काफी नुकसान हुआ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त हानि किस प्रकार की है और सरकार ने इस संयंत्र की स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) राउरकेला इस्पात कारखाने में अगस्त, 1974 में दो बडी खराबियां आई पहली खराबी 13 अगस्त, 1974 को आई जब बस बार के इंस्युलेशन में खराबी के कारण कुछ विभागों को, जिसमें धमन भट्टियां भी शामिल है, 40 से 45 मिनट के लिए बिजली की सप्लाई बन्द रही । इसके परिणाम स्वरूप धमन भट्टियों की कुछ हवा टोटियां जल गई। दूसरी खराबी 20 अगस्त 1974 को आई जब पानी की बडी लाइन पर एक सिल्ली गिर गई जिससे एक वाल्व खराब हो गया और परिणाम स्वरूप कुलिंग वाटर तथा रिसरकूलेशन वाटर पम्प पानी में डूब गये। जिसके परिणाम स्वरूप वेलन मिलो को जल की व्यवस्था ठप्प हो गई ।

अनुमान है कि इन दुर्घटनाओं के कारण उत्पादन में हुई हानि का अनुमान नीचे दिये गया है :—

गर्म धातु . . .	26,774 टन
इस्पात पिण्ड . . .	21,684 टन
विक्रेय इस्पात . . .	8,255 टन
केलिशयम एमोनियम नाइट्रेट .	273 टन

अतिग्रस्त इकाइयों की तत्काल मरम्मत की गई और यथासम्भव कम से कम समय में

इन्हें पुन: चालू कर दिया गया। आतरिक जांच समिति द्वारा इन खराबियों की जांच की गई है। इस के अलावा स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० के महा प्रबन्धक (निर्माण) की अध्यक्षता में नियुक्त की गई एक जांच समिति ने 13 अगस्त 1974 को हुई खराबी की विस्तार से जांच की है । इन समितियों की सिफारिशों का पालन करने के लिए उन पर विचार किया जा रहा है ।

कम वेतन पाने वाले श्रमिकों को संरक्षण

3373. श्री वसंत साठे : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असंगठित उद्योगों के निर्धन श्रमिकों की आय में सुधार करने के लिए न्यूनतम मजूरी अधिनियम अप्रभावी रहा है, क्योंकि कम मजूरी पाने वाले श्रमिकों की मजूरी में न वृद्धि की गई है और न ही उस पर समय समय पर विचार किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो श्रम प्रधान उदयोगों में कम वेतन प्राप्त करने वाले श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के हेतु क्या कार्यवाही की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) वर्तमान मजूरी के ढांचे को तर्क संगत बनाने और मूल्यों में तेजी से हो रही वृद्धि के परिणामस्वरूप कम वेतन पाने वाले श्रमिकों में व्यापक असन्तोष को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) राष्ट्रीय श्रम आयोग ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के कार्यकरण की विस्तृत पुनरीक्षा की है और इसने अन्य बातों के साथ साथ यह सिफारिश की है कि अधिनियम में मजदूरियों की पुनरीक्षा के लिए इस समय 5 साल का जो कानूनी/अन्तराल है, उसे घटा कर 3 साल का कर दिया जाए। राष्ट्रीय श्रम आयोग की इस सिफारिश को आवश्यक कार्यवाही हेतु राज्य सरकारों के ध्यान में ला दिया गया है । समय समय पर राज्य सरकारों को यह सलाह भी दी गई है कि वे अधिनियम के प्रवर्तन के लिए प्रभावी कारंवाई करें।

Fine on bus passengers in D. T. C.

3374. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **SHIPPING & TRANSPORT** be pleased to state :

(a) whether the Delhi Transport Corporation have given orders to every A. T. I. to realise at least an amount of Rupees one thousand through fines on 200 passengers to remedy the financial crisis ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ; and

(c) the amount realised from passengers as fine in August, September and October, 1974 by Delhi Transport Corporation, separately, indicating the respective number of passengers from whom these amounts were realised ?

The Minister of Shipping and Transport (Shri Kamalapati Tripathi) : (a) & (b) With a view to check ticketless travel on D.T.C. buses, the checking staff of the corporation have been empowered to compound the offence of ticketless travel (which is a punishable offence under the Delhi Road Transport Authority Act, 1950) on payment of a Composition fee of Rs. 5 by each passenger apprehended committing the offence. Administrative instructions have been issued fixing norms of monthly output of work by the Corporation's checking staff.

(c) No fine is imposed on passengers by the checking staff. The amount of composition fee realised from the passengers apprehended committing the offence of ticketless travel on D.T.C. buses during the relevant period is given below :

Period	No. of ticketless passengers detected	Total amount realised
Aug. 1974	7152	Rs. 37,025
Sept. 1974	6288	Rs. 32,090
Oct. 1974	5612	Rs. 29,270
	TOTAL .	Rs. 98,385

मिलिटरी इंजीनियरिंग सेवा को धनराशि का आबंटन

3375. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1973 में मितव्ययिता के उपायों के रूप में की गई भारी कटौती का प्रभाव मिलिटरी इंजोनियरी सेवा की धनराशि के आबंटन पर पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो सामान की खरीद तथा ठेकों पर कितनी धनराशि आबंटित की गई और खर्च की गई; और

(ग) विभागीय श्रमिकों द्वारा कार्य पूरा करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है और विभिन्न कमांडों में कितनी धनराशि बचाई गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां श्रीमन ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) सेना मुख्यालय ने मार्च 1973 के अनुदेश जारी किए थे कि 1973-74 के दौरान आवर्तिक सेवाओं के लिए नए ठेके न दिए जाएं और चिकित्सीय आधार पर और इमारत की स्थिरता के लिए आवश्यक सभी मरम्मत कार्यों, सफेदी/रंग आदि को विभागीय नियुक्त श्रमिकों से कराया जाना चाहिए ।

रख-रखाव निर्माण को ठेकेदारों के माध्यम से कराने के कार्य को पूर्णतया रोक दिया गया था ।

ठेकों को समाप्त कर दिए जाने के परिणाम. स्वरूप 1973-74 के दौरान धन की बचत के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, कानपुर के कर्मचारियों की छंटनी तथा बदली

3376. **श्री एस० एम० बनर्जी :**

श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनौटिक्स लिमिटेड कानपुर के लगभग 3,000 कर्मचारियों को इस एकक में अपर्याप्त कार्य होने के कारण छंटनी तथा स्थानांतरण की स्थिति का सामना करना पड़ेगा;

(ख) क्या खेतों में छिडकाव करने के लिये 'वसन्त' नामक एक अन्य प्रकार का विमान इस कारखाने में निर्मित किया जाएगा; और

(ग) यदि एवरो 748 के उत्पादन को बन्द कर दिया जाये तो इसमें अन्य किस प्रकार के विमानों का निर्माण किया जायेगा, और यदि हां, तो ऐसे विमानों के क्या नाम है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के इस प्रभाग में एच एस 748 विमान के नए आर्डरों की कमी के कारण कार्य भार कम हो रहा है परन्तु इस स्थिति में सुधार करने के लिए कानपुर प्रभाग को अतिरिक्त कार्य आबंटन करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे है। कोई छांटनी अथवा अनिवार्य स्थानान्तरण इस समय विचाराधीन नहीं है। यद्यपि हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड के अन्य प्रभागों को स्वैच्छिक स्थानांतरण की अनुमति दे दी गई है।

(ख) जी हां श्रीमन्।

(ग) सरकार भारतीय वायु सेना के लिए एक उपयुक्त सैनिक भारवाही विमान के प्रश्न पर विचार कर रही है। इस प्रकार के चयन किए गए विमान को कानपुर प्रभाग में बनाए जाने का प्रस्ताव है यदि विमान की किस्म और अपेक्षित संख्या इसका निर्माण करने के लिए ठीक पाई गई।

जनवरी, 1973 में हुए श्रम मंत्री सम्मेलन की सिफारिशें क्रियान्वित करना

3377. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी 1973 में हुए श्रम मंत्री सम्मेलन की सिफारिशों को अब तक राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो किन राज्य सरकारों ने उन्हें क्रियान्वित नहीं किया है तथा इसके क्या कारण है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) राज्य श्रम मंत्रियों की जनवरी, 1973 में हुई बैठक में बीड़ी श्रमिकों की मजदूरी दरें बढ़ाने के बारे में की गई सिफारिशें लगभग लागू की जा चुकी थीं। 27-28 सितम्बर, 1974 में नई दिल्ली में हुए श्रम मंत्री सम्मेलन में और वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार विमर्श किया गया था और यह सिफारिश की गई थी कि बीडी उद्योग में मजदूरियों की वर्तमान न्यूनतम दर में संशोधन कर के उन्हें, 1000 बीडियां लपेटने के लिए 4.50 रुपये से लेकर 5.00 रुपये तक किया जाए परन्तु पहले से प्रचलित उच्चतर दरों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और यह कि नई दरों को यथा शीघ्र लागू किया जाना चाहिए परन्तु हर हालत में यह काम पहली मई, 1975 तक हो जाना चाहिए। इसे आवश्यक कार्यवाही हेतु राज्य सरकारों के ध्यान में ला दिया गया है।

Appointment of Director (Commissioner) of Family Planning

3378. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether so far Senior and prominent Medical practitioners have been appointed to the post of Director (Commissioner) Family Planning ;

(b) the circumstances which led to the appointment of an officer of the Administrative Service to this post this time when there is no dearth of senior and eminent medical practitioners ; and

(c) whether other technical posts in the Ministry are also proposed to be manned by the officers of Administrative Service likewise ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque) : (a) Prior to the appointment of the present incumbent, the post of Commissioner (Family Planning) was held by Senior Medical Officers.

(b) Efforts were made to get a suitable medical officer but none was available. The post remained vacant for 18 months before it was finally filled by an officer of the Indian Administrative Service.

(c) No such proposal is under consideration at present.

Geological Expert's Survey of M. P. and U. P. for Minerals

3379. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether a survey of Tikamgarh, Chhatarpur and Panna in Bundelkhand regions (Madhya Pradesh) and Jhansi and Banda Districts (Uttar Pradesh) was conducted by the Geological Experts of Union Government some time back ;

(b) if so, the names of mineral deposits likely to be found in each of these Districts as indicated in the survey report given by those exports ; and

(c) the action taken by Union Government on this survey report ?

The Deputy Minister in the Ministry of steel and mines (Shri Sukhdev Prasad): (a) Geological Survrey of India has already conducted a number of surveys in Tikamgarh, Chhatarpur and Panna districts of Madhya Pradesh and Jhansi and Banda districts of Uttar Pradesh and such surveys are being continued.

(b) As a result of these surveys, diamondiferous pipe rocks were located at Angor in Chhatarpur district and at Majhgawan and Hinota and diamondiferous gravel layers at Ramkheria, Karuri, Ranipur, Patti and Hatupur areas in Panna district of Madhya Pradesh. In Uttar Pradesh reserves of 10 million tonnes of flux grade dolomite, 2.22 million tonnes of Bauxite (having 44 to 61.51 percent alumina ana 2.66 to 2.56 percent silica) and sizeable deposit of Silica sand have been estimated in Banda district and 54,500 tonnes of pyrophyllite and diaspore were estimated in Jhansi district.

No mineral deposit of economic importance has so far been located in Chhatarpur and Tikamgarh districts. Investigations proposed in 1974-75 field season of Geological Survey of India, to get a better picture of the mineral reserves, are for base metal mineralisation in Panna, Chhatarpur and Tikamgarh districts and for diamond in Panna district of Madhya Pradesh, for Phosphorite in Banda district and for pyrophyllite, diaspore, glass sand, gypsum and other minor minerals in Jhansi district of Uttar Pradesh. The State Department of Geology and Mining is prospecting the bauxite deposits of Banda district.

आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सा प्रयोजनों के लिए जड़ी बूटियों और पौधों सम्बन्धी अनुसँधान

3380. **श्री पी० एम० सईद :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि आदिवासी क्षेत्रों में कुछ ऐसी जड़ी बूटियों और चिकित्सा के काम आने वाले पौंधो को जानकारी मिली है जो कुछ रोगों की चिकित्सा के लिए अत्यन्त उपयोगी है;

(ख) क्या आदिवासी क्षेत्रों के भीतर तथा बाहर उनके चिकित्सा के लिये के आम प्रयोग हेतु उपयोग करने के लिए ऐसी जड़ी बूटियां और पौधों की उपयोगिता का पता लागाने के लिये कोई अनुसंधान किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या मंत्रालय का विचार ऐसे सर्वेक्षण और अनुसंधान आरम्भ करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) आदिवासी क्षेत्रों में कुछ जडी बुटियां और चिकित्सा के काम आने वाले पौधे पाये जाते है जो कुछ रोगों की चिकित्सा के लिए उपयोगी है ।

(ख) और (ग) भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद सुदूरवर्ती क्षेत्रों के जंगलो में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों और इलाज के काम आने वाले पौधों पर चरण-वार सर्वेक्षण और अनुसंधान कार्य कर रही है ।

'सेल इंटरनेशनल'

3381. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात के आयात और निर्यात का काम करने के लिये स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के सहायक कम्पनी के रूप में 'सेल इंटरनेशनल' नामक सरकारी क्षेत्र से एक नई कम्पनी बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो इसका मुख्यालय कलकत्ता में स्थापित किये जाने के क्या कारण है; और

(ग) हम किस किस किस्म के लोहे और इस्पात का अब भी आयात करते है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रशासकीय कारणों से 'सेल इन्टरनेशनल' बनाई गई है और इसका पंजीकृत कार्यालय कलकत्ता में रखा गया है ।

(ग) इस समय आयात कर की जाने वाली इस्पात की कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियों में प्लेटें' गर्म बेलित क्वायल और चादरें, ठंडे बेलित क्वायल और चादरें, टिन प्लेटें और विद्युत इस्पात की चादरें भी शामिल है ।

Breach on National High way No. 28 Between India and Nepal

3382. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **shipping and transport** be pleased to state :

(a) Whether traffic between Nepal and India has come to a stand still as a result of breach in roads ;

(b) whether the national highway No. 28 was breached after August-September, 1974 ; and

(c) whether Government propose to take over this road from Raxaul to Muzaffarpur ?

The Minister of Shipping and Transport (Shri Kamlapati Tripathi) : (a) Nos, Sir. The traffic, however, remained interrupted from 11-9-74 onwards and the same was restored on 18-10-74.

(b) Yes, Sir.

(c) The road from Raxaul to Muzaffarpur comprises of National Highway No. 28A from Raxaul to Piprakothi and N. H. No. 28 from Piprakothi to Muzaffarpur. The road is already being developed/maintained by the Central Government through the agency of the Bihar State P.W.D.

Completion of inquiry into Death of a Patient at All India Institute of Medical Sciences, New Delhi

3383. **Shri B. S. Chowhan :** Will the Minister of **health and family planning** be pleased to state :

(a) whether the inquiry into the death of a paitent reportedly caused by the carelessness of the Doctor at the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, has since been completed ; and

(b) if so, the salient features thereof and the action taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque) : (a) and (b) The Sub-Committee appointed by the Institute Body of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi has given its Report on the Complaint made by Shri Vijay Kumar Gupta regarding death of his father Shri Banwari Lal Gupta at the Institute. The Committee has expressed the view that professionally and technically there were no lapses and everything possible was done. However, the Committee also observed that a constant effort sould be made to maintain good patient— doctor relationship. Remedial measures, wherever necessary, have been taken by the Institute for the improvement of hospital services in the light of the recommendations of the Sub-Committee.

आवश्यकता पर आधारित राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी पर विचार करना

3384. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई दीर्घावधि मजूरी नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या है;

(ग) क्या मजूरी नीति को निर्धारित करते समय सरकार ने "आवश्यकता पर आधारित राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी" के प्रश्न पर 15 वे श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को ध्यान में रखा कर, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) : मजदूरी संबंधी नीति निश्चित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

RE. ADJOURNMENT MOTION

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने सम्बन्धी प्रश्न

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव के बारे में विशिष्ट नियम हैं। मामला आकस्मिक घटना से सम्बन्धित होना चाहिए। आपने कई बार इसका हवाला दिया है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपूर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : अभी तक सभा की कार्यवाही शुरू नहीं हुई; आप व्यवस्था का प्रश्न कैसे उठा सकते हैं ?

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपूर) : क्या आपको मेरा स्थगन प्रस्ताव नहीं मिला ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर सहमति नहीं दे सकता। आप किसी अन्य माध्यम से यह मामला उठा सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : क्या आप दो मिनट का समय देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह व्यवस्था है कि यदि माननीय सदस्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना दे तो उसे निवेदन करने का भी अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : जब तक अध्यक्ष अनुमति न दे आपको बोलने का अधिकार नहीं है। **(व्यवधान)** आप नियम संख्या 377 अथवा अन्य किसी रूप में मामले को उठा सकते हैं।

श्री नुरुल हुडा (कछार) : यह एक महत्वपूर्ण मामला है। आपको बोलने की अनुमति देनी चाहिए।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : सरकार ने ना केवल देय मंहगाई भत्ता रोक रखा है बल्कि हमें यहां उस विषय पर बोलने का अवसर भी नहीं दिया जा रहा। यह एक ऐसा मामला है जिस पर आप स्वविवेक से स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दे सकते हैं। आप कठोरता से नियमों पर न अड़ें।

अध्यक्ष महोदय : अधिकांशतः मैं उदार रहता हूं। लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि यह मामला स्थगन प्रस्ताव का विषय बने। मंहगाई भत्ते का मामला कई बार सदन में उठाया जा चुका है और सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जा चुका है। आप इस मामले को नियम संख्या 377 अथवा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अन्तर्गत उठा सकते हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यदि आप स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं देना चाहते तो आप नियम संख्या 193 अथवा 184 के अन्तर्गत चर्चा की अनुमति दे दें **(व्यवधान)**।

अध्यक्ष महोदय : इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न न उठाएं।

श्री एस० एम० बनर्जी : वित्त मंत्री ने कहा था कि वह विचार कर रहे हैं। आज समाचार-पत्र में छपा है कि अतिरिक्त मंहगाई भत्ता शायद न दिया जाए। मंहगाई भत्ते की चार किस्ते देय हैं . . . **(व्यवधान)** आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमती दें।

अध्यक्ष महोदय : मुझे नियमों के अनुसार चलना है। स्थगन प्रस्ताव के अतिरिक्त किसी भी प्रक्रिया के अन्तर्गत चर्चा की जा सकती है।

श्री एस० एम० बनर्जी : हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार कर सकता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सदन में नियमों का उल्लंघन किया गया है . . . **(व्यवधान)**।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं।

श्री एच० एन० मुखर्जी : आपने माना है कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है। आज के समाचार-पत्रों में छपी खबर में कहा गया है कि सरकार ने देय किस्तों को रोकने का निर्णय किया है। इस मामले में सरकार की निन्दा होनी चाहिए। आप इतने कठोर न बनें। मेरी रुचि संसदीय प्रणाली में है।

Shri Madhu Limaye (Banka) **:** I rise on a point of order. Why don't you listen to me?

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) **:** Under Rule 376, I rise on a point of order. My submission is that you should go according to the List of business (*Intrruptions*).

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही बता चुका हूं कि स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी जा सकती। आप नियम संख्या 377 अथवा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अन्तर्गत चर्चा कर सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : स्थगन प्रस्ताव पर आपके निर्णय के बारे में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है . . . **(व्यवधान)**

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (कलकत्ता-दक्षिण) : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। **(व्यवधान)** यदि आप सरकार की निन्दा करना चाहते हैं तो किसी अन्य नियम के अन्तर्गत कर सकते हैं। जहां तक मंत्री द्वारा वक्तव्य देने का प्रश्न है, मैं उन्हें वक्तव्य देने के लिए निदेश दे सकता हूं। यदि आप इससे भी संतुष्ट नहीं है तो मैं आपको नियम संख्या 377 के अन्तर्गत मामला उठाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपको सब तथ्यों की जानकारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी संभव अवसरों पर इसकी अनुमति देता रहा हूं। इस प्रस्ताव को स्थगन प्रस्ताव का रूप नहीं दिया जा सकता। मंत्री महोदय अपना वक्तव्य देंगे।

(तत्पश्चात प्रो० एच० एन० मुखर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन से उठकर बाहर चले गए।)

(At this stage Pro. H. N. Mukerje and some other Hon. members then left the House).

श्री मधु लिमये : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं इस मामले के संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आज विरोधी पक्ष के नेताओं की 4.30 बजे एक बैठक बुला रहा हूं।

विशेषाधिकार का प्रश्न

Question of Privilege

आयात लाइसेंस कांड

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : अध्यक्ष महोदय, कल तीन माननीय सदस्यों ने श्री एल० एन० मिश्र के विरुद्ध विशेषाधिकारों के हनन का मामला उठाया। हमारी शिकायत का आधार यह है कि गत सत्र में श्री ललित नारायण मिश्र ने कहा था कि मैंने संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए ज्ञापन को सामान्य प्रक्रिया के रूप में सबंद्ध अधिकारियों को भेज दिया था। दूसरे अर्थों में, वह सदन को बताना चाहते थे कि यह कोई खास मामला नहीं है और इसीलिए उन्होंने इस पर विशेष ध्यान न देकर सामान्य प्रक्रिया अपनाई है। मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं दिए। मंत्री महोदय का कहना है कि लाइसेंस देने से उनका कोई संबंध नही और यदि लाइसेंस दिए गए हैं तो यह जिम्मेदारी उनकी नहीं अपितु अन्य उत्तर अधिकारि मंत्री की है। दूसरे अर्थों में वह यह स्वीकार करते हैं कि उनका इससे कुछ संबंध हीं नहीं है।

इस संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निष्कर्ष क्या हैं, हमें इन बातों पर विचार करना है। सदन यह जानना चाहता है कि सच्चाई क्या है। हम किसी विशेष सदस्य या किसी मंत्री के पीछे जानबूझ कर हाथ धो कर नहीं पड़े हैं। हम सच्चाई जानना चाहते हैं और इस कार्य के लिए सदन का सहयोग चाहते हैं।

मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय अन्ततः यह सिद्ध करें कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निष्कर्ष सही नहीं हैं। किन्तु केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निष्कर्ष विद्यमान हैं क्योंकि सरकार ने इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो कों जांच करने के लिए कहा था।

पहली विचारणीय बात यह है कि श्री मिश्र ने श्री तुलमोहन राम के पहले ज्ञापन को रद्द कर दिया था। उस समय तक मंत्री महोदय गत 18 वर्ष से प्रचलित नीति का अनुसरण कर रहे थे। मेरी समझ में नहीं आता कि इस सरकार पर जनता की आलोचना का असर क्यों नहीं होता और 18 वर्षों से अपनाई जा रही नीति का एकदम त्याग क्यों कर दिया गया। क्या इस संबंध में उन्हें देश को सफाई नहीं देनी चाहिए?

दूसरी बात यह है कि सी० सी० आई० ई० ने मंत्री महोदय को सलाह दी थी कि मामले को फिर से न चालू किया जाए और यदि मुकद्दमा दायर किया गया तो वह उसे लड़ेगी। यह परामर्श 28-8-72 को दिया गया था।

आरोप पत्र में कहा गया है कि विधि मंत्रालय से भी परामर्श किया गया था परन्तु हमें नहीं पता कि उसने क्या सलाह दी। हमें यह जानकारी क्यों नहीं दी गई? यह भी कहा गया है कि है बाद में एक ऐसे आदमी की तलाश की गई जो श्री मिश्र को प्रभावित कर सके। इस के लिए तुलमोहन राम को पकड़ा गया और लाइसेंस देने के कार्य का उद्घाटन हुआ। 22-11-72 को श्री तुलमोहन राम एक अभ्यावेदन ले गए, पर मंत्री महोदय के न मिलने पर उन्होंने उसे विशेष सहायक एन० के० सिंह को दे दिया। यदि यह एक

[श्री शामनन्दन मिश्रा]

सामान्य बात होती तो मामला वहीं पड़ा रहता, परन्तु श्री तुलमोहन राम अगले दिन मंत्री महोदय के पास गए और उन्होंने कहा कि मंत्री महोदय ने सी० सी० आई० ई० को इस मामले की जांच करने के लिए कहा। उसी दिन मंत्री महोदय ने संबद्ध फाइल पर नोट लिखा। यह फाइलें केन्द्रीय जांच ब्यूरो को दे दी गई है। संसद सदस्यों का अभ्यावेदन और मंत्री का नोट 24-11-72 को सी० सी० आई० ई० को भेज दिया गया। यह उल्लेखनीय है कि यह सारा कार्य किस तीव्र गति से हुआ अगर योजना का काम भी इतनी तीव्र गति से होता तो देश के लाखों लोगों की तकदीरें बदल जातीं। यह काम इसीलिए तेजी के साथ किया गया क्योंकि मंत्री महोदय की स्वयं इसमें रूचि थी। मंत्री महोदय की टिप्पणी के साथ अभ्यावदन 24-11-72 को सी० सी० आई० ई० को भेज दिया गया तथा उसी दिन उसकी प्राप्ति स्वीकृती भेंज दी गई। फिर उसी दिन जब सी० सी० आई० ई० ने मंत्री महोदय को परामर्श दिया तो मंत्री महोदय ने पांडिचेरी और माहीं में स्थल पर जांच करने का आदेश दिया। क्या इन सब बातों से यह स्पष्ट नहीं होता कि मंत्री महोदय की इसमें कुछ खास दिलचस्पी थी? इस बात पर भी ध्यान दिया जाए कि रिट याचिका वापिस लेने की सूचना विभाग को देने के बजाय सीधे मंत्री को दे दी गई। यह असामान्य प्रक्रिया क्यों अपनाई गई?

5 फरवरी को श्री एन० के० सिंह ने एक नोट भेजा कि मंत्री महोदय इस मामले को जल्दी ही अंतिम रूप देना चाहते हैं, क्योंकि यह काफी देर से निलंबित पड़ा है। आप सोचते हैं कि अधिकारी ने यह नोट इसलिए लिखा क्योंकि वह स्वयं ऐसा चाहता था। ऐसा मंत्री महोदय की इच्छानुसार हुआ जो मंत्री महोदय ने शब्दावली प्रयुक्त की वही इस अधिकारी ने भी की। ऐसा उस दिन किया गया जिस दिन उनका विभाग बदला गया और उन्हें केबिनेट स्तर का मंत्री बनाया गया। यह स्पष्ट है कि यह मंत्री का ही आदेश था। मेरे माननीय मित्र प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय का कहना है कि यह सबकुछ सही ढंग से किया गया और इसमें कोई संदेह की बात नहीं। लेकिन मंत्री महोदय का पहला नोट और इसके उपरान्त वाणिज्य मंत्री श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय द्वारा की गई कार्यवाही इस तथ्य को स्पष्ट करती है कि सब बातों का आपस में संबंध है और यह नीति के अनुरूप हो रहा है। संसदीय प्रक्रिया में सारा उत्तरदायित्व मंत्रियों पर होता है और कोई मंत्री अपने दोषों को अधिकारियों पर डालकर स्वयं को नहीं बचा सकता और इसलिए मंत्री को उत्तरदायित्व लेना ही पड़ता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि मंत्री महोदय ने इसमें अत्यधिक दिलचस्पी ली। 5 फरवरी की टिप्पणी से भी यह बात स्पष्ट होती है। यदि मंत्री महोदय यह कहते कि मैंने संसद सदस्यों के अभ्यावेदनों को ले लिया था। तो कोई कठिनाई नहीं थी, किन्तु उन्होंने कतई गलत बात कही है तो इससे लगता है कि उन्होंने ऐसा जान बूझ कर कहा है और परिणामतः विशेषाधिकार का मामला उठता है।

तत्पश्चात लोक सभा मध्याहान भोजन के लिए दो बज कर तीस मिनट म०प० तक के लिए स्थगित हुएई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till half past fourteen of the Clock.

मध्याहान भोजन के पश्चात लोक-सभा दो बजकर तेंतीस मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after lunch at Thirty-three minutes past fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा-पटल पर पत्र रखे जाएं।

Shri Madhu Limye(Banka): Mr. Deputy Speaker, you must have received my notice. The workers of Matunga Railway Workershop, Bombay were beaten up by some outsider hooligans. I request that the Minister of Parliamentary Affairs should give a Statment in this regard. This is a centeral subject.

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए। सभा-पटल पर पत्र रखे जाएं।

श्री पी० क० देव (कालाहांडी) : जिस प्रकार राज्यपाल के पद का प्रयोग सभा की शक्ति का पता लगाने हेतु किया जा रहा है वह नितान्त गलत है। मणिपुर में राज्यपाल को बहुमत का पता लगाने के लिए कहा गया है। इसका निर्णय सभा में होना चाहिए. राज्यपाल इसका निर्णय क्यों करें? विधान सभा इसका निर्णय करे।

सभा पटल पर रखें गए पत्र

Papers laid on the Table

शिख गुरुद्वारा संशोधन अधिनियम का हिन्दी अनुवाद

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं श्री एफ० एच० मोहसिन को ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) दिल्ली सिख गुरुद्वारा (दूसरा संशोधन) नियम, 1974, जो दिनांक 7 नवम्बर 1974 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 18/17/74–जूडल० में प्रकाशित हुए थे, का हिन्दी अनुवाद।

(2) दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति (सदस्यों का निर्वाचन) (संशोधन) नियम 1974, जो दिनांक 19 नवम्बर, 1974 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ–18(19)/73–जुडल० में प्रकाशित हुए थे, का हिन्दी अनुवाद।

(3) दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति (मतदाताओं का पंजीकरण) (दूसरा संशोधन) नियम, 1974, जो दिनांक 19 नवम्बर, 1974 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ 18(19)/73 जूडल में प्रकाशित हुए थे, का हिंदी अनुवाद।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी०—8670/74)

गुजरात नगरीय क्षेत्र में खाली भूमि (अन्य संक्रामण प्रतिषेध) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत गुजरात राज्य के आदेश

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : निम्नलिखित पत्र मैं, सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 फरवरी 1974 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) तीन के साथ पठित गुजरात नगरीय क्षेत्र में खाली भूमि (अन्य संक्रामण प्रतिषेध) अधिनियम, 1972 की धारा 7 की उपधारा (4) के अन्तर्गत गुजरात सरकार के निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति :—

(1) परनाकुंज कोओपरेटिव सोसाइटी हाउसिंग, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 17 अगस्त, 1974 का आदेश संख्या वी टी सी-1473/9 93988/पांच।

[श्री दलवीर सिंह]

(2) श्री प्रवीण सिंह, भगवान सिंह ग्रामआनन्द, तालुक अन्कलेश्वर, जिला बड़ौच के मामले में दिनांक 22 अगस्त, 1974 का आदेश संख्या वीसीटी/1973/220/पांच।

(3) सर्वश्री अम्बा लाल मानेक लाल तथा रमेश चन्द मानेक लाल, ग्राम हाथी जान, तालुक दास करोई, जिला अहमदाबाद के मामले में दिनांक 27 अगस्त 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/1473/8903/पांच।

(4) सूरत के श्री डी० के० मार्फतिया के मामले में दिनांक 4 सितम्बर, 1974 का, आदेश संख्या वी सी टी/3072/101343/पांच।

(5) न्यू गोकुल नगर कोओपारेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, बतरा, तालुक दास करोई जिला अहमदाबाद के मामले में दिनांक 10 सितम्बर, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/1473/91491/पांच।

(6) श्री त्रिलोकनगर, कोओपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, बड़ोदा के मामले में दिनांक 17 सितम्बर, 1974 के आदेश संख्या वी सी टी/1773/129012/पांच।

(7) जय जगन्नाथ कोओपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 21 सितम्बर, 1974 के आदेश संख्या वी सी टी/1773/75128/पांच।

(8) जय गंगेश्वर कोओपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, सूरत के मामले में, दिनांक 24 सितम्बर, 1974 के आदेश संख्या वी सी टी/3074/19138/पांच।

(9) मोराना अपार्टमेंट कोओपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 26 सितम्बर, 1974 के आदेश संख्या वी सी टी/1474/57058/पांच।

(10) न्यू अलकनन्दा कोओपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, वस्त्रपुर के मामले में दिनांक 5 अक्तूबर, 1974 के आदेश संख्या वी सी टी/1473/121831/पांच।

(11) श्री राजदीप कोओपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, रानोप, तालुका शहर जिला अहमदाबाद के मामले में 7 अक्तूबर, 1974 के आदेश संख्या वी सी टी/1473/143658/पांच।

(12) नव रचना कोओपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 8 अक्तूबर, 1974 के आदेश संख्या वी सी टी/1473/97996/पांच।

(13) सर्व श्री हीरा जेसंग और लावजो रत्ना, नानकेरला, तालुका वधवन, जिला सुरेन्द्रनगर के मामले में दिनांक 9 अक्तूबर, 1974 के आदेश संख्या वी सी टी/3174/33873/पांच।

(14) कृष्णनगर कोओपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, नादियाड, जिला कैरा के मामले में दिनांक 10 अक्तूबर, 1974 के आदेश संख्या वी सी टी/2473/91000/पांच।

(15) श्री बाबर भाई गनीर भाई, रामनर, तालुका आनन्द, जिला कैरा के मामले में दिनांक 10 अक्तूबर, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/2473/133733/पांच।

(16) राजकोट के श्री जी० एम० चुडासामा के मामले में दिनांक 10 अक्तूबर, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/2874/390065/पांच।

(17) कल्याण कोओपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, उपलेटा, जिला राजकोट के मामले में दिनांक 10 अक्तूबर, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/2873/15164/पांच।

(18) श्रीमती सविताबहन मगनलाल नायके, कडोडारा, तालुका पलसाना, जिला सूरत के मामले में दिनांक 10 अक्तूबर, 1974 के आदेश संख्या वी सी टी/3074/79963/पांच।

(19) स्वामी बाग कोओपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, मंजलपुर, तालुका बड़ौदा के मामले में दिनांक 10 अक्तूबर, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/1773/109260/पांच।

(20) हूसेनी कोओपरेटीव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, बेजालरपुर, तालुका शहर, जिला अहमदाबाद के मामले में दिनांक 14 अक्तूबर, 1974 के आदेश संख्या वी सी टी/1474/69000/पांच।

(21) श्री भीखूभाई, हरीभाई देसाई, अन्ट्रोली, तालुका पलसाना, जिला सूरत के मामले में दिनांक 15 अक्तूबर, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/3074/87437/पांच।

(22) शाहवाडी श्री काशीभाई बाबाभाई पटेल तथा अन्य शाहवाडी, तालुका शहर, जिला अहमदाबाद के मामले में दिनांक 15 अक्तूबर, 1974 के आदेश संख्या वी सी टी/1474/812033/पांच।

(23) रेल नगर कोओपरेटिव हाउसिंग सोसायटी (प्रस्तावित), राजकोट के मामले में दिनांक 15 अक्तूबर, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/2374/23730/पांच।

(24) श्री मानूभाई जेठाभाई पटेल, अहमदाबाद के मामले में 12 अगस्त, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर/695/72

(25) श्री गुलमोहम्मद कादरभाई, अहमदाबाद, के मामले में दिनांक 17 अगस्त, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर/192/73

(26) मैसर्स भागवत पेट्रोलियम, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 27 अगस्त, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/एस० आर०/757/72

(27) लक्ष्मी कोओपरेटीव इन्डस्ट्रीयल एस्टेट लिमिटेड, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 13 सितम्बर, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर/204/73

(28) मैसर्स बेस्ट फार्मास्यटिक्ल्स एण्ड कैमिकल्स फैक्टरी, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 13 सितम्बर, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर/36/73

(29) गनेश कोओपरेटिव इन्डस्ट्रीयल एस्टेट, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 13 सितम्बर, 1974 के आदेश संख्या वी सी टी/एस आर/127/73

[श्री दलबीर सिंह]

(30) कल्या बक्स थिअेटर प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 21 सितम्बर, 1974 के आदेश संख्या वो सो टो/एस आर/132/7(3)

(31) अहमदाबाद के श्री भोखाभाई सोमनाथ पटेल के मामले में दिनांक 25 सितम्बर, 1974 के आदेश संख्या वो सो टो/एस आर/146/7 (3)

(32) विक्रम विकास मण्डल ओनर्स एसोसिएशन, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 26 सितम्बर, 1974 का आदेश संख्या वो सो टो/एस आर/133/7(3)

(33) श्रोमतो अशारापुन्नानिशा बेगम तले मोहम्मद खाननो, बिनजोल, तालुका दासकरोई, जिला अहमदाबाद के मामले में दिनांक 30 सितम्बर, 1974 का आदेश संख्या वो सो टो/एस आर/56/73

(34) हरो ओम एन्टरप्राईज, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 5 अक्तूबर, 1974 का आदेश संख्या वो सो टो/एस आर/156/7(3)

(35) निकुंज ट्रेडर्स, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 5 अक्तूबर, 1974 का आदेश संख्या वो सो टो/एस आर/155/74

(36) रेक्सरोथ मानेकलाल इन्डस्ट्रोज लिमिटेड, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 11 अक्तूबर, 1974 का आदेश संख्या वो सो टो/एस आर/159/73

(37) श्रो जो कारपोरेशन, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 21 अक्तूबर, 1974 का आदेश संख्या वो सो टो/एस आर/145/7(3)

(38) बड़ोदा इन्डस्ट्रीयल डेव्लपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, बड़ौदा के मामले में दिनांक 13 सितम्बर, 1974 का आदेश संख्या वो सो टो/एस आर/119/74

(39) श्री सिद्धनाथ महादेव ट्रस्ट, बडौदा के मामले में दिनांक 27 सितम्बर, 1974 का आदेश संख्या वो सो टो/एस आर/57/74

(40) श्री शिवरात्री परना ट्रस्ट, छनी, तालुका बडौदा के मामले में दिनांक 27 सितम्बर, 1974 का आदेश संख्या वो सी टो/एस आर/58/74

(41) बडौदा प्रोडक्टोविटी काउन्सिल, बडौदा के मामले में दिनांक 5 अक्तूबर, 1974 का आदेश संख्या वो सो टो / एस आर/113/74

(42) श्री भीखाभाई किलाभाई गिरासिया ग्राम मिलापुर, तालुका दभोई के मामले में दिनांक 5 अक्तूबर, 1974 का आदेश संख्या वी सो टो/एस आर/59/74

(43) नौवल रबड़ इन्डस्ट्रीज, बडौदा के मामले में दिनांक 14 अक्तूबर, 1974 का आदेश संख्या वी सी टो/एस आर/116/74

(44) श्रो पुरुषोत्तमदास प्राणजोवनदास, सूरत के मामले में दिनांक 17 अगस्त, 1974 का आदेश संख्या वो सो टो/एस आर/43/74

(45) श्रो चन्द्र कांत प्राणजोवनदास, सूरत के मामले में दिनांक 17 अगस्त, 1974 का आदेश संख्या वो सो टो/एस आर/44/74

(46) श्रो प्रमोदकुमार प्राणजोवनदास, सूरत के मामले में दिनांक 17 अगस्त, 1974 का आदेश संख्या वो सो टो/एस आर/42/74

(47) मितसूई मिल्स, बम्बई के मामले में दिनांक 21 अगस्त 1974 का आदेश संख्या वो सो टो/एस आर/361/74

(48) श्री दहियागोर मनोगोर गोसाई, वन्कनेडा, के मामले में दिनांक 11 सितम्बर, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर/47/74

(49) श्रीमती मोटनबेन ईश्वरलाल गांधी, सूरत के मामले में दिनांक 11 सितम्बर, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर/45/74

(50) श्री राम इन्डस्ट्रीयल कोओपरेटिव सर्विसेस सोसायटी, लिमिटेड, सूरत के मामले में दिनांक 12 सितम्बर, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर/58/74

(51) सार्वजनिक एज्यूकेशन सोसाइटी, सूरत के मामले में दिनांक 19 अक्तूबर, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर/76/74

(52) एशपी अग्री इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, अन्तालिया, तालुका गान्देवी के मामले में दिनांक 31 अगस्त, 1974 का आदेश संख्या सी एच/वी सी टी/एस आर/374

(53) श्री निलेश कुमार कनकसिंह सोलंकी के मामले में दिनांक 4 अगस्त, 1974 का आदेश संख्या टी एन सी/वी सी टी/एस आर/257/डब्ल्यू एस/8/336

(54) श्री गोरधनभाई अम्बालाल पटेल, चिखोदरा के मामले में दिनांक 12 अगस्त, 1974 का आदेश संख्या टी एन सी/ वी सी टी/ एस आर/268/डब्ल्यू एस/8423

(55) विनोदभाई रावजीभाई पटेल, वल्लभ विद्यानगर, तालुका आनन्द के मामले में दिनांक 14 अगस्त, 1974 का आदेश संख्या टी एन सी/वी सी टी/एस आर/267/डब्ल्यू एस/8421

(56) मनीभाई रायजीभाई, एवं अन्यों शेखडी, तालुका पटेलाड के मामले में दिनांक 16 अगस्त, 1974 का आदेश संख्या टी एन सी/वी सी टी/एस आर/269/डब्ल्यू एस/8539

(57) चास्तर विद्यामण्डल, वल्लभ विद्यानगर के मामले में दिनांक 16 अगस्त, 1974 का आदेश संख्या टी एन सी/वी सी टी/एस आर/70/डब्ल्यू एस/8448

(58) केटी प्राइवेट लिमिटेड, आनन्द के मामले में दिनांक 19 अगस्त, 1974 का आदेश संख्या टी एन सी/वी सी टी/एस आर/299

(59) साबरमती आश्रम गौशाला ट्रस्ट, बिड़ज के मामले में दिनांक 20 अगस्त, 1974 का आदेश संख्या टी एन सी/वी सी टी/एस आर/280/डब्ल्यू एस/8566

(60) मगनभाई बुद्धाभाई, चकलाशी पाटी नाडियाड के मामले में दिनांक 20 अगस्त, 1974 का आदेश संख्या टी एन सी/वी सी टी/एस आर/282/डब्ल्य एस/8582

(61) रामनलाल अमृतलाल पटेल, कम्बे के मामले में दिनांक 20 अगस्त, 1974 का आदेश संख्या टी एन सी/वी सी टी/एस आर/58/6040

(62) ओटीम्भी दाह्याभाई सोलंकी एवं अन्यों केरियावी, तालुका नडियाड के मामले में दिनांक 26 सितम्बर, 1974 का आदेश संख्या टी एन सी/वी सी टी/एस आर/258/डब्ल्यू एस/8482

(63) उत्तरसंदा के श्री मनीभाई बाचरभाई के मामले में दिनांक 3 अक्तूबर, 1974 का आदेश संख्या टी एन सी/वी सी टी/एस आर/197/डब्ल्यू एस/9077

[श्री दलबीर सिंह]

(64) रावजोभाई आशाभाई पटेल, दभान, तालुका नडियाड के मामले में 24 अक्तूबर, 1974 का आदेश संख्या टी एन सी/वी सी टी/एस आर/131/डब्ल्यू एस/9233

(65) दाह्याभाई भेलालभाई के मामले में दिनांक 24 अक्तूबर, 1974 का आदेश संख्या टी एन सी/ वी सी टी/एस आर/219/डब्ल्यू एस/9239

(66) राजाभाई मारगभाई शाह, जामनगर के मामले में दिनांक 14 अक्तूबर, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/आर/8/71(3)

(67) वल्लभकृपा इन्डस्ट्रीज, वेरावल, जिला जूनागढ़ के मामले में दिनांक 23 सितम्बर, 1974 का आदेश संख्या लेंड (2) (सी) 3000

(68) जे० के० एक्सपोर्ट इन्डस्ट्रीज, जूनागढ के मामले में दिनांक 5 अक्तूबर, 1974 का आदेश संख्या लेंड(2)-(सी) 3866

(69) मेसर्स पेटीदार आयल केक इंडस्ट्रीज, ढेराजी के मामले में दिनांक 21 अगस्त, 1974 का आदेश संख्या खाली भूमि मामला संख्या 23

(70) श्रीमती जयाबेन नर्नभाई पटेल, उपलेता के मामले में दिनांक 31 अगस्त, 1974 का आदेश संख्या खाली भूमि मामला संख्या 42

(71) मैसर्स मारुति अब्रेसिव इंडस्ट्रिज, उपलेता के मामले में दिनांक 26 सितम्बर, 1974 का आदेश संख्या खाली भूमि मामला संख्या 43

(72) भागोदय काटन जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्ट्री, धारंगधर, जिला सुरेन्द्र नगर के मामले में दिनांक 22 अगस्त, 1974 का आदेश संख्या एल एन डी/1/डब्ल्यू एस/2179/74

(73) मैसर्स वेलनोन इजीनियरिंग एण्ड फाउन्ड्री, सुरेन्द्रनगर, के मामले में दिनांक 7 अक्तूबर, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/ डब्ल्यू/3438

(74) भागोदय सिरेमिक इन्डस्ट्रिज, सुरेन्द्रनगर के मामले में दिनांक 16 अक्तूबर, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/डब्ल्यू/3439

(75) कुंभार राघवभाई जेठाभाई, बेताड के मामले में दिनांक 19 अक्तूबर, 1974 का आदेश संख्या जामिन 1-2777-74

(76) श्री नरोत्तमभाई कल्याणजी ठाकर एवं अन्यों के मामले में दिनांक 27 अगस्त, 1974 का आदेश संख्या बीकेपी-वीसीटी-281/74

(77) भानु इन्डस्ट्रीज बड़ोच के मामले में दिनांक 26 अगस्त, 1974 का आदेश संख्या भूमि/वीसीटी/3405

(78) श्री भूपेन्द्र शानाभाई, उबेर, तालुका जम्बुसार जिला बड़ौच के मामले में दिनांक 6 सितम्बर, 1974 का आदेश संख्या भूमि वीसीटी/5096

(79) एग्रो अलायज मैन्यूफेक्चरिंग कम्पनी, मेहसाना के मामले में दिनांक 8 अगस्त, 1974 का आदेश संख्या लेंड एन ए/डब्ल्यू एस/1211

(80) मणीलाल नथालाल पटेल एवं अन्यों ऊंजा तालुका सिद्धपुर के मामले में दिनांक 20 अगस्त, 1974 का आदेश संख्या एल एन डी/एन ए/2410

(81) सरस्वती सहकार कारपोरेशन के मामले में दिनांक 21 अगस्त, 1974 की आदेश संख्या एल एन डी/एन ए/डब्ल्यू/2372

(82) मेहसाना तालुका कोओपरेटोव काटन सेल्स जिनिंग और प्रेसिंग सोसाइटी, मेहसाना के मामले में दिनांक 6 सितम्बर, 1974 का आदेश संख्या एल एन डी/एन ए/डब्ल्यू एस-2940

(83) गजानन इन्जीनियरिंग वर्क्स एण्ड गजानन टयूबवेल कम्पनी, ऊंजा, तालुका सिद्धपुर के मामले में दिनांक 6 सितम्बर, 1974 का आदेश संख्या एल एन डी/एन ए/1153

(84) श्री मोहनभाई रायचन्द भाई एवं अन्यों के मामले में दिनांक 17 सितम्बर, 1974 का आदेश संख्या एल एन डी/एन ए/डब्ल्यू एस/2666

(85) श्री त्रिभुवनदास द्वारकादास एवं अन्यों के मामले में दिनांक 28 सितम्बर, 1974 का आदेश संख्या एल एन डी/एन ए/डब्ल्यू एस/2985

(दो) उपर्युक्त आदेशों को (एक) सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब तथा (दो) उनके हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 8671/74]

मंत्री द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

Personal explanation by Minister

बिना विभाग के मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) अध्यक्ष महोदय :

Shri Madhu Limaye (Banka) : The Hon. Minister can give clarification only on the allegations levelled against him. I said that he took the money for the Congress party. He should not take this allegation on his own person. I have not levelled any personal charge against him.

श्री उमाशंकर दीक्षित : श्री मधु लिमये द्वारा 2 दिसम्बर, 1974 को इस सदन में मुझ पर लगाये गये आरोप सर्वथा निराधार और गलत हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन से कुछ रुपया मांगा और यह कि मैंने श्रीमती बजोरिया से अनुरोध किया था कि बी० आई० सी० के श्री० पी०सी० जैन ने कांग्रेस नेता को 10 लाख रुपये का काला धन दिया था और इस भुगतान के बदले में मैंने ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के कुछ अधिकारियों की सेवा काल में और वृद्धि करने के प्रश्न पर भारत सरकार से अपना रवैया नरम करने के लिए सरकार पर प्रभाव डाला।

यह बात बिलकुल झूठ है कि मैंने किसी हैसियत से बी० आई० सी० के चेअरमन अथवा श्रीमती बजोरिया से किसी प्रकार के दान के लिए कभी संबंध स्थापित किया या मेरे अनुरोध पर कुछ धन दिया गया 'मैंने कभी किसी स्थिति में बी० आई० सी० के सेवा अधिकारियों की सेवा अवधि के बारे में सरकार की नीति पर अपना प्रभाव डालने का प्रयास नहीं किया है। अतः यह आरोप बिलकुल गलत और निराधार है।

Shri Madhu Limaye*

* * *

श्री प्रियरंजनदास मुंशी (कलकत्ता - दक्षिण): *

* * *

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल लिया गया ।

**Expunged as ordered by the Chair.

8—42 L.S.S (DN)/74

उपाध्यक्ष महोदय : नियमानुसार व्यक्तगित स्पष्टीकरण के बाद कोई भी चर्चा नहीं होगी अत: इसके बाद जो कुछ भी कहा जायेगा कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गौहाती) **:** किसी मंत्री अथवा सदस्य के विरुद्ध आयोग लगाते हुए कीचड़ उछाला जाता है और उनके स्पष्टीकरण किये जाने के बावजूद भी देश भर में कुछ ऐसी धारणा बन जाती है कि उन्होंने अवश्य कुछ किया है। इसमें कोई संदेह नहीं क सदस्य को आरोप लगाने के अधिकार है, लेकिन वे ठोस होने चाहियें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप चर्चा किये जा रहे हैं और मैंने कहा है कि कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा ।

श्री मधु लिमये ** :

श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी* : * *

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नही किया जायेगी ।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी)*** :** * *

उपाध्यक्ष महोदय : मै व्यवस्था के प्रश्न पर विचार कर रहा हूं। आप सब बैठ जायें। में इसके बारे में बताऊंगा . .

श्री पी० के० देव : * *

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहते है कि मैं सभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाऊं, तो आपको मेरी बात सुननी चाहिये।

व्यक्तिगत स्पष्टोकरण के बारे में मैं सारी बातें कह चुका हूँ। अब श्री गोस्वामी मेरा मार्गदर्शन चाहते हैं . . . (**व्यवधान**)

अब हम अगले विषय पर चर्चा करते है ।

श्री आर० एन० गोयन्का (विदिशा) : मैं नियम 357 के अन्तर्गत व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता था ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गोयन्का ने व्यक्तिगन स्पष्टीकरण के लिये अध्यक्ष महोदय से जो लिखित रूप में अनुरोध किया है, वे उस पर विचार कर रहे हैं और विचार किये जाने के बाद वे उन्हें अपना निणय बता देंगे ।

श्री मधु लिमये : कल श्री प्रियरंजन दास मुंशी ने श्री आर० एन० गोयन्का के विरुद्ध जो टिप्पणियां की थी, उन्हें कार्यवाही वृत्तात से निकाल दिया गया था (**व्यवधान**)। फिर भी आकाशवाणी ने तत्सम्बन्धी समाचार प्रसारित किये। आज भी आपने कुछ टिप्पणियां कायवाही वृतान्त से निकाली हैं। क्या मैं भी इनका प्रचार कर सकता हूं ?

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।

**Expunged as ordered by the Chiair.

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : मैं श्री मधु लिमये का पूरा समर्थन करता हूं। भविष्य में जो भी माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय की अनुमति बिना बोले, उसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल न किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये ने श्री गोयन्का सम्बन्धी टिप्पणियों को कार्यवाही वृतान्त से निकालने के बारे में जो कुछ कहा है, उसको मुझे कोई जानकारी नहीं है **(व्यवधान)** यदि ये टिप्पणियां कार्यवाही वृतान्त से निकाली गयी और प्रकाशित हुई, तो सचमुच यह विशेषाधिकार उल्लंघन का एक स्पष्ट मामला है।

श्री आर० एन० गोयन्का : मैं आपके इस निर्णय से प्रसन्न हूं कि कार्यवाही वृतान्त से निकाली गयी टिप्पणियों यदि प्रकाशित हुई हैं, तो यह एक विशेषाधिकार उल्लंघन का मामला है। . . . **(व्यवधान)**

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : कुछ टिप्पणियां को कार्यवाही वृतान्त से निकालने की प्रणाली काफी समय से चल रही है और मेरे विचार में यह एक खतरनाक तथा असंसदीय प्रणाली है। जो शब्द असंसदीय है, उन्हें कार्यवाही वृतान्त से निकाला जा सकता है। यदि माननीय सदस्यों ने कुछ भद्दी बातें की हैं, तो इतिहास उसका निर्णय करें। हम स्वयं इसका निर्णय करने क्यों बैठ जायें।

श्री समर गुह (कंटाई) : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप कोई इस प्रकार का स्पष्ट निर्णय देने जा रहे हैं कि अध्यक्षपीठ के निर्णय तक कार्यवाही वृतान्त से निकाली गयी अथवा न निकाली गयी टिप्पणियों समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं हो सकती और न ही आकाशवाणी से प्रसारित हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मोदी ने अध्यक्ष महोदय के कार्यवाही वृतान्त से बाहर निकालने सम्बन्धी अधिकार का विरोध किया है। मैं इस बात से सहमत हूं कि कार्यवाही वृतान्त से निकालने के अधिकारों का उसी दशा में उपयोग करना चाहिये जब कोई अन्य उपाय न हो।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर): उसमें से कुछ को कार्यवाही वृत्तांत में ले लिया गया था और कुछ को छोड़ दिया गया था। उसे कार्यवाही वृत्तांत से नहीं निकाला गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : वैयक्तिक स्पष्टीकरण के बारे में नियम यह है कि उस बारे में वाद विवाद न किया जाये। परन्तु जैसे ही श्री उमाशंकर दीक्षित ने अपनी बात समाप्त की, तैसे ही कुछ कटु शब्द एक दूसरे के प्रति कहे गये। ऐसे शब्दों के बारे में यह विनिर्णय दिया गया था कि कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायगा। जहां तक आपकी बात है, मुझे मालूम नहीं कि वे टिप्पणियां कार्यवाही वृत्तांत से आदेशानुसार निकाली गयी थी अथवा नहीं। यह तो रिकार्ड से पता लग जायेगा। यदि अध्यक्ष के इस आदेश के बावजूद, कि कुछ भी कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जायेगा कार्यवाही का ऐसा अंश समाचारपत्रों, आकाशवाणी या दूरदर्शन आदि जनसम्पर्क के किसी भी साधन द्वारा प्रसारित किया गया है तो वह विशेषाधिकार का मामला बन जाता है। किन्तु मुझे मालूम नहीं है कि उसके कार्यवाही में सम्मिलित किये जाने के आदेश दिये गये थे अथवा नहीं।

(व्यवधान)

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : क्या आपने उनकी बात सुनी है ? उन्होंने कहा है कि . . .*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

*Expunged as ordered by the Chair.

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

श्री समर गुह : संसदीय कार्य मंत्री को अपने दल के सदस्यों पर नियंत्रण रखना चाहिए । क्या इस प्रकार की गाली गलौच पूर्ण टिप्पणियां चलती रहेंगी ? कठोर शब्दों या कटु आलोचना की बात तो समझ आती है किन्तु अपशब्द नहीं ।

श्री के० रघुरामैया : उसने आपकी टिप्पणी का जवाब दिया है । मेरा उल्लेख कैसे किया जा रहा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री गुह द्वारा उठाये गये प्रश्नों पर विनिर्णय देने जा रहा था कि इसी बीच एक दूसरे के लिए अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा । यह बड़े ही दुख की बात है और ऐसे शब्द कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे ।

श्री आर० एन० गोयन्का : क्या आप किसी सदस्य को इस प्रकार से पुकार सकते हैं । मुझे इस पर घोर आपत्ति है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह अच्छा होगा यदि आप तब तक धैर्य रखें जब तक कि अध्यक्ष महोदय आप को वैयक्तिक स्पष्टीकरण के लिए अवसर दें ।

आन्तरिक सुरक्षा बनायें रखना (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारें में सांविधिक संकल्प

तथा

आन्तरिक सुरक्षा बनायें रखना अधिनियम के अधीन नजरबन्दी आदेशों के संबंध में किसी न्यायालय में जानें के नागरिक अधिकारों के निलम्बन सम्बन्धी राष्ट्रपति के आदेश के निरनुमोदन के बारें में प्रस्ताव

तथा

विदेंशी मूद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधी निवारण विधेंयक

Statutory Resolution re: Dis approval of Maintenance of Internal Security (Amendment) Ordiance

and

Motion re: Dis approval of Presidential Order suspending Citizens right to move a court against detention under MISA

ana

Conserration of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Bill.

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : मैं कल कह रहा था कि तस्करी ने भीषण रूप धारण कर लिया है । कौल समिति के अनुसार देश में प्रतिवर्ष 160 से 170 करोड़ रुपये की अवैध विदेशी मुद्रा की खपत हो रही है । यह बड़ी ही चिंताजनक बात है कि तस्करों ने बम्बई में कालबा देवी में अपना एक समानान्तर रिजर्व बैंक स्थापित कर रखा है जिसकी पंजी 1,500 करोड़ रुपये है ।

तस्करी से होने वाली विदेशी मुद्रा की हानि को रोकने , इस कार्य में लगे समाज विरोधी तत्वों का सफाया करने और साधारण जनता को तस्करों के चंगुल से बचाने हेतु यह उचित समय है कि सरकार इस बारे में एक विधेयक लायी है । इस विधेयक को सभा का एकमत से समर्थन मिलना चाहिए । तस्करी आज देश की अर्थव्यवस्था के लिए अभिशाप है और इसी की वजह से देश में काला धन परिचलन में है और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है ।

तस्करी एक सामाजिक आर्थिक अपराध है और इसके अपराधियों को कठोर से कठोर दंड इसी प्रकार से मिलना चाहिए जिस प्रकार से दंड अन्य अपराध करने वालों को दिया जाता है। आज तस्कर विद्यमान कानूनों के दोषों के कारण छूट निकलते हैं। अतः कानूनों को सख्त बनाया जाना चाहिए। तस्करी जैसी गतिविधियों में लगे लोगों को उसी प्रकार का दंड दिया जाना चाहिए जिस प्रकार का दंड भारत की सुरक्षा को खतरा पैदा करने वालों को दिया जाता है। इसे सातवीं अनुसूची की प्रथम सूची की मदसंख्या 9 के समकक्ष रखा जाना चाहिए। जहां तक मौलिक अधिकारों के उपलब्ध होने का सवाल है, वे ईमानदार और अच्छे नागरिकों को उपलब्ध होने चाहिएं, घृणित अपराध करने वालों को नहीं। मौलिक अधिकारों की आड़ में तस्करों के प्रति दया नहीं की जानी चाहिए।

अतः मैं सभा के सभी सदस्यों से अपील करता हूं कि वे राजनीतिक विवादों से ऊपर उठकर इस विधेयक को पूर्ण समर्थन दें।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : कल यह तय किया गया था कि इसकी चर्चा के लिए 5 घंटे का समय होगा। अब पांच घंटे समाप्त हो गये हैं। अब आप मंत्री को कब अवसर देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : अभी कुछ सदस्य ऐसे हैं जिन्हें बोलने का अवसर नहीं मिला है। उन्हें भी अवसर मिलना चाहिए। अब, पहले भारतीय लोक दल के सदस्य श्री जनेश्वर मिश्र अपने विचार व्यक्त करेंगे। फिर अन्ना द्रविड मुनेत्र कषगम के श्री सोमसुन्दरम को अवसर मिलेगा। मैं चाहता हूं कि जिन दलों के सदस्य बोल चुके हैं वे दुबारा समय न लें।

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad) : Mr. Deputy Speaker, Sir, the ruling party and its ally the Communist party, both were attributing the failure of economy and abnormal increase in the prices to the blackmarketeers, hoarders, smugglers and to opposite political parties. But Government, in spite of demand from Opposition Members like Shri George Fernandes, never took action against smugglers, hoarders and black marketeers. I am in favour of stern action being taken against the Smugglers. But what is the guarantee that the provision of this Bill will not be used against the Opposition Members? While enacting the Preventive Detention Act and the Maintenance of Internal Security Act, the Government gave assurances to the House to the effect that the measures would not be used against political opponents. But those solemn assurances were never fulfilled. Today, more political leaders than smugglers are detained under MISA. I am sure that this Bill also will be used against Political opponents in the name of Smugglers.

It is the duty of the opposition to point out the truth and reality and this is the reason that they interrupt the ruling party.Ruling Party should allow the opposition to play its role. But the amendment to the MISA brought forward in the House by the ruling Party is a clear step towards dictatorship. The ruling party wants to wipe out the opposition and this cannot to tolerated. Now, the MISA is not used against economic offenders alone. It is the sweet will of Government to decide against whom it is to be used and against whom it is not to be used. It is sheer injustice I have information that some of the shareholders of Maruti Limited, a concern being run by a son of the Prime Minister, are associated with the activities of smuggling. But nobody will dare to investigate into the matter. One notorious Smuggler Haji Kooli Mastan claimed before this arrest that he gave a Sum of Rs. 3 crores to the ruling party for last elections—elections for Lok Sabha. By bringing this Bill, the ruling party has closed the door of courts for Smugglers and also saved political leaders from being disclosed in the courts for taking donations from these smugglers.

My apprehension is that this Bill will not be used against the economic offendres, if they give donations to the ruling party, but it will be used against us who are political opponents of the ruling party, because it wants to suppress us in the name of eliminating smuggling. I am against the Bill and want that it shoud not be passed. On the other hand, I support the Resolution for disapproval of the ordinance moved by Shri Vajpayee.

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : उपाध्यक्ष महोदय, सभा में एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण विषय पर विचार किया जा रहा है जिसका सीधा सम्बन्ध तस्करी और विदेशी मुद्रा के संरक्षण से है। मुझे विश्वास है कि सभा का कोई भी सदस्य यह नहीं चाहता कि देश में तस्करी और विदेशी मुद्रा का घोटाला चलता रहे। अतः इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाने के उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है। विचार करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रभावी कदम उठाने के लिए निवारक नजरबंदी की व्यवस्था इस सम्बन्ध में करना अनिवार्य है। तस्करी आदि करने वाले व्यक्ति प्रायः स्वयं यह कार्य नहीं करते और व प्रत्यक्ष साक्ष्य के आधार पर कानून के गिरफ्त से बाहर रह जाते हैं। इस धंधे से सम्बधित प्रमुख व्यक्तियों के विरुद्ध परिस्थिति-साक्ष्य ही उपलब्ध हो सकता है। दूसरी बात यह है कि ये लोग तस्करी से कमाये धन को ईमानदारी के कार्यों में लगा देते हैं और समाज में सम्मानित व्यक्तियों की श्रेणी में पहुंच जाते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग उन्हें ईमानदार और प्रतिष्ठित व्यक्ति मानने लग जाते है। (**व्यवधान**)

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : श्री बीजू पटनायक के नाम से उन्होंने हमारे दल का धन ले लिया है . . . (**व्यवधान**)

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad) : On the point of order Sir, He can not mention the name of a person who is not present in the House for defending himself without prior notice.

श्री पीलू मोदी : जो धनराशि श्री बीजू पटनायक से प्राप्त की गई है वह भारतीय लोक दल की है अतः वह वापस की जानी चाहिये।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : उन्होंने एक पत्र लिखा है और मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। मैं यह कहना चाहता था कि विशिष्ट-मामलों में अन्तर्ग्रस्त करने के लिय प्रत्यक्ष साक्ष्य प्राप्त करना सम्भव नहीं होता हालांकि हमारे पास परोक्ष रूप से प्राप्त सूचना है कि वे इन गिरोहों को चलाने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं। अतः निवारक नजरबन्दी का तरीका अपनाया जा सकता था। यह दंड नहीं है, इसका प्रयोग इसलिये किया जाता है कि ऐसे लोग अपनी कुछ ऐसी गतिविधियां जारी न रख सके जो देश को नुकसान पहुंचाने वाली हैं। यदि किसी मामले में प्रत्यक्ष साक्ष्य मिल जाये तो उसका सीधा तरीका सम्बन्धित व्यक्ति पर मुकदमा चला कर उसे दंड दिलाना है। परन्तु संविधान में निवारक नजरबन्दी की भी व्यवस्था है और हम इन्हीं उपबन्धों के अधीन इन व्यक्तियों को गिरफ़तार करते रहे हैं ताकि वे इन गतिविधियों में भाग न ले सकें। हम इस विषय पर 4–5 दिन से चर्चा कर रहे हैं। यदि हम इन लोगों को पहले से बता देते जिनके पास छिपने के कई तरीके हैं तो क्या इतने लोगों को गिरफ़तार किया जाना सम्भव था? इसलिये यह काम बिना पूर्व सूचना दिये ही करना था और यह काम अध्यादेश जारी करके ही किया जा सकता था। यही हम ने किया है। यदि इस प्रयोजन के लिये नियमित रूप से कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता तो उसपर कई दिनों तक चर्चा होती रहती तो हम इस प्रकार की कारगर कार्यवाही न कर सकते।

कुछ व्यक्ति न्यायालय में, विशेषकर उच्च न्यायालय में गये हैं। अब तक राजनीतिक नजरबन्दियों के मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाये जाते थे। परन्तु हम तस्करी के मामले के बारे में बात कर रहे हैं। तस्करी की गतिविधियों और विदेशी मुद्रा की गतिविधियों में भाग लेने वाले व्यक्तियों के लिये अलग सिद्धान्त अपनाने होंगे। दुर्भाग्य की बात यह है कि उच्च न्यायालयों की उन्हीं विनिर्णयों का अनुसरण करना था जो वहां पहले से थे। अतः हमने धारा 359 का लाभ उठा कर आपात स्थिति के दौरान कम से कम 6 महीने के लिये वह शक्ति प्राप्त करनी चाही है जिससे उन्हें न्यायालयों में जाने से रोका जा सके। इसी विचार से राष्ट्रपति का आदेश जारी किया गया था। यदि कोई माननीय सदस्य सिद्ध कर दे कि तस्करों के लिये जारी किये गये इस अध्यादेश का उपयोग राजनीतिक प्रयोजनों के लिये किया गया है तो मैं क्षमाप्रार्थी हूं। अब तक हमें ऐसे किसी भी मामले की जानकारी नहीं दी गई कि इसका उपयोग राजनीतिक दृष्टि से किया गया है।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी (कलकत्ता दक्षिण) : यह आरोप लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक विरोधियों को आंतरिक सुरक्षा सम्बन्धी कानून के अधीन दो-तीन वर्षों से बन्द किया हुआ है। मैं चाहता हूं कि वे लोग ऐसे व्यक्तियों के नामों की ज़िलेवार सूचियां दें जो उक्त कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये हैं, मैं उनको रिहा करवा दूंगा **(व्यवधान)**

श्री नुरुल हुडा (कछार) : वह रिहा करवाने वाले कौन हैं . . . **(व्यवधान)**

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : 145 व्यक्ति नज़रबन्द हैं। क्या वह प्रधान मंत्री हैं . . . **(व्यवधान)**

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : हम आंतरिक सुरक्षा सम्बन्धी कानून की नहीं बल्कि इस विशिष्ट अध्यादेश और विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। यह विधेयक विशेष रूप से तस्करों और विदेशी मुद्रा का घोटाला करने वालों के सम्बन्ध में है। यदि इस व्यवस्था का दुरूपयोग किया गया हो तो मैं उसकी जांच करने के लिये तैयार हूं। मैं इतना कह सकता हूं कि ये लोग किसी भी राजनीतिक दल से सम्बन्धित नहीं हैं। वह ऐसे ग्रुप से सम्बन्धित हैं जो अवैध कार्य करने में लगा हुआ है। अतः इन दो मामलों को मिलाया नहीं जाना चाहिये। जो व्यक्ति आंतरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी कानून के अधीन राजनीतिक नज़रबन्दी के रूप में गिरफ्तार किये गये हैं व बिलकुल भिन्न हैं। यह कार्यवाही दंड देने के लिये नहीं बल्कि उपरोक्त गतिविधियों में भाग लेने से रोकने के लिये की जा रही है। 500–600 व्यक्ति जेल में हैं। सम्भव है कि कुछ व्यक्ति अभी न पकड़े गये हों। परन्तु जहां तक तस्करी की गतिविधियों का सम्बन्ध है हम कह सकते है कि उनकी कमर टूट गई है। मुझे विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि जहां से तस्करी का माल आता था वहां पर करोडों रुपयों की वस्तुएं इकट्ठी हो गई है और उनको अब कोई नहीं पूछता।

यह ठीक है कि इस कार्यवाही से तस्करी की गतिविधियां एकदम समाप्त नहीं होंगी। यह एक पहला कदम है। इन गतिविधियों को रोकने के लिये हमें अनेक अन्य कदम उठाने होंगे। इसी विचार से हम द्रुतगामी नावें खरीद रहेहैं ताकि भारत में चोरी छिपे वस्तुएं लाने वाली नावों को पकड़ा जा सके। वर्तमान दो नावों से हम ने कुछ ऐसी नावों को पकड़ा है और उनमें से लगभग एक करोड़ रुपये के मूल्य की वस्तुएं बरामद की हैं। आशा है कि मार्च के अन्त तक इन द्रुतगामी नावों की संख्या 20 तक पहुंच जायेगी और एक या दो वर्षों में सैंकड़ों का बेड़ा हो जायेगा। . . . **(व्यवधान)** . . . कुछ प्रमुख व्यक्तियों को नज़रबन्द करने से तस्करी की गतिविधियां रुक नहीं जायेगी। हमें इस प्रयोजन के लिये कुछ निवारक उपाय भी करने होंगे।

हमने आर्थिक क्षेत्र में कुछ कार्यवाही की है। हमने पता लगाया है कि किन आम वस्तुओं को भारत में चोरी छिपे लाया जाता है। एक ऐसी वस्तु घड़ी है। हमें घड़ियां बनाने के लिये अनेक व्यक्तियों को लाइसेंस देने होंगे ताकि देश में पर्याप्त घड़ियां उपलब्ध हों।

निःसंदेह विरोधी पक्ष को भी कुछ ज़िम्मेदारी निभानी है। परन्तु इस अधिनियम की क्रियान्विति के बारे में सरकार की नियत पर शक करना उचित नहीं है। मैं उनको आश्वासन देता हूं कि हम इसको गम्भीरतापूर्वक क्रियान्वित करेंगे ताकि अवैध गतिविधियों को रोका जा सके। मैं इस बात का भी आश्वासन देता हूं कि इसका प्रयोग राजनीतिक प्रयोजनों के लिये नहीं किया जायेगा। जहां तक तस्करी का सम्बन्ध है, हमें कडी से कड़ी कार्यवाही करनी पड़ेगी। हम तस्करों के विरुद्ध अधिक से अधिक पुलिस का प्रयोग करेंगे ताकि उनको कुचला जा सके . . **(व्यवधान)** . . इसमें किसी दल को बदनाम करने की कोई बात नहीं है। यह तो कानून को कारगर ढंग से लागू करने की बात है ताकि तस्करी की गतिविधियां रोकी जा सकें। मुझे विश्वास है कि विरोधी पक्ष भी इससे सहमत होगा।

श्री समर गुह (कंटाई) : भूतपूर्व राज्यपाल कानूनगों के बारे में क्या विचार है?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : यदि उनकी गतिविधि यां ऐसी हुई तो उनपर भी इस कानून के अधीन कार्यवाही की जायगी। निःसंदेह उनका नाम एक मामले में आज से पांच वर्ष पहले आया था परन्तु उन्हें अब नज़रबन्द नहीं किया जा सकता। जब तक कोई व्यक्ति नियमित तस्कर न हो उसे आंतरिक सुरक्षा कानुन के अधीन गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों को शक है कि इसका प्रयोग छुटपुट मामलों में किया जा सकता है। हमने इस कानून में लिखा है "इस गतिविधि में लगा हुआ" अतः किसी व्यक्ति को ऐसी कोई शंका नही हो चाहिये यदि कोई व्यक्ति तस्कर या विदेशी मुद्रा का घोटाला करने वाला नहीं है तो उसे इस से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है।

कुछ विशिष्ट मामलों का भी उल्लेख किया गया है जिन में श्री हरि वल्लभ टंडेल का नाम लिया गया था। वह गोआ विधान सभा में एक कांग्रेसी सदस्य हैं। उनकी पत्नी और श्री एस० एन० बखिया की पत्नी बहनें हैं। इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली कि इस व्यक्ति का तस्करी के काम में कोई हाथ है। यदि माननीय सदस्य का सुझाव यह हो कि तस्कर के सभी सम्बन्धियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिये तो वह सम्भव नहीं होगा। यदि उनके विरुद्ध कोई विशिष्ट मामला बनता हो तो हमें उनके विरुद्ध कार्यवाही करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। इसी प्रकार प्रेमभाई टंडेल का नाम लिया गया है। इनका भाई जग टंडेल बाखिया का प्रमुख कार्यकर्ता है परन्तु इसी कारण से प्रेमभाई टंडेल को तस्कर नहीं करार दिया जा सकता। यदि उनके बारे में कुछ और जानकारी दी जाये तो हम विचार करेंगे कि उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा सकती है। फिर श्री मोदी के मामले का भी उल्लेख किया गया है। एक अन्य सदस्य ने कहा है कि वह एक जाली दस्तावेज़ हैं। अतः इस मामले की छानबीन करनी पड़ेगी और उसके बाद ही कोई कार्यवाही की जा सकेगी।

यह बताया गया है कि श्री गोखले ने अपने चुनाव में काम करने वाले किसी व्यक्ति विशेष को कोई प्रमाण-पत्र दिया था। निश्चय ही श्री गोखले यह नहीं जानते थे। कि वह व्यक्ति तस्कर हैं। जब कुछ लोग किसी के चुनाव के लिये काम करते हैं तो वे प्रमाणपत्र प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। श्री गोखले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और वकील भी रहे हैं। वह किसी तस्कर को प्रमाण-पत्र नहीं दे सकते। अतः यह बात सिद्ध नहीं होती (**व्यवधान**) श्री एस० के० पाटिल के नाम का भी उल्लेख किया गया है कि उन्होंने एक तस्कर को टेलीफोन कनेक्शन देने की सिफारिश की थी। उन्होंने अपने पत्र में लिखा था जो इस सभा में पढ़ा गया था कि 'बहुत लोग आते हैं और मैं प्रमाण-पत्र देता हूं। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं उनके साथ सम्बद्ध हूं।'

श्री श्यामनन्दन मिश्र : उन्हें श्री गोखले द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र के बारे में बताना चाहिये।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मुझे श्री एस० के० पाटिल के मामले को भी उचित ढंग से निपटाना चाहिये।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : लेकिन श्री गोखले ने यह प्रमाणपत्र दिया है कि वह एक निष्ठावान व्यक्ति हैं। वह एक सामाजिक तथा सच्चा कार्यकर्ता है।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : 'वह एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं' यह अलग बात है। श्री पाटिल ने भी इस बात से इंकार किया था कि उन्हें मस्तान के बारे में ऐसी कोई निजी जानकारी थी। 'यदि किसी कार्यकर्ता ने उनके मामले की सिफारिश की तो उन्होने प्रमाण पत्र जारी कर दिया'। आशा है श्री मिश्र मेरे स्पष्टीकरण से संतुष्ट होंगे।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : कृपया उनके शब्दों को उद्धृत करें।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : श्री पाटिल ने लोकसभा में 17 मार्च, 1970 को निम्नलिखित वक्तव्य दिया था :—

"मैं तस्कर का नाम नहीं जानता और ना ही मैंने अपने जीवन में उसकी कभी फोटो ही देखी है . . ."

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। एक श्री एस० के० पाटिल थे जिन्होंने सभा में वक्तव्य दिया और दूसरे श्री एच० आर० गोखले हैं जो सभा में वक्तव्य देने से घबराते हैं।

यहां वह व्यक्ति है जिसने उसे चरित्र प्रमाणपत्र दिया है और उसने उससे बहुत अधिक धनराशि वसूल की है। इन सब लोगों ने बहुत अधिक धनराशि एकत्र की है और वे ये लोग तस्करों के धन से अपने दल को चला रहे हैं।

श्री दरबारा सिंह (होशियारपुर) : यह बात बिलकुल गलत है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : आप लाइसेंस और अन्य चीजें बेच सकते हैं. . .**(व्यवधान)** . . .श्री गोखले अपने बचाव में कुछ क्यों नहीं कहते ? श्री गोखले सामने आयें और इस बारे में वक्तव्य दें।

Shri Madhu Limaye (Banka) : On a point of Order, Sir, Let Shri H. R. Gokhale defend himself. The allegation is against him. It is not against Shri Subramaniam. It is against Shri H. R. Gokhale as an individual, who was a candidate in Bombay. The Smugglers have helped the Congress in every Constituency.

उपाध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय उत्तर देना चाहते हैं तो ठीक है। यदि वह ऐसा नहीं करना चाहते तो इस मामले में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

Shri Madhu Limaye : Please do not give such a fantastic ruling. If a point of order is bogus, the Chair can rule that out instantly after hearing.

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में कोई माननीय सदस्य बोलता है, और हो सकता है कि आप उसके भाषण को पसन्द न करते हों। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता। यह कहना बहुत कठिन है कि वह कहां तक असंगत है और कहां तक संगत है।

श्री मधु लिमये : आपने स्वयं ही हस्तक्षेप किया था और पूछा था कि यह कैसे तत्संगत है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता। जब कोई सदस्य बोलता है तो मैं उसे सुनता हूं लेकिन जब अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगते हैं तो मेरे लिये सुनना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन इस मामले में आपने प्रश्न उठाया है और सदस्य ने उसे स्वीकार कर लिया है। अतः यह युक्ति-संगत है। अब यह बात इस पर निर्भर करती है कि वह इस आरोप का खंडन करें अथवा नहीं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यदि कोई माननीय सदस्य अपने भाषण के दौरान कुछ असंसदीय शब्द कहते हैं तो . . .

अध्यक्ष महोदय : यह भिन्न मामला है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : अतः आप इस प्रकार का विनिर्णय नहीं दे सकते कि जब एक सदस्य बोलता है और स्वीकार नहीं करता है तो इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। मेरे विचार से यह उचित नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया जाना इसका अपवाद है। पीठासीन अधिकारी उसे सभा की कार्यवाही में शामिल नहीं करता। वह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : जहां तक व्यवस्था का प्रश्न है, पीठासीन अधिकारी यह विनिर्णय दे सकता है कि अमुक प्रश्न व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि व्यवस्था का प्रश्न उठाया ही नहीं जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह नहीं कहता कि यह विनिर्णय है। मैं उस विशेष स्थिति के बारे में बता रहा हूं जब एक विशेष सदस्य बोल रहा है, आप उठ कर उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते और पीठासीन अधिकारी से व्यवस्था के प्रश्न को सुनने के लिये नहीं कह सकते।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मुझे श्री मधु लिमये की बात स्वीकार करने पर दुःख है। लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने मेरी कमजोरी का व्यवस्था के प्रश्न पर असंगत टिप्पणी कर लाभ उठाया, जिसको स्वीकार नहीं किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह गलत फहमी नहीं चाहता। मंत्री महोदय के स्वीकार किये जाने के बाद मैंने श्री मधु लिमये के व्यवस्था के प्रश्न को सुना था। अतः जो कुछ श्री मधु लिमये ने कहा है वह रिकार्ड में है और अब इसका खंडन करना अथवा खंडन न करना मंत्री महोदय का काम है।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं यह चाहता हूं कि सभा इस विधेयक को यथा शीघ्र पारित करे जिससे सरकार इन अवैध गतिविधियों को दबाने के लिये प्रभावकारी कार्यवाही कर सके। आशा है इस विधेयक को एक मत से पास कर दिया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय द्वारा भाषण आरम्भ करने से पूर्व कुछ माननीय सदस्य उनसे प्रश्न पूछना चाहते थे। मंत्री महोदय ने यह निवेदन किया था कि उक्त प्रश्न भाषण समाप्त करने के बाद पूछे जा सकते हैं। मेरे विचार से वह उचित बात थी। अतः मैं माननीय सदस्यों को अब प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा।

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : मैसर्स वाईथ लेबोरेटरीज इंडिया द्वारा प्रीडनिसोलोन नामक औषधी की तस्करी तथा बिक्री की गई थी। इसके परिणामस्वरूप देश को लगभग 2 करोड़ रुपयेकी विदेशी मुद्रा की हानि हुई। जब उक्त बात पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा वित्त मंत्री की जानकारी में लाई गई तो उक्त कम्पनी के विदेशी अधिकारी को कम्पनी ने निकाल दिया, वारनर हिन्दुस्तान लिमिटेड द्वारा बेटा निकोलिन नामक औषधी की तस्करी और बिक्री से देश को लगभग एक करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि हुई। उक्त कम्पनी के जनरल मैनेजर को हांगकांग स्थानान्तरण कर दिया गया है। सैंडोज लिमिटेड द्वारा दो औषध रसायनों के आयात से देश को लगभग 80 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि हुई है। वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक आफ इंडिया के माध्यम से सैंडोज इंडिया लिमिटेड को उक्त राशि वापिस देने को कहा है। लेकिन पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय अब अपना निर्णय बदलना चाहता है।

सरकार द्वारा औषधियों को तस्करी करने वाली इन कम्पनियों के अधिकारियों तथा इसको बढ़ावा देने वाले अधिकारियों को 'आंसुका' के अन्तर्गत गिरफ्तार न करने के क्या कारण हैं?

श्री सोमनाथ चटर्जी : माननीय मंत्री ने बताया है कि वर्तमान 'आंसुका' में और नये 'आंसुका', में जिसे हम पास करने जा रहे हैं, अन्तर है। यह तस्करों पर लागू किये जाने वाला बहुत कठोर कानून होगा। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि 'आंसुका' राजनीतिक गिरफ्तारी के विरुद्ध है। यदि सरकार का वास्तव में यही इरादा है, तो 'आंसुका' के अन्तर्गत, भारत रक्षा अधिनियम, 1971 की समाप्ति तक, जैसा कि भारत रक्षा अधिनियम में संशोधन किया गया है, बन्दी बनाये रखने की व्यवस्था करने के क्या कारण

हैं ? इससे यह बोध होता है कि जब तक आपत्कालीन स्थिति बनी रहेगी और उसके छः महीने बाद तक भी गिरफ्तार किये गये तस्करों और सार्वजनिक व्यवस्था का उल्लंघन करने के कारण राजनीतिक दलों के गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को अनिश्चित काल तक जेल में रखा जायेगा । कोई नहीं जानता कि देश में आपत्कालीन स्थिति कब समाप्त होगी । लेकिन एक तस्कर को, जिसके विरुद्ध सरकार कड़ी कार्यवाही करने का दावा कर रही है, अधिकतम एक वर्ष की अवधि तक जेल में रखा जा सकेगा ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : उक्त अवधि दो वर्ष की है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपने अपना विधेयक स्वयं नहीं पढ़ा है और आप विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं । सरकार का यह कहना है कि वह इन उपायों से तस्करी को रोकेगी । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वर्तमान कानून जैसे सीमा शुल्क अधिनियम, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क जिसमें सम्पत्ति को जब्त करने और जुर्माना करने तथा अपराधियों पर मुकदमा चलाने की व्यवस्था है, पर्याप्त नहीं है । क्या आप इनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे । क्या सरकार अपराधियों को जेल में रखने के अलावा उनकी सम्पत्ति को जब्त करने और उन पर जुर्माना करने के बारे में व्यवस्था करने पर विचार कर रही है ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बड़ागरा) : क्या सरकार को मालूम है कि तमिल नाडू की द्रमुक सरकार ने तस्करों से सांठ-गांठ कर रखी है तथा क्या सरकार को ईस्ट कोस्ट कान्स्ट्रक्शन तथा क्रेसैन्ट कंस्ट्रक्शन के एक विशिष्ट तस्कर मोहम्मद यासीन के बारे में यह जानकारी मिली है कि यद्यपि यह बताया जाता है कि वह हांगकांग चला गया है परन्तु फिर भी वह मद्रास में है ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : चर्चा के दौरान यह भी बताया गया था कि राजनैतिक कैदियों को बिना अदालती कार्यवाही किये तीन वर्ष या 5 वर्ष अथवा अनिश्चित काल तक के लिये कारागार में रखा जा सकता है । फिर एक तस्कर के साथ ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता । दूसरे क्या सरकार ने 'आंसुका' को त्रुटिहिन बनाने हेतु विधि आयोग द्वारा संशोधन में सुझाव की सिफारिश को क्यों स्वीकार नहीं किया है ? तिसरे, तस्करों की सम्पत्ति को जब्त क्यों नहीं किया जाता । जब तस्करों को गिरफ्तार किया जा सकता है तो उनकी सम्पत्ति जब्त क्यों नहीं की जा सकती ? इस संबंध में क्या सरकार कोई उचित कानून बनायेगी ?

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : पहले तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या किसी व्यक्ति को अदालती कार्यवाही किये बिना तीन वर्ष से अधिक समय तक हिरासत में रखा जा सकता है ? सामान्य कानून के अन्तर्गत क्या ऐसे व्यक्ति को 24 घण्टे की भीतर न्यायालय में पेश नहीं किया जाना चाहिये ? रिमांड की अधिकतम अवधि 15 दिन है जिसके पश्चात् न्यायालय के आदेश लेने पड़ते हैं ।

दूसरे मैं श्री सोमनाथ चटर्जी के प्रश्न के बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं कि सीमाशुल्क संबंधी नियमों के अधीन तस्करी के माल को तो जब्त किया जा सकता है परन्तु तस्कर की सम्पत्ति को नहीं, दूसरी बात यह है कि तस्कर की रिहाई से उसके विरुद्ध आगे जांच में काफी रुकावट पड़ती है और वह नियमों के पंजे में आने से बचने का उपाय कर जाता है । इस संबंध में मंत्री महोदय स्थिति स्पष्ट करें ।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : मैं जानना चाहता था कि संशोधित अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 110 के अधीन क्या किसी तस्कर अथवा विदेशी मुद्रा का अपवंच करने वाले के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

मैंने बिहार में जयनगर के एक सीमाशुल्क इन्स्पैक्टर का जिक्र किया था जो तस्करी का माल ले जाते लगे हाथों पकड़ा गया था तथा लोगों ने उसे पकड़ कर उसका काला मुंह कर के, उसका जलूस निकाल

[श्री भोगेंद्र झा]

कर पुलिस के हवाले किया था। परन्तु पुलिस इन्स्पैक्टर ने उन लोगों का बयान नहीं लिया तथा बाद में कहा गया कि लोगों ने उस पर झूठा भ्रम किया था। मैंने यहां प्रश्न पूछा था तथा उत्तर दिया गया था। क्या मंत्री महोदय हम इस मामले की जांच करेंगे। साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि तस्करों की सम्पत्ति जब्त करने हेतु वर्तमान विधेयक में प्रावधान क्यों नहीं किया गया है ? क्या सरकार मेरा संशोधन संख्या 37 स्वीकार करेगी ? मंत्री महोदय अपने इस संशोधन के बारे में स्पष्टीकरण दें कि किसी व्यक्ति को छः महीने तक हिरासत में रखने के बाद उस के मामले पर एक उच्च न्यायालय के जज द्वारा विचार किया जायेगा।

साथ ही मैं विदेशी औषध निर्माताओं के साथ सहयोग संबंधी श्री के० एस० चावड़ा के विचारों का समर्थन करता हूं।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी (कलकत्ता-दक्षिण) : क्या यह सच नहीं है कि बम्बई में तस्कर लोग अपना काला धन बैंक बे रिक्लेमेशन में मकानों के निर्माण तथा भूमि खरीदने पर खर्च कर रहे हैं। क्या सरकार ने हाजी मस्तान तथा बाखिया की गिरफ्तारी के बाद उस जगह भूमि खरीदने वालों तथा मकान बनाने वालों के बारे में जांच करने का विशिष्ट आश्वासन नहीं दिया था ? क्या यह भी सच नहीं है कि तस्करों द्वारा अर्जित काला धन हिन्दी फिल्मों के निर्माण पर तथा विशेषकर आर० के० स्टूडियो में खर्च किया गया तथा क्या हाजी मस्तान की गिरफ्तारी के बाद अधिकांश फिल्म शूटिंग ठप्प हो गई है ? क्या सरकार ने यह पता नहीं लगाया है कि उक्त धन कहां से आया ?

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि केरल सरकार के एक मंत्री के पास बेनामी अथवा अन्य रूप में 20 तस्कर जहाज है। वह उसकी जांच करें। वस्तुतः सरकार की यह तस्कर विरोधी कार्यवाही केवल एक छलावा है। यह वास्तविकता है कि यह तस्करी तब तक जारी रहेगी जब तक कि तस्करों को सीमाशुल्क अधिकारियों, राजनैतिक नेताओं तथा पुलिस से संरक्षण प्राप्त होता रहेगा। सरकार ऐसे सुरक्षण के विरुद्ध यदि कोई कानून बनाये तब तो हम माने कि सरकार ने कुछ किया है।

श्री मोहनराज कालिंगाराम (पोलाची) : यदि सरकार को मालूम हो कि राजनैतिक दलों, सिनेमा सितारों अथवा अन्य किसी व्यक्ति ने तस्करों की सहायता से सम्पत्ति तथा काला धन अर्जित किया है तो सरकार उन सम्पत्तियों को जब्त करने तथा दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने के लिये कठोर कार्यवाही करे।

Sardar Swaran Singh Sokhi (Jamshedpur) : May I know as to how many officers throughout India have been proceeded against in connection with helping smuggling? If not when such an action would be taken?

Shri Ramawatar Shastri (Patna) : May I know whether a smuggler of Marijuana Shri Kamdeo Singh who is under warrant of arrest and who had helped a prominent Cong. (O) leader in elections, and also whose arrest is prized Rs.1 Lakh, would be arrested and proceeded against despite his being friendly to some Cong and Cong. (O) leaders?

श्री के० एस० चावड़ा : वह संगठन कांग्रेस में नहीं सत्तारुढ़ कांग्रेस में हैं।

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : श्री चावड़ा ने सदन को, सरकार को भी तीन मामलो की सूचना दी है और मैं पता करूंगा कि उस संबंध में क्या कार्यवाही हुई है तथा आगे क्या होना चाहिये।

श्री चटर्जी ने पूछा था कि इस प्रावधान को केवल एक वर्ष तक ही सीमित क्यों रखा गया है। आपात स्थिती रहे या न रहे परन्तु यह अधिनियम अपने गुणों व दोषों के आधार पर टिकेगा तथा उसे न्याय-निर्णय

की कसौटी पर भी खरा उतरना है। हमें कानूनी सलाह मिली है कि हम किसी व्यक्ति को बहुत लंबी अवधि तक हिरासत में नहीं रख सकते। इसीलिये हमने एक या दो वर्ष तक ही अवधि रखी है। बाद में यदि आवश्यक हुआ तो हम उसमें संशोधन कर लेंगे।

सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क अधिनियम के अनुसार तस्करी या माल तो जब्त किया ही जा सकता है दूसरी बात यह है कि यह भी पता लगाना पड़ता है कि कोई सम्पत्ति तस्करी की आय से अर्जित हुई है। प्रायः ऐसी सम्पत्तियों विभिन्न व्यक्तियों के नाम में बेनामी रूप में होती हैं। यदि हम ऐसी सम्पत्तियों का पता भी लगा लें तो भी आयकर अधिनियम या सम्पदा-कर अधिनियम के अधीन उसे जब्त नहीं कर सकते केवल उस पर कर तथा जुर्माना लगा सकते हैं। मैं मानता हूं कि ऐसी सम्पत्तियों के मामले केवल कर-अपवंचन के ही नहीं बल्कि अन्य माम्ले भी बनते हैं इसलिये इस संबंध में विशिष्ट कानून बनाने पड़ेंगें। क्या हम इसके लिये एक अलग विधेयक पेश करने का विचार रखते हैं तथा तत्संबंधी सभी कानूनी पहलुओं पर हमें विचार करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो ऐसी सम्पत्तियों का पता लगाना है।

सभी नज़रबन्द व्यक्ति अदालती हिरासत में रखे जाते हैं तथा जमानत पर रिहा किये जाते हैं। परंतु यहां संबंध ऐसे व्यक्तियों का है जिनके विरुद्ध परिस्थिति प्रमाण हैं इसलिये हम उन्हें निवारण नज़रबन्दी कानून के अन्तर्गत नज़रबन्द रखते हैं। श्री मिश्र जी ने संविधान में संशोधन का प्रश्न भी उठाया था। वस्तुतः इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि संसद इस विषय में कानून बनाने का अधिकार रखती है तथा मद्रास उच्च न्यायालय ने भी इस आदेश को वैध ठहराया है।

श्री झा ने नई अपराध प्रक्रिया संहिता का उपयोग करने की बात कही थी। परन्तु जब हमारे पास विशेष रूप से इस उद्देश के लिए बनाया गया यह प्रभावशाली कानून है तो फिर हम इस संहिता का उपयोग क्यों करें। यह कानून सामान्य अपराधों के लिये तो नहीं गठित किया गया है। श्री झा ने यह भी कहा था कि कुछ अधिकारी तस्करी के कार्य में अन्तर्ग्रस्त हैं तथा एक अधिकारी की उदाहरण पेश की थी। वस्तुतः इस माम्ले के बारे में दो विभिन्न विवरण हैं। एक में तो यह कहा गया है कि लोगों ने उक्त अधिकारी को भारत से नेपाल में या नेपाल से भारत में तस्करी करने वाला व्यक्ति मानकर उसको दण्डित भी किया तथा पुलिस के हवाले कर दिया। दूसरा विवरण इसके सर्वथा विपरीत हो सकता है। अतः इस मामले में पूर्ण जांच की आवश्यकता है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि यदि कोई अधिकारी ऐसे अवैध कार्य करता पकड़ा जायेगा तो उसके साथ बड़ा कठोर व्यवहार किया जायेगा।

श्री उन्नीकृष्णन ने आरोप लगाया कि पटेल की द्रमुक तस्करों के साथ सांठ-गांठ किये हुआ है तथा एक तस्कर स्वयं को गिरफ्तारी से बचाये हुआ है। मैं इसकी जांच करूंगा परन्तु मैं वैध रूप से गठित किसी सरकार पर बिना प्रमाण ऐसा आरोप लगाना पसन्द नहीं करूंगा। विपक्ष भले ही कुछ कहे।

बैंक बे में सम्पत्ति बनाये जाने के बारे में हम हर संभव जांच-पड़ताल कर रहे हैं। हिन्दी फिल्मों में काला धन लगाये जाने की बातें मेरे कानों तक भी पहुंची हैं तथा यह भी पता लगा है फ़िल्म स्टूडिओ में काम ठप्प हो गया है क्योंकि धन के स्रोत अब रुद्ध हो गये हैं। कुछ फिल्में आधी बनकर ही रूक गई है इससे भी हमारी कार्यवाही का प्रभावी होना सिद्ध होता है।

श्री पीलू मोदी ने कहा कि केरल सरकार के एक मंत्री के पास 22 जहाज़ है जो कि तस्करी के कार्य में लगे है। माननीय सदस्य ने स्वयं इसे एक अफ़वाह माना है। फिर उन्हें ऐसे गैर जिम्मेवारता आरोप तो नहीं लगाने चाहिये।

श्री पीलू मोदी : मुझे तो उसके मंत्रालय का पता है और आप कहेंगे तो नाम का भी पता कर दूंगा। यह अफवाह नहीं है।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं तो यह कहना चाहूंगा कि केरल सरकार हमारे देश की सर्वश्रेष्ठ सरकारों में से एक है।

[श्री सी० सुब्रह्मण्यम्]

श्री मोदी ने यह भी कहा था कि तस्करों के साथ अधिकारियों की सांठ-गांठ है तथा उनको राजनैतिक सुरक्षण भी प्राप्त है। निश्चय ही ऐसे मामलों की जांच की जायगी। ऐसे मामलों के लिये हमारे पास सतर्कता विभाग है तथा अनेक अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की भी गई है। परन्तु साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि गत 2–3 महीनों में हमारे अधिकारियों अत्यन्त कुशलतापूर्ण कार्य किये हैं तथा उनके सहयोग, सतर्कता तथा खोजपूर्ण कौशल के बिना हम इतने लोगों को इतनी जल्दी नहीं पकड़ सकते थे। अब इस का प्रभाव हमें फिल्म जगत तथा अन्य स्थानों पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है।

श्री मोहनराज तथा श्री रामावतार शास्त्री द्वारा उठाये गये प्रश्नों के उत्तर में मैं यही कहना चाहता हूं कि अपराधी व्यक्ति चाहे कितना ही धनिक हो, चाहे जितने बड़े पद पर हो और उसके चाहे किन से संबंध हो, उसके साथ किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं की जायेगी। श्री झा ने जिस व्यक्ति का नाम लिया है उस मामले में हम निश्चय ही पूरी जांच करेंगे।

इन शब्दों द्वारा मैंने माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया है। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वाजपेयी उपस्थित नहीं हैं।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I will reply since my name is also there in the Motion.

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं हो सकता।

Shri Madhu Limaye : I rise on a point of order. The Motion stood in the name of Shri Atal Bihari Vajpayee, myself and others. Shri Vajpayee had move the Motion and the Resolutions. If he is not here now it does not mean that none would reply and on moving the motion goes waste. After another Minister replies in place of the one who is absent. What then is the use of our giving our names to that Motion? Let me know under what rule it is not permissible? Once Shri Samar Mukherji moved the motion but was replied to by Shri Jyotirmoy Bosu. You kindly permit me to reply in brief.

उपाध्यक्ष महोदय : नियमों के अनुसार प्रस्ताव देय करने वाला ही उसके बारे में चर्चा का उत्तर दे सकता है। आपने जो उदाहरण दिया है वह ठीक वैसा नहीं है जैसा कि यह मामला है। 9 मई, 1974 को अविश्वास प्रस्ताव श्री बसु के नाम में था परन्तु उन्होंने बोलने का छोड़कर अपने दल के किसी अन्य सदस्य को दे दिया था। तो भी प्रस्ताव का उत्तर श्री बसु ने ही दिया था।

जहां तक मंत्रियों द्वारा उत्तर दिये जाने का मामला है सो उसकी अनुमति नियमों में दी गई है।

श्री मधु लिमये : हमें किन नियम में मना किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मना नहीं किया गया है तो उसका प्रावधान भी नहीं है।

Shri Madhu Limaye : You show me. This is not a motion. It is a resolution.

श्री एच० एम० पटेल : फिर हमारे नाम क्यों दिये जाते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसलिये कि यदि पहला प्रश्नकर्ता उपस्थित नहीं है तो दूसरा या उससे अगला सदस्य प्रस्ताव पेश कर सके। परन्तु जो प्रस्ताव-कर्त्ता है उत्तर वही देगा।

अब प्रश्न यह है :

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 17 सितम्बर, 1974 को प्रस्थापित आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (1974 का अध्यादेश संख्या 11) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा पेश प्रस्ताव को सभा के सामने मतदान के लिये रखता हूं :

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा संविधान के अनुच्छेद 359 के खण्ड (1) के अधीन 16 नवम्बर, 1974 को जारी किये गये राष्ट्रपति के आदेश का निरनुमोदन करती है जिसके द्वारा अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 के खण्ड (4), (5), (6) और (7) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम, 1971 के अधीन नजरबन्दी आदेशों के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में जाने के नागरिक अधिकारों को निलम्बित किया गया है और आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अधीन नजरबन्दी आदेशों के सम्बन्ध में उपर्युक्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी न्यायालय में लम्बित कार्यवाहियों को भी निलम्बित किया गया है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The Motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विदेशी मुद्रा के संरक्षण एवं संवर्धन और तस्करी की गतिविधियों के निवारण के प्रयोजनों के लिये कुछ मामलों में निवारक निरोध और उससे सम्बद्ध बिषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

खंड 2

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खंडवार विचार करेंगे। मेरे विचार में खंड 2 के लिए कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न है कि "खंड 2 विधेयक का अंग बने",

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2 was added to the bill.

खंड 3

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खंड 3 लेंगे। कुछ संशोधन आए हुए हैं क्या आप उन्हें प्रस्तुत कर हैं ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : मैं अपने संशोधन संख्या 8 और 9 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री जनेश्वर मिश्र (इलाहाबाद) : मैं अपना संशोधन संख्या 21 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री राजदेव सिंह (जौनपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 30 प्रस्तुत करता हूं ।

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

Page 2, *after* line 45, *insert*—

(3) For the purposes of clause (5) of article 22 of the contitution the communication to a person detained in pursuance of a detention order of the grounds on which the order has been made shall be made as soon as may be after the detention but ordinarily not later than five days, and in exceptional circumstances and for reason to be recorded in writing not later than fifteen days, from the date of detention".

"कि पृष्ठ 2, पंक्ति 45 के बाद निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाय :—

"(3) संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड (5) के प्रयोजनार्थ नजरबंदी आदेश के अनुसरण में उन आधारों की, जिन पर आदेश जारी किया गया है, सूचना नजरबंद व्यक्ति की नजरबंदी के पश्चात् यथाशीघ्र, किन्तु साधारणतः पांच दिन तक और असाधारण परिस्थितियों में तथा नजरबंदी के कारणों की, जिन्हें लिखित रूप में दिया जाएगा, नजरबंदी की तिथि के 15 दिन तक सूचना दे दी जायेगी ।"

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् :—लगभग दस वर्षों से तस्करी बड़े पैमाने पर चल रही है जिसके कारण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तहस-नहस हो गई है और देश में काला धन बढ़ता जा रहा है

[**श्री नवल किशोर सिंह** पीठासीन हुए ।
SHRI NAWAL KISHORE SINGH *in the Chair*.]

हमें विदेशी मुद्रा के रूप में 500 से 600 करोड़ रुपये की हानि हो रही है, यह कम राशि के बीजक बनाकर या अधिक राशि के बीजक बनाकर तथा अवैध रूप से धन भेजने आदि जैसी कार्यवाहियों के अतिरिक्त है । यदि हम इन सब बातों को लें तो हमें प्रति वर्ष 1,000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है ।

इसके अतिरिक्त यह सामाजिक बुराई बन गई है । इसने हमारे सामाजिक तथा सांस्कृतिक मुल्यों पर बुरा प्रभाव डाला है । तस्करी के कारण देश में सामाजिक विकृति उत्पन्न हुई है । इसने न केवल अर्थव्यवस्था अपितु सामाजिक ढांचे पर बुरा प्रभाव डाला है । मैं इस अध्यादेश तथा वर्तमान विधेयक को लाने के लिए प्रधान मंत्री को बधाई देता हूं ।

लोक लेखा समिति जैसी समितियों ने तस्करी विरोधी कानून, सीमा शुल्क कानून में त्रुटियों को प्रभावी रूप से दूर करने के लिए सुझाव दिए हैं । उच्चतम न्यायालय ने भी अपने एक निर्णय में तस्करी तथा अन्य अपराधों को रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने को कहा है, यह एक असाधारण स्थिति है इसीलिए ऐसा विधेयक लाया गया है । इसके लिए साधारण कानून कारगर सिद्ध नहीं हो सकते । कुछ तस्कर गिरोहों के अंतरराष्ट्रीय गिरोहों के साथ भी संबंध हैं । खंड 3 एक महत्वपूर्ण खंड है जिसके अंतर्गत कुछ श्रेणी के अधिकारियों को निरोधक नजरबंदी के अधिकार दिए हुए हैं । समस्या पंक्ति 27 में "यदि संतुष्ट किया गया है" को लेकर है । शब्द कोश के अलावा "संतुष्टि" का स्पष्ट काननी अर्थ भी है ।

इससे इस कानून के उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है क्योंकि संतुष्टि का अर्थ 'उचित आधार पर संतुष्टि' से है। इससे न्याय पाने का अधिकार समाप्त नहीं होता है। यदि न्यायालय इस सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं तो इससे कानून का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। मैं इसके लिए संविधान में संशोधन का समर्थन करूंगा अन्यथा इस 'संतुष्टि' शब्द से हर बार न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जायेगा। यह एक ऐसी असाधारण स्थिति है जिसके लिए असाधारण उपाय अपनाने पड़ेंगे। यह हमारी अर्थव्यवस्था में कैंसर के रोग की भांति लग गया है। इसलिए जब तक न्यायालय में जाने का अधिकार नहीं छीना जायेगा तब तक आप तस्करी को रोक नहीं सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इस कानून के उद्देश्य की पूर्ति हो। इसीलिए यह दो संशोधन लाए गए हैं।

Shri Joneshwar Misra : Several Members have expressed the view that if this legislation is passed, innocent people will be put behind the bars. If one is found having foreign cigarette packet, he will be arrested. That is why we have tabled this amendment It is known to everyone that whatever legislation has been enacted to prevent this menace, has been used by Government against their political opponents. Therefore to remove this uspicion, Government should admit our amendment.
s

Shri Rajdeo Singh : I have nothing to say on my amendment. But I would say that Government should impound vehicles of the smugglers while arresting them.

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : मंत्री महोदय ने कहा है कि यह कानून उन लोगों के लिए नहीं है जिन के पास तस्करी की वस्तुएं हो सकती हैं। यदि हम 'तस्करी की वस्तुएं रखने' के स्थान पर 'तस्करी की वस्तुओं का व्यापार करने से उसको रोकने के लिए रखें तो श्री जनेश्वर मिश्र और मंत्री महोदय की बात भी रखी जा सकती है।

Shri Madhu Limaye (Banka) : This clause is most important in this Bill. But it appears that the hon Minister has not got a clear picture in his mind. I had given some information to you. In the coastal area of Setvade Village of Ratnagiri district, a hundred-tonnes launch was being constructed for smuggling purposes. But the concerned authorities did not take any action. In the same way Sukur Narain Bakhia used to anchor hundred-tonne launch. Why your machinery does not act in time? Many companies are engaged in smuggling of foreign exchange through over invoicing and under-invoicing and other manipulations. Action can be taken against them under the existing legislation. In this reference I had mentioned yesterday about the Managing Director of Modi Rubber Limited. You made reference about it but I would not hear you. I think you said that in the opinion of Shri Salve the secret document is forged. This may be clarified.

It is clearly indicated in the document that Foreign exchange worth Rs. 50 lakhs has either been misappropriated or is about to be misappropriated? I would like to know only the procedure of the enquiry. Will this matter be inquired into by the Company Law Board as indicated in the letter of ex-Director to Shri H. R. Gokhale?

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : विदेशी मुद्रा के मामले के अतिरिक्त कुछ अन्य कारणों के उल्लंघन के आरोप थे। अत: मैंने समझा कि इस सम्बन्ध में व्यापक जांच कराई जायेगी। मैंने पत्र इसी उद्देश्य से लिखा था।

Shri Madhu Limaye : But the matter of internal mismanagement must be differentiated from the matter of foreign exchange. The matters relating to internal mismanagement can be looked into by the Company Law Board and the other Agencies. But the matter of foreign exchange is a special matter and we must introduce an appropriate procedure to see that various companies are not able to misappropriate the valuable foreign exchange.

श्री इराज्मुद सकैरा (आसनसोल) : मंत्री महोदय ने स्वयं कहा है कि निवारक नजरबन्द कानून का उपयोग ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध किया जायेगा जो राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में भाग लेते हैं। किन्तु इस खण्ड के अनुसार इस शक्ति का उपयोग कुछ विशेष अधिकारी ही कर सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में उक्त अधिकारियों की इच्छा ही सर्वोपरि है। अतः इसमें दो प्रकार से गड़बड़ी हो सकती है। एक तो अधिकार बहुत व्यापक है तथा दूसरे यह कार्याधिकारी की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह इसे अपराध माने या न माने। इसलिये यह सुझाव है कि इस बारे में कोई सीमा अवश्य निर्धारित की जाये।

इसके अतिरिक्त 'आंसुका' के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के मामलों को न्यायालयों ने रद भी किया है। इस तथ्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा।

सरकार का यह कहना न्यायोचित नहीं है कि यद्यपि हमें व्यापक शक्तियाँ चाहिये किन्तु, हम उनका सीमित उपयोग करेंगे। इसलिये इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाना चाहिये।

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम्) : महोदय! एक मत यह है कि इस अधिकार को अत्यन्त व्यापक बनाया जाये तथा दूसरा मत यह है कि इस अधिकार को और अधिक सीमित किया जाये। इस सम्बन्ध में हमें दो बातों को ध्यान में रखना होगा। पहली बात तो यह है कि विधान इतना व्यापक और इतना अस्पष्ट न हो जाये जिसे न्यायालय रद कर दें तथा दूसरी यह कि हम अपराधियोंके विरुद्ध प्रभावकारी कार्यवाही कर सकें। इसीलिये हमने "विदेशी मुद्रा को सुरक्षित रखने तथा उनके वृद्धि करने के लिये व्यक्तियों को ऐसा करने से रोकने के लिये" शब्द रखे हैं। विदेशों से लोग प्रायः भारत को वैध माध्यम से विदेशी मुद्रा न भेजकर किन्हीं व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा भेजते हैं तथा इस प्रकार जालसाजी करते हैं। इस स्थिति पर काबू पाने के लिये हमने सोचविचार कर कानून बनाये हैं तथा इन कारणों को आगे सीमित नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत निर्णय के सम्बन्ध में मेरा कहना है कि सरकार ने इस के लिये पुनरीक्षण और सलाहकार बोर्ड आदि की व्यवस्था की है। अतः मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि इस खण्ड को संशोधित रूप से स्वीकार करें।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 2 में पंक्ति 45 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये,—

"(3) For the purposes of clause, (5) of article 22 of the constitution, the communication to a person detained in pursuance of a detention order of the ground on which the order has been made shall be made as soon as may be after the detention, but ordinarily not later than five days, and in exceptional circumstances and for reasons to be recorded in writing, not later than fifteen days, from the date of detention."

["(3) संविधान के अनुच्छेद 22 के खण्ड (5) के प्रयोजनों के लिये नजरबन्दी आदेश के अनुसरण में उन कारणों की, जिनपर आदेश जारी किया गया है, सूचना नजरबन्द व्यक्ति को नजरबन्दी के पश्चात् यथाशीघ्र, किन्तु साधारणतः पांच दिन तक और असाधारण परिस्थितियों में तथा नजरबंदी के कारणों की जिन्हें लिखित रूप में दिया जाएगा, नजरबंदी की तिथि के 15 दिन तक दी जायेगी।"]

[संशोधन संख्या 35]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 8, 9, 21 और 30 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।

The amendments Nos. 8, 9, 21 and 30 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adpoted.

खण्ड 3, संशोधित सभा में विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clauses 3, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 4 और 5 भी विधेयक में जोड़ दिये गये ।
Clauses 4 and 5 were also added to the Bill.

खण्ड 5क

श्री भोगेन्द्र झा : मैं अपना संशोधन संख्या 37 प्रस्तुत करता हूं । मेरे इस संशोधन का उद्देश्य यह है कि तस्करों की पूरी सम्पत्ति के जब्त कर लिया जाये । सम्भव है मंत्री महोदय यह कदम तुरंत न उठा सकें किन्तु इस बारे में कोई व्यवस्था अवश्य करनी चाहिये जिससे तस्कर अपनी सम्पत्ति को किसी अन्य व्यक्ति के नाम अंतरित न कर सकें । यदि मंत्री महोदय इसी सत्र में ऐसा कानून ला सकें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं किन्तु यदि इसी सत्र में ऐसा कानून न बनाया जा सका तो इस विधेयक का उद्देश्य पूरा नहीं होगा तथा तस्कर अपनी सम्पत्ति को दूसरों के नाम अंतरित करेंगे जिसके परिणामस्वरूप उसे जब्त नहीं किया जा सकेगा । इस कार्य के लिये सभा शनिवार को भी बैठ सकती हैं । मेरे विचार से इसका कोई विरोध नहीं होगा ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : सम्पत्ति आदि के बारे में आयकर अधिनियम और सम्पत्ति कर अधिनियम के अन्तर्गत उपयुक्त व्यवस्था है । अतः इसके लिये किसी अन्य कानून की आवश्यकता नहीं है । इसके अतिरिक्त इस विधान में सम्पत्ति जब्त किये जाने की व्यवस्था करना अनुपयुक्त होगा । मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह इस संशोधन पर बल न दें ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 37 मतदान के लिये रखा गया ।
Amendment No. 37 was put.

लोक-सभा में मतविभाजन हुआ ।
The Lok Sabha divided.

पक्ष में 22 विपक्ष में 102
Ayes 22 Noes 102

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।
The motion was negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 6 was added to the Bill.

खण्ड 7

श्री रामावतार शास्त्री : मैं अपना संशोधन संख्या 14 प्रस्तुत करता हूं ।

सभापति महोदय : कुछ माननीय सदस्य चाहते हैं कि सभा 6 बजे स्थगित हो । मैं सभा का विचार जानना चाहता हूं ।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : इसमें कितना समय लगेगा ?

सभापति महोदय : 35 मिनट से कम नहीं लगेंगे ।

श्री के० रघुरामैया : तब हमें इसे समाप्त कर लेना चाहिये ।

सभापति महोदय : सभा का मत है कि हम कार्यवाही जारी रखेंगे ।

कई माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

श्री भोगेन्द्र झा : यदि इस विधेयक को कल पारित किया गया हो तो कुछ नहीं बिगड़ेगा ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : श्री सोमनाथ चटर्जी इस विधेयक पर बोलना चाहते थे किन्तु उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी गई । अतः हम इसे पारित नहीं होने देंगे . . **(व्यवधान)**

(इस स्थिति में श्री दीनेन भट्टाचार्य और कुछ माननीय सदस्य सभा से उठकर चले गये)
(At this stage, Mr. Dinen Bhattacharyya and some hon. members left the House.)

श्री के० रघुरामैया : उस समय उपाध्यक्ष महोदय कार्यवाही चला रहे थे । सी० पी० एम० के सदस्यों ने उपाध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया था कि उनकी पार्टी से एक वक्ता का नाम और जोड़ा जाये किन्तु उपाध्यक्ष महोदय ने इसे स्वीकार नहीं किया । इसके लिये मैं कैसे उत्तरदायी हो सकता हूं ।

दूसरे, यह महत्वपूर्ण विधान है तथा इसमें सभी दल रूचि ले रहे हैं । महोदय ! आपको भी विदित है कि हमें प्रत्येक दिन कितना कम समय मिल रहा है ।

श्री समर गुह : महोदय! मैं भी अपने संशोधनों पर बोलना चाहता था किन्तु अध्यक्ष महोदय के साथ हुई बैठक के बाद मैंने यह इरादा त्याग दिया । यह मामला ऐसा है जिसपर हम सभी समान रूप से चिंतित हैं क्योंकि कल कोई ऐसी घटना घट सकती है जिसका पूरे देश पर प्रभाव पड़े । अध्यक्ष महोदय से हुई मुलाकात के पश्चात् हम अपने सदस्यों तथा अन्य नेताओं से मिलना चाहते हैं तथा हम अब इस कार्यवाही में भाग नहीं लेना चाहते ।

Shri Ramavatar Shastri : Smuggling is certainly an anti-national activity. Such anti-national element must be punished adequately. I suggest, therefore, that term of imprisonment should be extended from one year to two years in regard to much elements. I have mould my amendment to this effect and it should be accepted.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : मैं इसे स्वीकार करने में असमर्थ हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 14 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।
The amendment No. 14 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :
"कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 7 was added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :
"कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 8 विधेयक के जोड़ दिया गया ।

Clause 8 was added to the Bill.

खण्ड 9

सभापति महोदय : इसमें एक सरकारी संशोधन संख्या 20 है ।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 5, पंक्ति 44 के पश्चात् जोड़िये —

"(3) The case of every person detained under a detention order to which the provisions of sub-section (1) apply shall, within a period of six months from the date of detention the reviewed (unless in the meantime a reference has been made in respect thereof to an Advisory Board constituted under clause (a) of section 8 read with sub-section (2) or such order has been revoted] by the appropriate Government in consultation with a person who is, or has been, or is qualified to the appointed as a Judge of a High Court nominated in that behalf by that Government : Provided that where the appropriate Government is a State Government that Government shall also consult the Central Government in this matter".

["(3) नजर बन्दी आदेश के अन्तर्गत नजरबन्द किये गये प्रत्यक व्यक्ति का मामला, जिसपर उप-धारा (1) के उपबन्ध लागू होते हैं, नजरबन्दी की तिथि से 6 महीने की अवधि के अन्दर पुनरीक्षित किया जाएगा । उपयुक्त सरकार द्वारा ऐसे व्यक्ति के परामर्श से जो उस सरकार द्वारा उसकी ओर से नामनिर्देशित एक उच्च न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश हो अथवा पहले न्यायाधीश रहा हो अथवा नियुक्ति के लिये अर्हताप्राप्त व्यक्ति हो [यदि इस समय में यह मामला धारा 8 के खण्ड (क) साथ पढ़ी गयी उप-धारा (2) के अन्तर्गत स्थापित किये गये सलाहकार बोर्ड को न सौंपा गया हो अथवा उस आदेश को रद्द न कर दिया गया हो] बशर्ते यदि उपयुक्त सरकार राज्य सरकार है तो वह सरकार उस मामले में केन्द्रीय सरकार से भी सलाह लेगी ।"]

[संख्या 20]

(श्री सी० सुब्रह्मण्यम्)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 9, संशोधित रूप में, विधेयक के जोड़ दिया गया ।

Clause, 9, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 10--(नजरबन्दो की अधिकतम अवधि)

श्री रामावतार शास्त्री : मैं संशोधन संख्या 15 और 16 प्रस्तुत करता हूं।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं संशोधन संख्या 27, 28, 29 प्रस्तुत करता हूं।

Shri Ramavatar Shastri (Patna): The Advisory Committee may increase the period of detention upto one year. I suggest that this limit may be raised to two years.

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : मेरे संशोधन संख्या 27 और 28 श्री रामावतारशास्त्री के संशोधनों से मिलते जुलते है।

मेरे संशोधन संख्या 29 के बारे में कई सदस्यों ने कहा है कि व्यावसायिक तस्करों के विरुद्ध तफसीलवार प्रमाण मिल जाते हैं तो उन्हें नजरबन्द ही नहीं गिरफ्तार किया जाना चाहिए। नजरबन्दी और गिरफ्तारी एक दूसरे के पूरक हैं।

सरकार यदि मेरे संशोधन को स्वीकार कर लेती है, तो बहुत सी गलतफहमियां समाप्त हो जाएंगी। वित्त मंत्री द्वारा रख गये संशोधन तस्करों के पक्ष में हैं। उन्होंने इसे कानूनी परामर्श बताया है। कानूनी परामर्श पैसा देकर खरीदे जाते हैं। हमारी न्यायिक पद्धति की यही परम्परा है।

अतएव मैं निवेदन करता हूं कि चुनौती का सामना करने के लिए तथा कार्यवाहियों को प्रभावी बनाने के लिए मंत्री महोदय इस संशोधन को स्वीकार करें।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : इससे सारा मामला निरर्थक हो जायेगा।

सभापति द्वारा संशोधन संख्या 15, 16, 27, 28 और 29 सभा में मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendments Nos. 15, 16, 27, 28 and 29 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 10 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 10 was added to the Bill.

खण्ड 11

सभापति महोदय : श्री समर गुह अपने संशोधन रखने के लिए उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न यह हैं :

"कि खण्ड 11 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 11 was added to the Bill.

खण्ड 12

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं अपने संशोधन संख्या 17 और 19 प्रस्तुत करता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 6, पंक्ति 25 और 26 "आर विदाउट" (के बिना) निकाल दीजिए।

Shri Ramavatar Shastri : You are making provision for releasing the smugglers in this Bill. Why is the Government so kind towards them ?

If in any case you want to release them, please impose least conditions on them They should not be released unconditinally.

This clause may be read as "may be released from any specified period upon such conditions". The persons so released may be put under such conditions that they may not indulge in anti-social or anti-national activities.

In my amendment No. 18, I have proposed to delete the words "on without" from clause 12(2) so that surety may be taken for releasing any person.

Under clause 12(4) it has been proposed that if a person does not surrender in the period specified, he may be sented from 2 years, or fined or both. Persons who are released on medical grounds and who afterwards abscond may be sentensed for 4 years instead of 2 years,' so that the people may know that the Government is serious in punishing the smugglers whether they belong to some leader or the ruling party.

The purpose of my amendment is to make the provisions against smuggling more stringent.

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : इन संशोधनों का संबन्ध शर्तों पर रिहा किये जाने वाले व्यक्तियों से है। कई बार मानवीय कारणों से ऐसी रिहाई आवश्यक हो जाती है। उसका इन संशोधनों में विरोध नहीं है। ये लोग शक्तिशाली हैं। इनके पास धन है तथा इनका सम्बन्ध बाहर के देशों से है। इन्हें पर्याप्त जमानतों के बिना रिहा नहीं किया जाना चाहिए।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : माननीय सदस्य द्वारा दिये गये तर्कों को ध्यान में रखते हुए मैं संशोधन संख्या 18 को स्वीकार करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 6, पंक्ति 25 और 26 "आर विदाउट" (के बिना) निकाल दीजिए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 17 और 19 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।
The amendments Nos. 17 and 19 were put and negatived.

खण्ड 12, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 12, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 13 was added to the Bill.

खण्ड 14

Clause 14

सभापति महोदय : अब मैं श्री सी० सुब्रह्मण्यम का संशोधन संख्या 36 मतदान के लिए रखता हूं :

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 6, पंक्ति 44--

'Repealed' (निरसित) के बाद निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये :

"and accordingly the amendments made in the Maintenance of Internal Security, Act, 1971 by the said ordinance shall, on such commencement, cease to have effect."

(और तदनुसार आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 में उक्त अध्यादेश द्वारा किये गये संशोधन इसके लागू होने पर निष्प्रभावी होंगे)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 14, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 14, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 14, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र, प्रस्तावना तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 1, the Enacting Formule, Preamble, and the Title was added to the Bill.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाय"

इसके पश्चात् लोकसभा शुक्रवार, 6 दिसम्बर, 1974/16 अग्रहायण, 1896 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday, December 6, 1974/ Agrahayana 16, 1896 (Saka).

GIPN—S6—42 LSS(ND)74—29-3-75—200.